तृतीय माला, खण्ड १४—अंक १७

बुधवार, १३ मार्च, १९६३
२२ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १४ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर पृष्ठ

तारांकित प्रश्न* संख्या ३६७, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७७, ३७८, ३८० और ३८२ से ३८५ . . . . . १५६३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३६८, ३७३, ३७५, ३७६, ३७९, ३८१, ३८६ और ३८७ . . . . . १५८६—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६९५ से ७३२ . . . १५८९—१६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १६०५—०६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति . . १६०६

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति १६०६

उन्नीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन

सभा का कार्य १६०७

केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक

विनियोग विधेयक १९६३— पुरस्थापित और पारित . . . १६०७–०८

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक १९६३—पारित . . १६०८–०९

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १६०९—४७

श्री तन सिंह . . . १६०९—१४

श्री अ० प्र० जैन १६१५–१६

श्री अ० चं० गुह . . १६१६–१७

श्री हरि विष्णु कामत . . . . १६१७—१९

श्री हरिश्चन्द्र माथुर १९१९–२०

श्री कर्णी सिंहजी १६२०–२१

डा० पं० शा० देशमुख १६२१–२२

श्री दे० द० पुरी . . . १६२२–२३

श्री मौर्य . . . . १६२३—२९

श्री भक्त दर्शन . . . . १६३०—३५

श्रीमती शारदा मुकर्जी . . . १६३५

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार, १३ मार्च, १९६३

२२ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[प्रध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

न्याय प्रशासन

+

†*३६७. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री एम० सी० सीतलवाद द्वारा दिये गये लाजपतराय स्मारक भाषणों का न्याय प्रशासन तथा साधारण व्यक्ति के लिये न्याय के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों पर विशेष ध्यान देते हुए अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस): (क) सरकार ने आरम्भिक अध्ययन किया है ।

(ख) न्याय प्रशासन सम्बन्धी सुझावों का मूल तथा राज्य सरकारों से संबंध है। प्रशासी न्याया धीकरणों तथा 'प्रोक्यूरेटर-जनरल' संबंधी सुझावों की विस्तृत जांच करनी होगी। और आज कल सरकार इन सुझावों पर कोई भी मत देने में असमर्थ है ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने सुप्रसिद्ध विधिवेत्ताओं के मतों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकारों से इस मामले में कार्यवाही करने के लिये कहना आवश्यक नहीं समझेगी ?

†श्री हजरतवीस : श्री सीतलवाद की ख्याति तथा स्तर के व्यक्ति के मत का निश्चय ही बहुत महत्व है और इस पर उचित रूप से विचार किया जायेगा। परन्तु श्री सीतलवाद ने जिन मामलों

†मूल अंग्रेजी में

3099(Ai) LSD—1.

का उल्लेख अपने भाषण में किया था उन में से कुछ मामले पहले से ही सरकार के विचाराधीन हैं। उदाहरणार्थ पंचायतों की स्थापना को लीजिये। वास्तव में, स्वयं सरकार ने पहल की है और पंचायतों के कार्य संचालन के बारे में रिपोर्ट देने के लिये समिति नियुक्त की थी। यदि में यह कह सकूं तो उस समिति की रिपोर्ट इस विषय पर एक महान दस्तावेज है। गृह-कार्य मंत्रालय और विधि मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने उस समिति के कार्यसंचालन में सहयोग किया था जिस की रिपोर्ट राज्य सरकारों को भेज दी गई है। जहां तक अवैतनिक दण्ड अधिकारियों का संबंध है, वह भी राज्य सरकारों का विषय है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : इस समिति को अपने निष्कर्ष कब तक देने की आशा है ?

††**श्री हजरनवीस** : पंचायतों संबंधी समिति की रिपोर्ट पहले ही पेश की जा चुकी है। मुझे निश्चित रूप से पता नहीं है कि वह पटल पर रखी जा चुकी है या नहीं; शायद वह रख दी गई है। समिति ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है और रिपोर्ट एक महान लेख है।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या यह सच है कि देश में निर्धन तथा पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्तियों को संविधानुसार पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान नहीं किया गया है; यदि हां; तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भिन्न विषय है। अब हम श्री सीतलवाद की सिफारिशों की बात कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्री सीतलवाद ने घोर परिवर्तनों के लिये अनेक सुझाव दिये ह और माननीय मंत्री कहते हैं कि उन का महान सम्मान किया जाना चाहिये। क्या सरकार को उस समय इन अनेक सुझावों पर विचार विमर्श करने का अवसर नहीं मिला जब कि श्री सीतलवाद महान्यायवादी थे या वे सरकार के सामने केवल अभी आ रहे हैं।

†**श्री हजरनवीस** : मैं याद दिला दूं कि सरकार ने विधि आयोग की एक समिति बनाई थी जिस के अध्यक्ष श्री सीतलवाद थे और उस समिति ने न्याय प्रशासन पर रिपोर्ट दी। माननीय सदस्य का मत ठीक है क्योंकि इन सुझावों में से अनेक सुझाव उस समिति की पेश की गई रिपोर्ट में नहीं है जिस के अध्यक्ष श्री सीतलवाद थे।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि न्याय बहुत अधिक खर्च करने पर प्राप्त होता है और मामलों में बहुत देर हो जाती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह भी श्री सीतलवाद की एक सिफारिश है।

†**श्री हजरनवीस** : बात ऐसी ही है। यही कारण है कि छोटे मामले पंचायतों को देने का विचार है। इस के लिये, स्वयं सरकार ने पहिल की है और जांच की है। पंचायत व्यवस्था कहां तक कारगर होती है। समिति का कथन, जिस का उल्लेख में पहिले ही कर चुका हूं, यह है कि साधारणतया वे ठीक काम कर रही है।

†**श्री त्यागी** : न्याय पर अधिक व्यय होने के बारे में क्या बात है ? उच्च न्यायालय में अभियोगों पर बहुत व्यय होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरतवीस** : व्यक्तिगत रूप में, मैं इस से पूर्णतया सहमत हूं। विधि आयोग न्याय ने प्रशासन संबंधी अपनी रिपोर्ट में जिन बातों पर विचार किया था, यह उन में से एक है।

†**श्री त्यागः** बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों का यह विचार था, परन्तु क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ?

†**श्री हजरतवीस** : विधि आयोग ने वर्तमान व्यवस्था में कोई भारी परिवर्तन करने की सिफारिश नहीं की है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार ने अवैतनिक दण्ड अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में कोई पक्का निश्चय किया है और क्या न अवैतनिक दण्ड अधिकारियों की नियुक्ति के सिद्धान्त निश्चित हो गये हैं ?

†**श्री हजरतवीस** : यह बात पूर्णतया राज्य सरकारों के अधिकाराधीन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या न भाषणों में यह भी एक बात है ?

†**श्री हजरतवीस** : जी हां, परन्तु विधि आयोग की सिफारिश यह थी कि अवैतनिक दण्ड अधिकारियों की व्यवस्था जारी रहनी चाहिये। परन्तु न दण्ड अधिकारियों की नियुक्ति यथा संभव उच्च न्यायालय के परामर्श से होनी चाहिये। यह भी राज्य सरकारों पर निर्भर है।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह का कोई सुझाव है कि न्यायाधीश का इलेक्शन नहीं होना चाहिये बल्कि न्यायाधीश की नियुक्ति होनी चाहिये। न्याय अदालतों के सरपंच चुने जाते हैं। वे जिन के वोटों से चुने जाते हैं उनके लिये उनके दिलों में सोफ्ट कारनर हो सकता है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के सामने कोई ऐसा सुझाव है कि किसी भी न्यायाधीश का चुनाव न हों बल्कि बाकायदा एपाइंटमेंट हो ?

श्री हजरतवीस : यह बात तो प्रादेशिक सरकारों को तै करनी हैं। उन्होंने इस के बारे में कानून बनाया है और उसके मुताबिक यह मामला तै होगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अमरीका में हाईकोर्ट तक के जज चुने जाते हैं, और इस प्रकार हमारी इस परिपाटी का समाधान हो सकता है।

†**श्री दाजी** : क्या यह बात विशेष रूप से सरकार के विचाराधीन है कि न्यायापालिका तथा न्याय-कार्य का व्यय और अपीलों पर मूल्यानुसार ली जाने वाली फीस समाप्त होनी चाहिय ?

†**श्री हजरतवीस** : यह पूर्णतया राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि राज्य सरकारें प्रशासी दुरुपयोग पर विचार कर रही हैं। केन्द्रीय सरकार में प्रशासी दुरुपयोग की शिकायतें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? श्री एम० सी० सीतलवाद के भाषण में उनके सुझावों को लागू करने के रूप में, संघ सरकार ने उन सुझावों के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री हजरतवीस** : हम उस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में पटाखों के विस्फोट

†*३६९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री २१ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २९३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पटाखों के विस्फोटों के बारे में सरकार को कोई सुराग मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). अब तक ३० मामलों की सफलतापूर्ण जांच की गई है। इनमें से २४ में दण्ड दिया गया है, २ में विमुक्ति हुई है और ४ की जांच हो रही है। बाकी मामलों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो जांच पड़ताल की है उससे यह पता चला है कि दिल्ली में जो बाम्ब्स का क्रेकिंग होता है इसका सूत्रपात कहां से होता है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : जी नहीं, यह नहीं कहा जा सकता कि हर एक जो वाक्या हुआ है उसकी जड़ का पता चल गया कि वह किस खास जगह से होता है। इसका पता नहीं चला है। मगर अलग अलग मामलों में अलग अलग लोग पकड़े गये हैं और पिछले पांच, छः, सात, आठ महीनों, में बल्कि कुछ और ज्यादा में नौ मामले हुए हैं। उनमें पांच मामलों का पता चला है और उनके चालान भी किए गए हैं।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जो १३ मामले चले हैं तो क्या सरकार को इस से अन्दाजा लगा है कि तेरह के गैंग हैं और इन की तेरह तरह की कार्यवाही होती है या यह कोई एक इकट्ठा गैंग है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : नहीं कोई इकट्ठा गैंग नहीं है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वाक्यात हुए हैं और दूसरे दूसरे लोग पकड़े गये हैं।

†**श्री मु० र० पटेल** : क्या पटाखे उसी प्रकार के बने हैं जिनसे सरकार कोई ऐसा निर्णय कर सकती है कि वे किसी एक विशेष दल द्वारा बनाये जाते हैं या कोई और बात है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यह बात नहीं है। वे विभिन्न प्रकार के हैं अर्थात्, छोटे पटाखे जिनसे वास्तव में कोई हानि नहीं होती। कुछ ऐसे हैं जो थोड़ी बुरी किस्में के हैं। इसमें अतिरिक्त, यह कहना संभव है ठीक न हो कि वे किसी विशेष दल या गिरोह द्वारा बनाये जाते हैं।

सेठ अचल सिंह : क्या यह वाक्या नहीं है कि कुछ पाकिस्तानी एजेंट्स इस तरह की कार्यवाही करके हिन्दुस्तान में बदअमनी पैदा करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वही तो यह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं पता चला है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या सरकार को कोई पता लगा है कि इन पटाखों के पीछे किसी संगठित राजनैतिक दल का हाथ है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इसका उत्तर दे चुके हैं।

†**कुछ माननीय सदस्य** : यह बदमाशों का गिरोह है।

†**श्री अन्सार हरवानी** : हो सकता है कि यह बदमाशों का गिरोह हो, परन्तु राजनैतिक दल नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी दल से संबंधित की जा सके, तो मेरा ख्याल है यह बात पार्टी पर भी लागू होती है।

श्री कछवाय : यह बम छोड़ने और पटाखे फोड़ने में इन लोगों का उद्देश्य क्या था।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अब उद्देश्य तो कई तरह के हो सकते हैं। एक तो यह भी पता चला कि चुंकि आपस में झगड़ा था इसलिये एक ने दूसरे पर चलाया या दूसरे ने उस पर चलाया। ऐसा भी है जिसमें धार्मिक या मज़हबी बातों के ख्याल से यह बम और पटाखे छोड़े गये। तीसरे कभी कभी ऐसा लगता है कि बिलकुल शरारतवश ही यह छोड़े गये हैं।

श्री कछवाय : इसमें किस धर्म के लोग ज्यादा थे ?

श्री स० मो० बनर्जी : गृह मंत्री जी ने इसके पहले एक ब्यान देते हुए कहा था कि मालूम होता है उसमें कुछ विदेशियों का भी हाथ है, मैं जानना चाहता हूं कि इनवैस्टिगेशन के बाद क्या यह मालूम हुआ है कि इनमें विदेशियों का हाथ है, यदि हां, तो वह कौन देश है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं ने यह नहीं कहा कि विदेशियों का हाथ है। मैं ने तो यह कहा था कि कभी कभी यह शक होता है कुछ एक, दो खबरे ऐसी मिलीं जिन से इस बात का कुछ शक हुआ कि कोई बाहर का एजेंट या कुछ लोग तो उसमें मदद नहीं करते। अभी तक जो हम ने खोज की है उस में ऐसी कोई बात साबित नहीं हुई है।

श्री लहरी सिंह : जो पांच केसेज़ बतलाये गये कि कामयाब हुए तो क्या उन पांच केसेज में कोई एप्रूवर टर्न हुआ, एप्रूवर पेश किया गया और उस से दरियाफ्त करने पर क्या इन के बारे में कोई क्लियू निकलता है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : नहीं, ऐसी तो कोई खास बात मालूम नहीं हुई। जिन को हम ने पकड़ा था उनके पास बयानात लेने से मालूम हुआ। जैसा में ने अभी बतलाया ५ में चालान केस चल रहा है और ४ में अभी इनक्वायरी हो रही है। इसके अलावा स्पेशल स्टाफ ने ऐसे बहुत से लोगों को पकड़ा है जिनके कि पास यहां से क्रेकर्स वगैरह निकले हैं तो अब उन्हीं का ब्यान काफी हो जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले की कमी

+

*३७०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी दूर करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या नौकाओं से कोयला ढोने के संबंध में भी कुछ फैसला हो गया है तथा यदि हां, तो इससे कितना कोयला जा सकेगा; और

(ग) क्या भविष्य में विशेष कर संकट काल में उद्योगों को कोयले की कमी न हो इसके लिये भी क्या कोई योजना बनाई गई है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) यह (अर्थात नीचे दिये गये आंकड़ों से) स्पष्ट है कि कोयले की सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अक्तूबर, १९६२ से लेकर जनवरी १९६३ के दौरान में प्रतिमास में कोयले का प्रेषण लगभग ५ मिलियन मीटरी टन तक पहुंच गया है जबकि अक्तूबर १९६१ से लेकर जनवरी १९६२ के चार महीनों के दौरान में प्रतिमास में प्रेषण लगभग ४ मिलियन मीटरी टन था ?

(ख) सड़क एवं नदी मार्ग द्वारा इलाहाबाद में कोयले को भेजा जा रहा है। अब तक पूरे किये गये तीन फेरों में लगभग ११७३ मीटरी टन कोयला भेजा गया है। इस पद्धति द्वारा कोयले के परिवहन के लिये दीर्घाविधि उपाय और भेजी जा सकने वाली कोयले की मात्रा अभी विचाराधीन है।

(ग) वर्तमान संकट काल में विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि बड़े उपभोक्ताओं को कोयले की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में बड़े उपभोक्ताओं के पास कोयले का काफी स्टाक है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि कोयले की कितनी कमी थी उस को ध्यान में रखते हुये जैसा अभी आपने विवरण दिया कि बहुत अंश तक उस को दूर किया जा सकता है, तो कितने प्रतिशत उस कमी को दूर किया जा सका है और कितने प्रतिशत का अभी अभाव है जिसको कि आप दूर करने के लिए योजना बना रहे हैं ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : वास्तविक स्थिति तो यह है कि इस समय कोयले के न पहुंचने के बारे में जितनी भी शिकायतें थीं वे क़रीब क़रीब ख़त्म हो गयी हैं। जहां कोयले की आवश्यकता है वहां पर्याप्त मात्रा में कोयला पहुंच चुका है और पहुंच रहा है। अलबत्ता जैसे भट्टे वालों को मकान बनाने वाले ईंटों के निर्माण के लिये कोयले की ज़रूरत पड़ती है, वह बहुत सी जगह विस्तत रूप में फैले हुए हैं इसलिये इन तक यो कोयला पहुंचाने में और रेलवे वैगंस काफ़ी मिलने में दिक्कतें पड़ जाती हैं फिर भी मैं समझता हूं कि अधिकांश शिकायतें अब नहीं रह गयीं हैं और आशा है कि निकट भविष्य में वे और भी भी कम हो जायेंगी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों ने और बड़ी बड़ी फैक्टरीज चलाने वालो ने जो अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए कोयले के सम्बन्ध में आपको कुछ आवेदन-पत्र दिये थे, उनको पूर्णतः संतुष्ट किया जा चुका है या उन में भी अभी कुछ कमी रहती है जिसको कि पूरा करने के लिये आप योजना बना रहे हैं ?

श्री के० दे० मालवीय : मेरे पास तो कृतज्ञता प्रकट करने के लिये आ रहे हैं कि हम ने उन को और कोयला भेजना बंद कर दिया है । वहां कोयला बहुत इकट्ठा हो चुका है । अक्सर कारखानों के पास कोयला काफ़ी मात्रा में डम्प रहने से उस में आग लग जाने का डर रहता है । वह बहुत प्रसन्न है कि उन के लिये कोयला नहीं पहुंच रहा है । लेकिन जैसे ही कोयले की फिर कमी होगी उस को पूरा करने और कोयला सप्लाई करने का पूरा प्रबन्ध सरकार ने कर कर रक्खा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी आप ने फ़रमाया कि कोयले के लिए परमिट लेना होता है . . .

श्री के० दे० मालवीय : जी हां, वह तो सही है लेकिन जैसा कि मैं ने अभी फ़रमाया मेरे पास इंडस्ट्रीज़ को कोयला न पहुंचने की कोई शिकायत नहीं इस समय नहीं है बल्कि मुझे तो यह कहा जा रहा है कि मैं उन के पास कोयला कम भेजूं क्योंकि उनके पास कोयला काफ़ी इकट्ठा हो चुका है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : क्या सरकार ने कोयला खानों का सर्वेक्षण और निरीक्षण कर लिया है और यह देख लिया है कि कोयला भेजने में तो वहां कोई त्रुटि नहीं है ?

श्री के० दे० मालवीय : इस की तो कोई शिकायत नहीं है अलबत्ता कुछ शिकायतें इस किस्म की ज़रूर आ रही हैं कि उनको ख़राब कोयला भेजा जा रहा है । जहां तक क्वालिटी का का सम्बन्ध है, अच्छा कोयला नहीं जा रहा है और सरकार संतुष्ट नहीं है । लेकिन जहां तक कोमले की सप्लाई का सवाल है पर्याप्त मात्रा में वहां पहुंच रहा है और उसके बारे में कोई ख़ास असन्तोष नहीं है । कहीं कहीं स्थानीय असन्तोष हो सकता है जिसकी कि हमें सूचना नहीं है । जब उस की सूचना हो जाती है तो हम उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या सरकार ने विशेष डिजाइन के कुछ जहाज़ों की प्राप्ति के लिए नरेन्द्र सिंह समिति की सिफारिशों के बारे में कोई निश्चय किया है ; और यदि हां, तो क्या ये जहाज़ कलकत्ता और विशाखापत्तनम में बनाये जायेंगे ?

†**श्री तिम्मय्या** : गार्डन रीच वर्कशाप या गैर-सरकारी निर्माताओं से देश में बने परिवहन जहाज़ प्राप्त करने के लिए कुछ सम्भावनायें सरकार के विचाराधीन हैं । विदेशों से भी विशेषकर रुपया भुगतान पर परिवहन जहाज़ प्राप्त करने की सम्भावना भी विचाराधीन है ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : मंत्री महोदय ने हमें देश में कोयले की प्रचुर मात्रा के बारे में बताया है । मंत्रालय में विभिन्न शीर्षों अर्थात्, बड़ा पैमाना, औसत पैमाना, छोटा पैमाना के अन्तर्गत कोयला के उपभोक्ताओं का और सामान्य कोयला-उपभोक्ता के रूप में वर्गीकरण किया है ? उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के आंकड़े क्या हैं ?

---

†भूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं नहीं समझता कि मैं ने देश में कोयले की प्रचुरता की बात कही है । मैं ने यह बताया है कि अभी जैसी कि स्थिति है, मांग अधिक नहीं है जैसी कि पहले होती थी । और प्रतीत होता है कि बड़े उपभोक्ता सन्तुष्ट हैं कि उन्हें उचित रूप में कोयला मिल रहा रहा है । जहां कोयले की थोड़ी मात्रा अपेक्षित है , उदाहरणार्थ , ईंट पकाने का कोयला, उन्हें अब भी आवश्यकता है , परन्तु परिवहन की कठिनाइयों तथा विभिन्न ताओं के कारण शायद उन्हें कुछ कठिनाई हो, परन्तु हम इसे भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोयला बड़ी मात्रा में 'ब्लाक रेट' पर ढोया गया और राशियापन किया गया । अतः आजकल कोयला की कोई शिकायत नहीं है ।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** : मैंने माननीय मंत्री जी का उत्तर सुन लिया है । परन्तु श्री प्रकाश बीर शास्त्री के के प्रश्न के पहिले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या कोयला को नौकाओं से ढोने को बारे में कोई निश्चय किया गया है, और यदि हां, तो इस तरह कितना कोयला ढोया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे खेद है कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। हमने नदी द्वारा कोयले ढोना कुछ समय पहले आरम्भ किया है और यह काम अभी परीक्षात्मक आधार पर हो रहा है । इस में अनेक कठिनाइयां हैं उदाहरणतः नदी का नियंत्रण करना, उचित प्रकार की नौकाओं की उपलब्धि और, उदाहरणार्थ ,कोयला के इलाहाबाद पहुंचने का व्यय जहां कि यह कार्य परीक्षात्मक आधार पर किया हो रहा है । मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह परीक्षा सफल रहेगी और हमें नौकायें मिल सकेंगी और कुछ समय बाद नदी को नियंत्रित कर सकेंगे जब कि हमें आवश्यक सामग्री प्राप्त हो जायेगी ।

†**डा० रानेन सेन** : इसका ध्यान रखकर कि दामोदर घाटी निगम का एक उद्देश्य उस क्षेत्र से कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र को कोयला तथा अन्य सामग्री पहुंचाना था, क्या इस क्षेत्र से वृहत् कलकत्ता प्रदेश को इस प्रकार कोयला पहुंचाया गया ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अभी नहीं हमारा विचार ऐसा करने का है ।

†**श्री दाजी** : मंत्री जी के उत्तर की दृष्टि से क्या हम यह समझें कि राज्यों के कोटाओं में की गई कमी पूर्णतया पूरी कर दी गई है ? यदि हां, तो कब से ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : रेलवे के वैगनों की कमी के कारण कुछ समय पहले की गई कमी पूरी तरह पूरी की गई है; परन्तु मांग काफी सीमा तक पूरी कर दी गई है । और अब ऐसी कमी नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : उद्योगों के लिये उपलब्धि सन्तोषजनक होने का ध्यान रख कर क्या सरकार का विचार उन स्थानों पर कोयला समुद्र मार्ग से भेजने की योजना बदलने का है जहां आर्थिक सहायता के रूप में भारी व्यय करना पड़ता है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि इस प्रश्न की जांच की आवश्यकता है परन्तु सरकारी विशेषज्ञ इस बात पर मुझ से सहमत नहीं हैं । उन का विचार है कि यह आयोजना कुछ और समय तक जारी रहेगी । हम इस पर बहुत ही सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजनैतिक नजरबन्दों को परिवार भत्ते

†*३७१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन राजनैतिक नजरबन्दों को उन के आश्रितों के पोषण के लिए कोई परिवार भत्ते दिये जाते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख) भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन राज्य सरकारों के अधिकार है कि वे इन नियमों के अधीन नजरबन्द बनाये गये व्यक्तियों के साथ कार्यवाही करने के लिये नियम बनायें। फिर भी उन्हें, यह सुझाव दिया गया है कि उन मामलों में अनुग्रहीत आधार पर परिवार भत्ता दे दिया जाय जिन के बारे में सरकार को विश्वास है कि किसी व्यक्ति की नजरबन्दी से उस के परिवार के जीवन-साधन पर बुरा प्रभाव पड़ा है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विभिन्न राज्यों को यह सामान्य निदेश कितने समय पहले दिया गया था ?

†**श्रीमती चन्द्र शेखर** : इस वर्ष के आरम्भ में।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार कोई जानकारी है कि कितने राज्यों में और किस किस राज्य में अब तक इन राजनीतिक नजरबन्दियों को कोई परिवार भत्ता दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : आसाम में, उन्हों ने ऐसा किया है। वास्तव में उन्हों ने प्राय: सभी नजरबदिन्यों को यह वित्तीय सहायता देने का निश्चय किया है। हां, यह अल्पकाल के लिए है। बाद में वे स्थिति का पुनरीक्षण कर सकते हैं।

अन्य राज्यों के बारे में मैं ब्यौरा नहीं दे सकता। परन्तु सिद्धान्त रूप में वे सब सहमत हैं, निश्चय ही उन नजरबन्दियों को मासिक भत्ता देंगे जिन्हें उस की आवश्यकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अनुग्रहीत भगतान करना होगा। क्या राज्य सरकारों को कोई निदेश दिया गया है कि भत्ता कितना हो ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी नहीं। इस मामले में, ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया है और न देने का विचार है। परन्तु सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है। हमने उन्हें बता दिया है कि विभिन्न मामलों में हमारी सलाह क्या है।

†**श्री बड़े** : क्या भत्ता नजरबन्द व्यक्ति के स्तर के मुताबिक दिया जाता है या राज्य की इच्छानुसार ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं इसका उत्तर पहिले ही दे चुका हूं।

†**श्री बड़े** : सिद्धांत निम्न है—नजरबन्द व्यक्ति का स्तर या राज्य की इच्छा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : सरकार इच्छाओं से ही नहीं चलती। वह सदैव कुछ ठोस आधार पर कार्यवाही करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुलिस प्रशासन

†३७२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस प्रशासन में कोई सुधार करने का विचार है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के पुलिस आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों की जांच कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवोस)** : (क) पुलिस पूर्णरूपेण राज्य सरकारों का विषय है। उनमें से कुछ ने पुलिस प्रशासन के सुधार के प्रश्न की जांच करने के लिये पुलिस आयोग/समितियां बनाई हैं ।

(ख) और (ग) अब तक उपलब्ध पुलिस आयोगों/समितियों की रिपोर्टों का प्रारम्भिक परीक्षण इस उद्देश्य से गृह-कार्य मंत्रालय में किया गया है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि देश में पुलिस प्रशासन की सामान्य मूल एकता बनी रहे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मेरे प्रश्न के भाग (क) का संबंध केन्द्रीय सरकार के पुलिस संस्थान, पुलिस गुप्तचर सेवा आदि से है। क्या इस रूप में केन्द्रीय सरकार ने पुलिस प्रशासन का महाविस्तार तथा शाखा विभाजन की दृष्टि से, केन्द्रीय स्तर पर किसी सुधार के बारे में सोचा है ? क्या माननीय मंत्री को स्मरण करा दूं कि एक अखिल भारतीय पुलिस आयोग ६० से अधिक वर्ष पहिले नियुक्त किया था और जो भारी परिवर्तन हुये हैं उनका तथा उच्चतम न्यायपालिका द्वारा व्यक्त किये गये असन्तोष की दृष्टि से क्या स्वयं भारत सरकार ने इस पर कोई विचार किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : केवल यही प्रणाली नहीं है जिससे पुलिस या पुलिस प्रशासन के कार्य में सुधार हो सके। हम नियम बना सकते हैं और विधान बना सकते हैं। इससे कुछ सहायता मिलेगी परन्तु इससे अधिक लाभ न होगा । अनिवार्य यह है कि पुलिस कर्मचारियों के विचारों में परिवर्तन लाया जाये । परन्तु मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इस मामले पर अखिल भारतीय आधार पर विचार करना चाहिये । जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है. विभिन्न राज्य सरकारों ने आयोग नियुक्त किये हैं और ऐसे आयोग नियुक्त किये हैं । उन्होंने अपनी सिफारिशें की हैं । हां, इन आयोगों की सिफारिशों को लागू करना पूर्णतया राज्य सरकारों का काम है, परन्तु हम भी उनकी जांच करने का प्रयास कर रहे थे ताकि राज्य तथा राज्य के बीच और राज्यों तथा केन्द्र के बीच आजकल जो एकता है, वह पूरी तरह बनी रहे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जैसा कि स्वयं माननीय गृह-कार्य मंत्री कहते हैं, यह केवल प्रणाली का मामला नहीं है, यह विचारों का प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न है, और इस लिये आयोग का मेरा प्रश्न पैदा हो जाता है । आयोग केवल प्रणाली की ही जांच नहीं करता, वह तो समूचे मामले की जांच करता है । ब्रिटेन में भी, जहां की पुलिस की बड़ी ख्याति है, उन्होंने आयोग नियुक्त करना उचित समझा और रिपोर्ट से बड़ी बातें ज्ञात होती हैं । अतः अब हमने अखिल भारतीय पुलिस सेवा बनाई है.....

†**अध्यक्ष महोदय** : अब वह प्रश्न पूछें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह उसी दृष्टि से जानना चाहता हूं कि क्या कुछ सुधार व परिवर्तन करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर कोई विचार किया है और क्या उन्होंने केन्द्रीय स्तर पर एक पुलिस आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता की जांच की है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमने मामले पर विचार किया है और कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया है, परन्तु इस आपात काल में मेरा विचार इस प्रकार का आयोग नियुक्त किये जाने का नहीं है। हां इस पर बाद में विचार किया जा सकता है।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या राज्य सरकारों के परामर्श से सरकार ने पुलिस के लिये कोई आचरण संहिता बनाई है, विशेषकर ऐसी भीड़ के साथ कार्यवाही करने के लिये जो शांत न हो तथा अनोपद्रवी न हो, और उनके बल प्रयोग करने के इस पहलू से, कि वे कैसा और कितना बल प्रयोग करें और कब और कैसे ऐसी भीड़ या जलूस के साथ बल प्रयोग करें, और यदि हां, तो क्या मंत्री जी अपने अनुदेशों का कोई संक्षेप बतायेंगे ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां। अग्नास्त्रों के प्रयोग के बारे में हमने सामान्य सूझाव तथा सलाह सभी राज्य सरकारों को दी है कि उनका कब प्रयोग किये जाने चाहिय और प्रयोग कैसे रोका जाये और क्या निरोधात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि पुलिस को गोली न चलानी पड़े। जहां तक आचरण संहिता का संबंध है, मुझे विश्वास है कि यदि माननीय सदस्य इसे देख, तो वे तत्काल अत्यधिक सन्तुष्ट महसूस करेंगे। आचरण संहिता प्राय पूर्ण है। बात यह है कि क्या हम इसे वास्तव में व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह गोपनीय है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : नहीं, यह गोपनीय नहीं है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि पुलिस प्रशासन का ज्यादातर राज्य सरकारों से संबंध है। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार के संबंध में क्या सरकार ने कुछ विचार किया है, यदि हां, तो क्या ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : सुधार तो वही हैं जोकि और प्रदेशों में विचार किये गये हैं और कमिशंज ने जो राये दी हैं। उनके अलावा कोई भी ऐसी नई बात हम नहीं कर सकते हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : किस राज्य का पैटर्न आपने अखत्यार किया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यूनियन टैरिटरीज़ जिन जिन सूबों के पास हैं, उन उन सूबों के तरीकों को हम अखत्यार करना पसन्द करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के बारे में पंजाब और उत्तर प्रदेश के तरीके को, मनीपुर, त्रिपुरा के बारे में असम बंगाल के तरीके को।

सेवानिवृत्ति की आयु के बाद अध्यापकों की सेवायें

†*३७४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक योजना बनाई है जिससे कि विश्वविद्यालय और कालेज सेवानिवृत्ति की आयु के बाद चुने हुये अध्यापकों और अनुसंधानकर्त्ताओं की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ग) व्यक्तियों के चुनाव की प्रणाली क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में इस काम के लिये, २,४३,००० रुपये की राशि आवंटित की गई है ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विविध क्षेत्रों में प्रसिद्ध शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की चुनाव समिति की सहायता से सेवानिवृत्त अध्यापक/अनुसंधानकार्यकर्त्ता चुनता है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस योजना से अब तक कितने अध्यापकों को लाभ प्राप्त हुआ है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : पहले चुनाव में, २४ व्यक्ति चुने गये थे, दूसरे और तीसरे चनावों में २३ और २२ क्रमश: अभी तक कुल तीन बार चुने गये हैं ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि इस योजना के लिये दी गई राशि, जो समूचे देश के लिये है, अपर्याप्त है और यदि हां, तो इसके लिये सहायता बढ़ाने के हेतु सरकार क्या कर रही है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं मानता हूं कि आवंटित राशि कम है क्योंकि हमने आरम्भ ही किया है और ज्यों ज्यों योजना आगे बढ़ेगी, अधिक धन दिया जाता रहे गा ।

श्री विश्राम प्रसाद : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो ऐसे प्रोफेसर जोकि रिटायर होकर पार्लिमेंट में आ गये हैं, उनकी भी सेवायें उसमें ली जा सकेंगी ?

अध्यक्ष महोदय : उनकी सेवायें वहां लेगे तो यहां से हम निकाल देंगे ।

†श्री शं० ना० चतुर्वेदी : क्या ये अध्यापक विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में रह सका है क्या उनको वार्धक्यता प्राप्त करने के पश्चात रखा जाता है ? इस कठिनाई को कैसे दूर किया जाता है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जो अध्यापक नौकरी से सेवा निवृत होते हैं उन को किसी विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्था में लगाया जाता है जहां वे अपना अंनुसंधान कार्य जारी रख सकें या कुछ लिख सकें ।

†श्री भागवत झा आजाद : आवंटित धन सिफारिशों से कितना कम था, जो इस वर्ष या गत वर्ष में देश के विभिन्न भागों से सरकार को प्राप्त हुई थीं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यह नई याजना है । हमने अभी शुरू ही किया है । पिछले तीन चुनावों में कुछ अध्यापक चुने गहे थे, जैसा मैं ने पहले बताया, क्योंकि कुछ पृष्ठभूमि या कुछ अनुसंधान कार्य के कारण, जो उन्होंने पहले किया है और यदि किसी ने सराहनीय कार्य किया है ता मुझे विश्वास है कि उसे धनाभाव के कारण चुने जाने से वंचित नहीं किया जाएगा : अब भी धन इस मार्ग में रुकावट नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में घ बार व्यक्ति

†*३७७. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार दिल्ली के बेघरबार व्यक्तियों को किन्हीं अन्य स्थानों पर आवास स्थान देने की योजना लागू की जा रही है और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) दिल्ली में बेघरबार व्यक्ति कितने हैं तथा उनका जीविका साधन क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) २८ फरवरी और ३ मार्च १९६१ के बीच रात्रियों को जनगणना कार्य के सुपरिटेंडेंट द्वारा बेघर लोगों की की गई जगणना से पता चला कि उनकी संख्या ६२३६ थी। उनके जीवन निर्वाह के साधनों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

†**श्री मोहन स्वरूप** : क्या यह सच है कि कुछ लोगों की बहुत सी इमारतें टोली द्वारा गिरादी गई हैं, यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री हजरनवीस** : जहां तक मैं जानता हूं, ये इमारतें उन लोगों के कब्जे में नहीं थीं जिनको बेघर लोग कहा जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहना चाहते हैं कि उनके घर थे, जिनको गिरा दिया गया, और वे बेघर बना दिये गये।

†**श्री हजरनवीस** : जी नहीं ।

†**श्री मोहन स्वरूप** : बहुत सी इमारतें गिरा दी गयीं जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोग बेघर कर दिये गये। दिल्ली में आजकल यही हालत है।

†**श्री हजरनवीस** : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

†**श्री हेम बरूआ**: समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था और लोगों के चित्र भी थे जिनके मकान गिरा दिये गये थे और जो इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिये प्रार्थनाएं कर रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का उद्देश्य यह जानने का है कि क्या की गई जनगणना में वे लोग भी शामिल हैं, जिनको हाल ही में बेघर कर दिया गया है ?

†**श्री हजरनवीस** : जनगणना २० फरवरी और ३ मार्च १९६१ के बीच में की गई थी। यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रश्न का इन आंकड़ों से कोई संबंध है ; किन्तु मैं यह नहीं मानता कि मकानों के गिराये जाने के कारण बहुत लोग बेघर हो गये हैं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या दिल्ली सलाहकार समिति ने यह सुझाव दिया है कि अत्याधिक सर्दी या गर्मी को ध्यान में रखते हुए, इन लोगों को सोने के लिये कोई रात्रि विश्राम गृहों की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरनवीस** : दिल्ली सलाकार समिति ने कोई निर्णय नहीं किया, परन्तु गैर सरकारी संस्थाएं और नगरपालिका निगम इन बेघर लोगों के लिये रात्रि विश्रामस्थान बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री कछवाय : अभी हाल में दिल्ली में जो झुग्गी झौंपड़ियां उखाड़ी गई हैं और इसके फलस्वरूप जो लोग बेघरबार हो गए हैं, उनको बसाने के लिये भी क्या कोई विशेष प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यही तो सवाल अभी हुआ है।

श्री जगदेव सिंह सिध्दान्ती: क्या सरकार के पास गवर्नमेंट आफ इंडिया के उन कर्मचारियों की सूची है जिनको अभी तक मकान एलाट नहीं हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय । वह दूसरा सवाल हो गया।

श्री बेरवा कोटा : दिल्ली में कई हजार पुलिसमैन ऐसे हैं जिन के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं, क्या इसकी भी सरकार को खबर है ?

अध्यक्ष महोदय : पुलिसमैन का अलहदा इन्तजाम करेंगे ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री जी ने यह बाताया कि कुल संख्या लगभग ६००० है। इन वर्षों में कितने रैन बसेरे बनाये गये हैं। कुल संख्या कितनी है और स्थान कितना है ?

†**श्री हजरनवीस** : भारत सेवक समाज द्वारा ५०० लोगों के लाभार्थ छः स्थायी रैन बसेरे बनाये गये हैं। एक अन्धा मुगल में है जहां १०० लोगों की व्यवस्था है। कुल मिला कर अभी तक हम लगभग एक हजार लोगों के लिये प्रबन्ध कर सके हैं, अन्य स्थान का ध्यान रखते हुए, चार समाज शिक्षा केन्द्रों में अस्थायी व्यवस्था की गई थी; एक धर्मशाला, एक स्थायी चक्षु अस्पताल और टाउन हाल का दरबार हाल। हम कुल १००० लोगों के लिये रैन बसेरे में प्रबन्ध कर सके हैं।

श्री विभूति मिश्र : दिल्ली के बड़े-बड़े राजा और महाराजा, सेठ और साहूकार और बड़े बड़े अमीर जिनके कि मकान पड़े हुए हैं काफी तादाद में, क्या उनसे भी अपील की गई है कि गृह-विहीन लोगों को वे उनमें रख लें ?

†**श्री हजरनवीस** : यह कार्रवाई का सुझाव है। किन्तु मुझे निश्चय है कि माननीय सदस्य की सबल अपील बेकार नहीं जायेगी।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : दिल्ली में प्रति दिन कितने लोग बाहर से आते हैं और क्या सरकार बेघर लोगों की समस्या को हल करने के लिये आने वालों की इस मात्रा को रोकने के लिये कोई कार्रवाई कर रही है ?

†**श्री हजरनवीस** : हम संविधान के अधीन ऐसा नहीं कर सकते।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : किस दर पर लोग आते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि यह संभव नहीं।

श्री त्यागी : ये लोग क्या दिल्ली में मुस्तकिल तौर पर रहने वाले हैं या बाहर से आकर यहां पड़ गए हैं ? क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्कीम सोची है कि इनको कोई लेबर कोर वगैरह में भरती करके इनसे काम लिया जाए ताकि इनको इम्पलायमेंट भी मिल जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : कई बातें इसमें मिला दी गई हैं। जो सवाल है वह सिर्फ उन लोगों से ताल्लुक रखता है जो कि यहां हैं, कुछ दिनों से, और काम करते हैं और जिनके पास मकान या रहने का कोई शैल्टर नहीं है। उनके लिये जैसा अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कुछ भारत सेवक समाज के द्वारा इंतजाम क ए जा रहे हैं। इसके अलावा कारपोरेशन की अपनी स्कीम है और उसमें हम काफी कुछ कंस्ट्रक्शन सादे किस्म के करने वाले हैं ताकि जिनके पास रहने का स्थान अभी नहीं है या जिनके पास देर में होगा, वे उसमें रह सकें। मैं चाहता हूं कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि कारपोरेशन अपने मकानों को बनवाने में जल्दी करे।

नजरबन्द चीनियों के परिवारों को भत्ते

+

†*३७८. { श्री हरि विष्णु कामत :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में नजरबन्द चीनियों के परिवारों तथा/अथवा आश्रितों को भत्ता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) और (ख) नजरबन्द लोगों के परिवार, जो सर्वथा उन पर ही निर्भर हैं, जिनका निर्वाह का कोई साधन नहीं है, उनको निम्न दर के अन्दर मासिक गुजारा भत्ता मिल सकता है :

(१) बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली नगरों में ६० रुपये प्रति स्त्री।

(२) ५० रुपये अलग और

(३) १२ वर्ष से नीचे के प्रत्येक बच्चे के लिये २० रुपये।

†श्री हरि विष्णु कामत : परिवारों के मुखियाओं के गिरफ्तार, नजरबन्द या बन्द किये जाने के पश्चात् कितने परिवार वापिस भेजे गये हैं ?

†श्री हजरतवीस : प्रत्येक मामले में निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उन नजरबन्द लोगों की संख्या प्राप्त नहीं है, जिनके परिवारों को यह भत्ता दिया गया है।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री। अभी तक किसी को वापस नहीं भेजा गया। किन्तु हमने कहा है कि यदि चीन एक जहाज भेजने को इच्छुक है, तो हम निश्चय ही उनको भेज देंगे।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि पेकिंग रेडियो और अन्य चीनी सरकार के प्रचार साधनों ने निन्दापूर्वक यह गलत प्रचार किया है कि सरकार चीनी नजरबन्द और उनके परिवारों के साथ भारत में बुरा व्यवहार कर रही है, और यदि हां, तो सरकार ने भारत विरोधी ऐसे झूठे प्रचार का खण्डन करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह अत्यन्त खेद की बात है कि जिस प्रकार माननीय सदस्य ने बताया है उस प्रकार झूठा प्रचार किया जाए। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि प्रचार पूर्णतया गलत है और हमने न केवल अपने देश में अपितु एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण—अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास को भी यह बात स्पष्ट कर दी है। उनका प्रतिनिधि यहां आया था, वह शिविरों में गया और उन्होंने हालात बड़े सन्तोषजनक देखे। उन्होंने कुछ सुझाव दिये जिनको हमने कार्यान्वित किया।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : परिवार भत्ता के सम्बन्ध में, इन चीनी नजरबन्द लोगों को भत्ते की यह एकरूप योजना किस आधार पर चल रही है, जब कि भारत के नजरबन्द लोगों के बारे में यह अस्वीकार की गई थी ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह अस्वीकार नहीं की गई जहां तक नजरबन्द लोगों का सम्बन्ध है, हमें समान नियम बनाना क्योंकि केन्द्र का सीधा सम्बन्ध है, नजरबन्दों के बारे में राज्य सरकारों को स्वविवेक प्राप्त है।

†श्री हेम बरूआ : क्या यह सच है कि आसाम में चीनी नजरबन्द लोगों के कुछ भारतीय सम्बन्धियों ने यह शिकायत की कि उनको दिया गया भत्ता पर्याप्त नहीं है, जिसने पेकिंग के प्रचार के लिये भी सामग्री जुटा दी ? इसके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : यदि कोई विशिष्ट मामले हैं, तो निश्चय ही राज्य सरकारें उनकी जांच करेंगे। कृपया माननीय सदस्य उसकी सूचना मुझे दे दें।

†श्री हेम बरूआ : क्या सरकार को कुछ सूचना प्राप्त है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमें इस सम्बन्ध में कुछ सूचना जरूर मिलती है। जहां तक मुझे पता है, सम्बन्ध राज्य सरकार का इससे सम्बन्ध होता है।

†श्री प्र० चं० बरूआ : क्या इन चीनी नजरबन्दों के प्रति नर्मी का बर्ताव करने का सरकार का विचार है जिन्होंने भारतीय पत्नियों से विवाह करके भारतीयता स्वीकार कर ली है या जो भारतीय माताओं के पुत्र हैं ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : बहुत सी बातों पर ध्यान दिया जाता है। केवल इसी बात से सरकार कोई निर्णय पक्ष या विपक्ष में नहीं कर सकती।

†श्री हेम बरूआ : आसाम के चीनियों ने हमारी लड़कियों से विवाह कर लिया है।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार को पता है कि चीन में भारतीय युद्ध बन्दियों को केवल चावल मिलता है, जो अच्छी तरह उबला हुआ नहीं होतातथा कोई सब्जी या करी नहीं मिलती ? यदि ऐसी बात है तो सरकार इस काम को ठीक करने के लिये क्या करने वाली है ?

†अध्यक्ष महोदय : युद्ध-बन्दी पृथक श्रेणी में आते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कालाकोट कोयला खानें

+

†*३८०. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० क० देव :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में कालाकोट कोयला खानों को मिलाने के लिए आवश्यक सड़क का निर्माण केन्द्रीय अथवा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के सड़क निर्माण कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कालाकोट कोयला खान विकास परियोजना की क्रियान्विति में यही मुख्य बाधा है ; और

(ग) सड़क को बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जानी है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मया)** : (क) से (ग) निस्संदेह यह सत्य है कि कालाकोट और पठानकोट के बीच सड़क और पुलों आदि की वर्तमान दशा, कालाकट कोयला खानों के किसी बड़े पैमाने के विकास में रोकने वाला मुख्य पहलू हैं, क्योंकि इनसे पर्याप्त क्षमता वाले ट्रकों के द्वारा कोयले का वहन लाभदायक नहीं रहता । अब इन सड़कों और पुलों को थोड़ा और मजबूत करने या कोयला खानों से वैकल्पिक सड़क बनाने के प्रश्न पर विचार करना राज्य सरकार का काम है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : उस सड़क के निर्माण में क्या कठिनाइयां हैं, जिस की उस क्षेत्र में कोयला ढोने के लिये अत्यन्त आवश्यकता है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : कठिनाइयां कुछ प्रविधिक हैं । यह भी सच है कि इस संकट काल के दौरान, सड़कों के निर्माण के लिये उपलब्ध बहुत सी निधि अलग लगा दी गई है । हम जम्मू और काश्मीर सरकार के साथ इस मामले में चर्चा कर रहे हैं और हम अपने मंत्रालय से सब संभव सहायता देने को तैयार हैं ताकि वे इस सड़क को बना सकें ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस सम्बन्ध में विदेशी सहायता अथवा विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त की जा रही हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमें छोटे कामों में विदेशी सहायता क्यों लेनी चाहिये, मुझे यह समझ में नहीं आता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले किसी सदस्य ने आपत्ति की थी कि प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न में नहीं दिया जाना चाहिये ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैंने कहा है कि मुझे समझ में नहीं आता ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : अब जम्मू को एक रेलवे लाइन द्वारा मिलाया जा रहा है, क्या उस रेलवे लाइन को कालाकोट कोयला खानों तक बढ़ाने का भी विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री क० द० मालवीय** : जी नहीं, अभी हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कोयला खानें

†*३८२. **श्री दाजी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)' क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों को आरम्भ करने की योजना का पुनरीक्षण किया गया है ;

(ख)' क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की परियोजनाओं समेत कुछ परियोजनाओं को छोड़ दिया गया है ; और

(ग)' यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मया)**: (क)' से (ग)'. तीसरी पंचवर्षीय योजना में १७० लाख टन अतिरिक्त कोयला उत्पादन करने की राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की मूल योजना में कोई संशोधन नहीं किया गया । और न ही निगम ने मध्य प्रदेश में या अन्य कोई परियोजना छोड़ी है, जो इस कोयले के उत्पादन के लिये बनाई गई है ।

†**श्री दाजी** : 'अभी तक' शब्द भ्रामक है । क्या यह समझा जाए कि अभी तक ऐसा नहीं किया गया, किन्तु यह विचाराधीन है और कुछ नवीन प्रस्तावित खानें तीसरी योजना में आरम्भ नहीं की जाएंगी ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**:मैंने 'अभी तक' शब्दों को ध्यानपूर्वक जोड़ा है, क्योंकि हमारी योजनायें अभी साधारण रुप से चल रही हैं । विदेशी मुद्रा की उपलब्धि या कोयला धोने वाले कारखानों के समय-अनुसूचन के सम्बन्ध में, संभवत: यह उचित नहीं होगा कि वे ऐसा कोयला उत्पादन करें, जो धोया न जा सके और उचित स्थानों पर न भेजा जा सके । अत: बहुत कम गड़बड़ है जैसा आज कोयला धोने के कारखानों के समय-अनुसूचक. कुछ विदेशी मुद्रा की उपलब्धि और एक या दो और बातों के सम्बन्ध में प्रतीत होता है । इसी कारण चौकस रहने के लिये 'मैंने अब तक' शब्दों का प्रयोग किया है और हो सकता है बाद में कुछ रुपभेद करना पड़े ।

†**श्री दाजी** : क्या यह सच है कि शाहडोल क्षेत्र में खानों के कार्यक्रम और कोरवा में विस्तार कार्यक्रम में विलम्ब हो गया है और इसमें और भी विलम्ब होने की संभावना है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं, कोई खास विलम्ब नहीं हुआ, और मैं आशा करता हूं कि उनमें विलम्ब नहीं होगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : योजना में यदि कोई प्रगति की गई है तो क्या, जिसके द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को खानों को चलाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के साथ भागिता करनी थी, जो राज्य सरकार की सम्पत्ति होनी थी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले पर पुर्दविचार किया है । हम ने उन से प्रस्ताव किया था और अब वही क्षेत्र चुने गये हैं जिनके लिये व्यवस्था विचाराधीन है, संभवत: भागिता व्यवस्था न चल सके । हम उनको करने देंगे और जो सहायता समुचित होगी वह हम दे देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० रानेन सेन** : क्या केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिम बगाल सरकार के बीच इस व्यवस्था के किये जाने के पश्चात्, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोई नवीन कोयला खानें खोली गई हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : पश्चिम बंगाल सरकार के आधिपत्य में एक या दो कोयला खान खोलने का विचार है । शुरूआत करना उनका काम है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : परिवहन सम्बन्धी उन कठिनाइयों को कहां तक हटाया गया है, जो रा० को० वि० निगम को पूर्ण उत्पादन करने में रुकावट थीं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कुछ स्थानों में, निस्संदेह, वहन क्षमता नहीं है । किन्तु अन्य स्थानों में, जहां कोयला उत्पादन में मशीनीकरण के द्वारा वृद्धि हुई है, अभी कुछ कठिनाई है । हम इन सब को हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या सरकार सिंगरेनी क्षेत्र में नवीन कोयला खानें आरम्भ करने का विचार करती है, यदि राज्य सरकार उन कोयला खानों को को रा० को० वि० निनगम को देने को तैयार नहीं है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : दुर्भाग्यवश, आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार के बीच झगड़े की सब बातें अभी तय नहीं हो पाई । यदि वे नहीं चाहते कि हम वहां नवीन कोयला खानें खोलें तो हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना होगा कि हम वहां न जाएं ।

†**श्री बड़े** : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में दो परियोजनायें रद्द नहीं गई हैं, अपितु अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना की जरूरत है ।

बरौनी तेल शोधक कारखाना

†*३८३. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, १९६३ तक बरौनी तेल शोधक कारखाने में आंशतः उत्पादन होने लगेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस आंशिक उत्पादन से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ;

(ग) इस तेल शोधक कारखाने के उत्पादों को देश के किस भाग को दिया जायेगा ; और

(घ) अन्तिम उत्पादों की ढुलाई के लिए क्या तरीके अपनाने का विचार है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मया)** : (क) पहली दस लाख टन इकाइयों का प्रारम्भिक टैस्ट तथा उसको चालू करने का काम १९६३ के अन्तिम तीन महीनों में आरम्भ होने वाला है ।

(ख) पहली दस लाख टन इकाइयों और दूसरी दस लाख टन इकाइयों के आरम्भ होने की तिथियों के बीच आंशिक उत्पादन पर विदेशी मुद्रा में लगभग २३ करोड़ रुपये की बचत होने की सम्भावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अधिकतर वस्तुएं बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में बांटी जाएंगी ।

(घ) बरौनी से कलकत्ता/हल्दिया और बरौनी से कानपुर तक वस्तु पाइप लाइन पूरी होने तक रेल टैंक वैगन और टैंक ट्रक ।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : प्रथम प्रक्रम में कौन कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होने वाला है ?

†**खान और धन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मोटर स्प्रिट, उच्च गति डीज़ल और कुछ अवशिष्ट चीजें ।

†**श्री नि० रं० लास्कर** : इस परियोजना पर कितनी राशि खर्च होने वाली है और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**श्री तिम्मय्या** : परियोजना की अनुमानित लागत ४०.५१ करोड़ रुपये है और ३१-३-६२ तक व्यय १०.४८ करोड़ पये ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : असैनिक इंजीनियरी निर्माण में, जो कई वर्ष आगे समझे जाते हैं हम अन्य परियोजनाओं की तुलना में बरौनी में क्यों पीछे रहे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : बरौनी में असैनिक निर्माण कार्यक्रम निस्संदेह कुछ पीछे रह गया है । हम इस बात की जांच कर रहेहैं । संभव है कि श्रमिकों की कमी है और ठेकेदारों के बारे में कुछ कठिनाइयां हैं, जिन्हें कुछ काम करना पड़ता है । हम आशा करते हैं कि हम गवाये गये समय को पूरा कर सकेंगे ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

+

†*३८४. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश अपने अपने राज्यों से अन्य राज्यों में स्थानान्तरित किये गये ; और

(ख) न्यायाधीशों को उनके अपने राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में रखने के प्रस्ताव को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तीन

(ख) पिछले पांच वर्षों में ५ व्यक्तियों को उनके राज्यों से बाहर उच्च न्यायालय का जज बनाया गया है और ३ जजों को उनके अपने राज्यों से बदला गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एक राज्य से दूसरे राज्य में जजों के स्थानान्तरण को सरल बनाने के लिये संविधान (१५वां संशोधन) विधेयक १९६२ में एक उपबन्ध जोड़ा गया है जो इस समय दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के विचाराधीन है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने राज्यों के बाहर से उच्च न्यायालय के जज नियुक्त करने का विरोध किया है और सरकार पिछले पांच वर्षों में राज्य के बाहर से किसी व्यक्ति से नियुक्त नहीं कर सकी है ? यदि ऐसी बात है, तो वे राज्य कौन से हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई करने का विचार किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : इस प्रकार का विरोध नहीं हुआ है । निस्संदेह, कुछ राज्यों ने अपने उच्च न्यायालयों की मंत्रणा पर अपनी कठिनाइयां व्यक्त की हैं । किन्तु मैं कह सकता हूं कि अब वातावरण में कुछ परिवर्तन हो गया है । पुराना विचार कि उच्च न्यायालयों के बीच स्थानान्तरण नहीं होना चाहिये धीरे धीरे त्यागा जा रहा है । जब से मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन ने फैसला किया है कि उच्च न्यायालयों के बीच स्थानान्तरण होना चाहिये, स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है । इसमें सन्देह नहीं कि वे कुछ रियायतें चाहते हैं । उसके लिये एक विधेयक पुरः स्थापित कर दिया गया है और संयुक्त समिति को भेजा गया है । मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति ने अपना काम पूरा कर दिया है । जब संविधान (संशोधन) विधेयक यहां आयेगा और इस सभा द्वारा स्वीकृत हो जाएगा, तब यह बहुत सरल हो जाएगा, इससे जजों के स्थानान्तरण का हमारा काम आसान हो जाएगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री के स्पष्टीकरण से प्रतीत होता है कि अब स्थानान्तरण सरलतापूर्वक संभव होंगे, किन्तु क्या नवीन नियुक्ति के मामले में सरकार यह कोशिश करेगी कि सब नवीन नियुक्तियां राज्य के बाहर से की जाएं, अथवा क्या उनको ऐसा करने में कोई कठिनाई अनुभव होती है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हम इस बात को ध्यान में रख रहे हैं । हम सब के बारे में ऐसा न कर सकेंगे, किन्तु तो भी मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि नवम्बर, १९६१ के पश्चात्, विविध उच्च न्यायालयों में बाहर के १८ व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं । यह केवल स्थानान्तरण के आधार पर नहीं, अपितु हमने ऐसी व्यवस्था की है कि बाहर के लोग आये हैं और वे अन्य उच्च न्यायालयों में काम कर रहे हैं ।

श्री तुलशीदास जाधव : क्या मंत्री महोदय इसका आंकड़ा दे सकते हैं कि किसी प्रान्त में उसी प्रान्त के रहने वाले कितने जज हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : बहुत ज्यादा तो उसी प्रान्त के रहने वाले हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : माननीय मंत्री द्वारा प्रयुक्त 'विरोध' का प्रयोग क्या जजों की ओर से हुआ है, जो अन्य राज्यों में जाना नहीं चाहते ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, वास्तव में माननीय सदस्य ने इस शब्द का प्रयोग किया है और मैंने कहा है कि इस प्रकार विरोध नहीं हुआ । किन्तु यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं कि उच्च न्यायालय के जज अपने ही राज्यों में ठहरना चाहें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि आप विवरण को देखें, तो पायेंगे कि पिछले पांच वर्षों में केवल नौ जज बाहर से नियुक्त किये गये हैं किन्तु माननीय मंत्री कहते हैं कि १८ नियुक्त किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : केवल स्थानान्तरण के आंकड़े यहां दिये गये हैं, किन्तु मैंने बताया कि जहां तक उच्च न्यायालयों में बाहर से नियुक्तियों का सम्बन्ध है। उनके बीच अन्तर है। माननीय सदस्य अन्तर को समझ सकते हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : स्थानान्तरण ३ का हुआ है और नियुक्ति नौ की हुई है किन्तु वह १८ बताते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : संभवतः यह सही नहीं है। वह इसकी जांच कर लेंगे।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : बाहर की १८ नियुक्तियां १ नवम्बर, १९५६ से विविध उच्च न्यायालयों में की गई हैं—एक इलाहाबाद में, एक आंध्र प्रदेश में, इत्यादि। इन में से केवल चार उनके अपने राज्यों से अन्य राज्यों को जजों के स्थानान्तरण से सम्बन्ध रखती हैं।

रूसी विश्वविद्यालयों में भारतीय

+

†*३८५. { **श्री हरि विष्णु कामत** :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस के विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में कितने भारतीय अध्ययन कर रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने भारतीयों को रूस सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां अथवा अन्य प्रकार की सहायता दी गई है ; और

(ग) रूस में वे किन विशेष विषयों का अध्ययन कर रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री मं० रं० कृष्ण)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस योजना को चलाये जाने के बाद कितने छात्र जो कि रूस गये थे भारत लौटने में असमर्थ रहे हैं यद्यपि रूस में उनकी शिक्षा समाप्त हो गई है ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : विद्यार्थी १९६०-६१ में भेजे गये थे तथा उनकी शिक्षा केवल १९६४ में ही पूर्ण होगी।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार को यह समाचार प्राप्त हुए हैं कि रूस की कुछ शिक्षा संस्थाओं तथा विद्यालयों में, यद्यपि भारतीय छात्र केवल प्रविधिक पाठ्यक्रमों तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिये ही भेजे गये हैं, उन छात्रों के लिये जो कि केवल प्रविधिक विषयों का अध्ययन कर रहे हैं मार्क्सवाद-लेनिनवाद की तथाकथित विचारधारा का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ अफ्रीकी विद्यार्थी इन रूसी विश्व-विद्यालयों को इस आधार पर छोड़ आये थे कि उन्हें किसी विशेष विचारधारा के दर्शन में कठिन शिक्षा लेने के लिये विवश किया जाता था, क्या मैं जान सकता हूं कि छात्रों को वहां जाने की अनुमति देने से पूर्व क्या सरकार ने इन विश्वविद्यालयों की शिक्षाओं की पाठचर्याओं की जांच पड़ताल कर ली है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अपने विद्यार्थियों को वहां भेजने से पूर्व सरकार उन संस्थाओं की वास्तविकताओं की जांच करने के लिये प्रत्येक संभव सावधानी बरतती है । सरकार पूर्णतः सन्तुष्ट है कि छात्रगण जिन पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं वे उपयुक्त हैं । वास्तव में विद्यार्थियों को उन्हीं पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना पड़ता है जो कि उन विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाते हैं । यह तो बिल्कुल स्पष्ट ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री यशपाल सिंह :

†**श्री हरिविष्णु कामत** : उत्तर का अन्तिम भाग नहीं सुना गया ।

†**श्री हेम बरुआ** : वाक्य का अन्तिम भाग सुनाई नहीं दिया । सारा प्रश्न उसी पर निर्भर करता है । क्या आप कृपा करके स्पष्टीकरण करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन्हें यह कहते सुना था कि जो पाठ्यक्रम वहां है उनके तथा संस्थाओं की वास्तविकताओं के सम्बन्ध में सरकार ने अपने आपको सन्तुष्ट कर लिया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : अन्तिम वाक्य ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो पाठ्यक्रम वहां निर्धारित है छात्रों को उनका अध्ययन करना होता है । यह उन्होंने कहा था ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : इनके उत्तर में तथा सभा-सचिव के उत्तर में भिन्नता है । इनके पास कम से कम कुछ जानकारी तो है । परन्तु सभा-सचिव के पास कोई जानकारी नहीं थी ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि माननीय सदस्य मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के अध्ययन का विरोध कर रहे हैं तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि भारतीय विश्वविद्यालयों में भी विद्यार्थियों को मार्क्सवाद का अध्ययन करना पड़ता है ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : सबको नहीं, प्रविधिक विषयों के विद्यार्थियों को नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : वह भारतीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में कह रहे हैं । प्रौद्योगिक विषयों का अध्ययन करने वाले हमारे विद्यार्थियों को तो भारतीय संस्कृति का भी अध्ययन नहीं करना पड़ता ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : उन्हें भारतीय दर्शन भी नहीं पढ़ना पड़ता है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या कुछ भारतीय रत्न ऐसे भी हैं जिनकी कि लिटरैरी योग्यता सोवियत रूस की सरकार को पसन्द आ गयी है और उनके पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बाद भी वह उनको यहां नहीं आने देती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अभी थोड़ा अर्सा ही तो उन्हें भेजे हुए हुआ है। अभी तो कोर्स भी ख़त्म नहीं हुआ होगा ।

डा० का० ला० श्रीमाली : जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है वह इस प्रश्न से नहीं उठता है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि स्टूडेंट्स भेजे गये हैं और वहां जाकर वह टेकनिकल कोर्स उनको करना है .....

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** १९६०-६१ में विद्यार्थियों की पहली टोली भेजी गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी सवाल ख़त्म नहीं किया । माननीय सदस्य का सवाल है कि उनकी लिटरेरी काबिलियत सोवियत रूस की गवर्नमेंट को पसन्द आ गई और उन्होंने वहां उनको रक्खा हुआ है और उनको भारत वापस नहीं आने देते, माननीय सदस्य का यही सवाल है न ?

श्री यशपाल सिंह : जी हां, यही सवाल है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरे पास ऐसी कोई इत्तिला नहीं है कि जबरदस्ती किसी को वह रख रहे हैं और आप यह जो जबरदस्ती की बात कह रहे हैं यह एक अनहोनी बात है । किसी इंडियन सिटीज़न को कैसे कोई देश ज़बरदस्ती अपने यहां रख सकता है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है ।

श्री यशपाल सिंह : जबरदस्ती नहीं बल्कि यह भारतीय लोग उनको पसन्द आ गये हैं ।

डा० का० ला० श्रीमाली : अब यह उनको पसन्द आ गये और वह इनको पसन्द आ गये तो अलबत्ता वहां खुशी से रहें ।

श्री यशपाल सिंह : हमरी गवर्नमेंट क्या कोई ऐक्शन नहीं लेगी ..... ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विज्ञान संबंधी राष्ट्रीय गोष्ठी

†*३६८. **श्री बिशनचन्द्र से :** क्या **शिक्षा** मंत्री १४ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) प्रतिवेदन स्वीकृत कर लिया गया है तथा मुद्रित कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गोष्ठी की अधिकांश सिफारिशें राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखती हैं जिनकी कि प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दी गई हैं ।

शिक्षा का माध्यम

†*३७३. **श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाई स्कूल और विश्वविद्यालय स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के बारे में कोई अखिल भारतीय नीति निर्धारित की गई है ; और

(ख) कितने राज्य इस नीति को मानते हैं और पूरी तरह से इसका पालन करते हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–९५३/६३]

हायर सैकेन्डरी स्कूलों का केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध किया जाना

†*३७५. **श्री अ० सि० सहगल : क्या शिक्षा** मंत्री १४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के हायर सेकेन्डरी स्कूलों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध करने के लिए इस बीच कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) क्या इस मामले में कोई कठिनाई आई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९६४ के शिक्षा सत्र के प्रारम्भ से द्वीप समूहों के हायर सैकेन्डरी स्कूलों को बोर्ड से सम्बद्ध करने का निश्चय किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्रास राज्य में तांबा, जस्ता तथा सीसे के निक्षेप

†*३७६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री रा० शि० पाण्डेय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अर्काट जिले में तांबा, जस्ता तथा सीसे के बड़े निक्षेप मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो कहां पर कितनी मात्रा में निक्षेप हैं ; और

(ग) उनका उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) उस जिल में एक छोटे आकार के निक्षेप का पता लगा है ।

(ख) अब तक किये गये अनुसन्धानों के अनुसार, तीनों खनिज पदार्थों के लिये लगभग ८ लाख टन अयस्कों के भण्डारों के होने का अनुमान है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उपयोग के प्रश्न पर तो खोज के वर्तमान कार्यक्रम के पूर्ण होने पर ही विचार किया जा सकता है जब कि इस क्षेत्र की सम्भाव्यताओं[१] का पूरा पूरा तथा अधिक स्पष्ट ज्ञान हो जायेगा।

भारत में तेल शोधक कारखाने

†*३७९. **श्री रा० शि० पांडेय :**
श्री बसुमतारी :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया सरकार ने भारत में कई तेलशोधक कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर ;

(ग) प्रत्येक तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

हायर सैकेण्डरी शिक्षा

†*३८१. **श्री ु० सिंह चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों में मैट्रिकुलेशन शिक्षा की वर्तमान पद्धति को हायर सैकेन्डरी शिक्षा पद्धति में कब तक बदल दिया जायेगा ; और

(ख) इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों द्वारा क्या प्रगति की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) इस समय यह कहना कठिन है कि सभी हाई स्कूलों को कब तक पूरी तरह से हायर सैकेन्डरी स्कूलों में बदल दिया जाएगा।

(ख) विभिन्न राज्यों में हाई और हायर सैकेन्डरी स्कूलों की संख्या, संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-९५४/६३।]**

विदेश में तेल की खोज

†*३८६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार विदेशों में तेल की खोज करने का है;

(ख) यदि हां, तो सब से पहले किन देशों में खोज आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Potentialities.

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये विदेशों में तेल की खोज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

आत्महत्यायें

†*३८७. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री मरंडी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत एक वर्ष में संघ राज्य क्षेत्रों में कतिपय परिवारों द्वारा भूख से बाध्य हो कर की गई आत्महत्याओं की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) १९६२ में संघ राज्य क्षेत्रों में भूख से बाध्य हो कर परिवारों द्वारा आत्महत्या करने के किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोक की कमी

†६९५. श्री मरंडी : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोक की कमी के कारण कुछ कारखानों ने १ सितम्बर, १९६२ से अपने कार्य के घंटों को घटा कर कम कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे कारखानों की संख्या कितनी है;

(ग) कोक की कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) कमी के इन कारणों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (घ). सरकार को ऐसे कोई विशिष्ट समाचार प्राप्त नहीं हुए कि 'हार्ड कोक' की कमी के कारण कुछ कारखानों ने कार्य के घंटों को घटा कर कम कर दिया है । तदपि, यह सच है कि बी० पी० हार्ड कोक की कुछ कमी है । यह कमी कुछ उपभोक्ताओं को बी-हाइव हार्ड कोक तथा नट कोक देकर पूरी कर दी गई है क्योंकि यह समझा जाता है कि इस प्रकार के कोयले से वे अपना काम चला सकते हैं । बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये बी–हाइव कोक के उत्पादन में वृद्धि कर दी गई है ।

मोधड़ा (गुजरात) का सूर्य मन्दिर

६९६. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर गुजरात में स्थित मोधड़ा के सूर्य मन्दिर के उद्धार के लिए कोई योजना स्वीकार की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है और उसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) जी, नहीं। स्मारकों का जीर्णोद्धार करना पुरातत्व के संरक्षण सम्बन्धी सिद्धान्तों के ख़िलाफ़ है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

बाडमेर, जैसलमेर और जोधपुर में पुरातत्वी स्मारक

६९७. **श्री तन सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पुरातत्वीय विभाग ने राजस्थान के बाडमेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के किन-किन स्मारकों और भग्नावशेषों को अपने अधीन ले लिया है और कब से लिया है;

(ख) जैसलमेर के किले की मरम्मत के लिए १९५० से अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया है; और

(ग) इस किले की मरम्मत के लिए १९६३–६४ में कितनी राशि रखी गयी है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) बाडमेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के नीचे लिखे स्मारक और पुराने अवशेष, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक पुरातत्व सम्बन्धी स्थल व अवशेष एक्ट, १९५१ के अधीन सुरक्षित घोषित किये गये थे :—

(१) जिला बाडमेर . . .	कोई नहीं।
(२) जिला जैसलमेर . . .	(१) किला और साथ के पुराने मन्दिर (२) लोदुबा पाटन का प्राचीन स्थल
(३) जिला जोधपुर . . .	मन्दौर का किला।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

(ग) बजट के पास हो जाने पर ही इसे आखीरी रूप दिया जायेगा।

भारत में औसत आयु

†६९८. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भारत में औसत आयु कितनी थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : १९४१ और १९५१ की जनगणना में किये गये जनसंख्या के आयु विभाजन के आधार पर, पुरुषों तथा स्त्रियों की आशातीत आयु क्रमशः ३२·४५ तथा ३१·६६ थी। इसके बाद की अवधि की आयु अभी तक नहीं आंकी गई है क्योंकि १९६१ की जनगणना का सारणीकरण[1] अभी किया जा रहा है।

हरिजन कल्याण के लिये केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

६९९. **श्री सिद्धय्या** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजन कल्याण के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड पुनः गठित हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के क्या क्या नाम हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Tabulation.

†गृह-कार्य मंत्रालय उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) अभी नहीं, परन्तु सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण

†७०० श्री रामचन्द्र मलिक : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ में उड़ीसा राज्य में खनिज पदार्थों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या ब्यौरे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस प्रकार का सर्वेक्षण कब करने का विचार है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) गंजम, धेनकानल, क्योंझर, बोलंगीर, पटना, सम्बलपुर, कालाहांडी, फूलबनी, कटक, बालासोर, तथा कोरापुट जिलों के भागों में खनिज पदार्थों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर लिया गया है ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये अनुसन्धानों से यह पता लगा है कि धेनकानल तथा कटक जिलों में ८ लाख टन क्रोमाइट अयस्क के रक्षित भंडार हैं तथा कालाहांडी जिले में बाक्साइट के भारी निक्षेपों के होने की संभावना है । भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा बारागढ़ उप-खंड के ग्रैफ़ाइट अयस्क के नमूनों की जो जांच की गई थी उससे पता चला है कि वहां इस अयस्क का होना आर्थिक महत्व का नहीं है ।

क्योंझर-कटक-धेनकनाल क्रोमाइट बेल्ट में क्रोमाइट के लिये तथा सम्बलपुर जिले के भागों में ग्रेफ़ाइट के लिये भू-भौतिकीय अनुसन्धान किये जा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†७०१. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में उड़ीसा के किन किन क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है और क्या प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में उड़ीसा के किन-किन क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया जाना है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) गंजम, धेनकनाल, क्योंझर, बोलंगीर, पटना, सम्बलपुर, कालाहांडी, फूलबनी, कोरापुट, बालासोर तथा कटक ज़िलों के भागों में सवक्षण किया गया है । सर्वेक्षण कार्य अभी चल रहा है और इसलिये अन्तिम प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तृतीय पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि में बोलंगीर, पटना, गंजम, पुरी, फूलबनी, कालाहांडी, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, धेनकानल, कोरापुट, बालासोर, मयूरभंज तथा कटक ज़िलों के भागों में सर्वेक्षण किया जाना है।

उड़ीसा में सार्वजनिक पुस्तकालय

†७०२. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में उन सार्वजनिक पुस्तकालयों, और पाठशालाओं तथा विद्यालयों के पुस्तकालयों की संख्या कितनी है जिनको १९६२-६३ में सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी; और

(ख) कुल कितने रुपयों की मंजूरी दी गई थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

साहित्य अकादमी पुरस्कार

†७०३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–१९६३ में विभिन्न भाषाओं के हमारे लेखकों तथा कवियों को साहित्य अकादमी द्वारा दिये गये पुरस्कारों के ब्यौरे क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : गत तीन वर्षों, अर्थात् १९५९ से १९६१ तक, में प्रकाशित महान् साहित्यिक महत्ता की पुस्तकों के लिए साहित्य अकादमी द्वारा १९६२ के लिये निम्नलिखित पुरस्कार घोषित किए गए थे :—

भाषा	पुस्तक	लेखक	पुस्तक किस प्रकार की है
१. बंगाली	"जापाने"	श्री आनन्द शंकर राय	यात्रा संस्मरण
२. गुजराती	"उपायान ग्रंथ"	प्रोफेसर बी० आर० त्रिवेदी	आलोचनात्मक लेख
३. कन्नड़	"महा क्षत्रिय"	(स्वर्गीय) श्री देवुडु	उपन्यास
४. मराठी	"अनामिकाची चिन्तनिका"	श्री पी० वाई० देशपांडे	दार्शनिक विमर्श
५. पंजाबी	"रंगमंच"	श्री बलवन्त गार्गी	भारतीय नाट्यकला का इतिहास तथा विकास
६. तामिल	"अक्काराय चीमैयिल"	श्री सोमू (श्री पा० सोम-सुन्दरम)	यात्रा संस्मरण
७. तेलगू	"विश्ववंद्य मध्यक्करालु"	श्री विश्ववंद्य सत्यनारायन	काव्य
८. उर्दू		श्री अख्तरुल इमाम	काव्य

†मूल अंग्रेजी में

पुरस्कार, जो कि डिब्बों के रूप में होंगे जिनमें कि एक एक तांबे की नक्काशी की हुई प्लेट तथा पांच पांच हजार रुपयों के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रमाणपत्र होंगे, उनके विजेताओं को ३१ मार्च, १९६३ को नई दिल्ली में अकादमी द्वारा किये जाने वाले समारोह में दिये जायेंगे ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी

७०४. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय और केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में हिन्दी के प्रचलन के लिये जो आदेश राष्ट्रपति ने जारी किये थे, उनके कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कौन से विभाग और कार्यालय ऐसे हैं, जिनमें अभी तक इस दिशा में बहुत धीमी अथवा नगण्य प्रगति हुई है ; और

(ग) प्रश्न के भाग (ख) में बताये गये विभागों और कार्यालयों में राष्ट्रपति के आदेशों को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरतवीस): (क), (ख) (ग). ३० जून, १९६२ तक की अर्द्धवार्षिक रिपोर्टों से पता चलता है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर देने के लिये तथा प्रशासनिक रिपोर्टों और सरकारी संकल्पों को छापने के लिये करीब करीब सभी मन्त्रालयों में हिन्दी के प्रयोग में सन्तोषजनक प्रगति हुई है । समय समय पर गृह मन्त्रालय में स्थिति का पुनरीक्षण किया जाता है और जहां आवश्यक हो सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों को उचित सलाह दी जाती है ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो

†७०५. श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकट्ट :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री २३ जनवरी, १९६३ को केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो के सम्बन्ध में दिये तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना के ब्यौरे तैयार कर लिए गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे राज्य सरकारों को भेज दिये गए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोक तथा बी-हाइव कोक का उत्पादन

†७०६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** । क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हार्डकोक तथा बी-हाइव कोक के वास्तविक उत्पादन क्षमता से कम उत्पादन क कारणों की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उपपत्तियां क्या हैं ?

खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). बी० पी० हार्डकोक तथा बीन्हाइव कोक के उत्पादन के सम्बन्ध में हाल में ही कोई जांच नहीं की गई थी । परन्तु कोल कण्ट्रोलर नियमित रूप से ध्यान रखता है कि बी० पी० हाईकोक की अत्यावश्यक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता रहे । हाल में ही बी-हाइव हार्डकोक का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये हैं जिससे हार्डकोक की कमी न हो । बी० पी० हार्डकोक के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता बनाने की योजनायें विचाराधीन हैं ।

माध्यमिक शिक्षा स्तर पर परीक्षा पद्धति

†७०७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि. :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी १९६३ की परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ परीक्षण लागू करने का निर्णय किया है ;

(ख) प्रत्येक प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ के कितने प्रश्न शामिल होंगे तथा इसके लिए कितने प्रतिशत अंक होंगे ;

(ग) वर्तमान पद्धति की बुराइयां इससे कितनी समाप्त हो जायेंगी ; और

(घ) क्या अध्ययन की अवधि में काम के वितरण के आधार पर बाह्य तथा आन्तरिक निर्धारण तरीकों को उपयोग करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ के बारे में एक प्रश्न अवश्य होगा । प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से १० से १५ प्रतिशत के बीच इसके लिए अंक आवंटित कर रखे हैं ।

(ग) इससे केवल परीक्षायें और अधिक उपयुक्त नहीं हो जायेंगी अपितु विचार तथा बुद्धि पर परीक्षा का दबाव कम हो जायेगा ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की प्रशिक्षण संस्था

†७०८. **श्री हेम राज** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ तथा १९६२-६३ में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की प्रशिक्षण संस्था में कितने विद्यार्थियों को प्रवेश मिला था तथा उनकी प्रशिक्षण अवधि कितनी थी ;

(ख) कितने व्यक्तियों ने अर्हता प्राप्त की तथा क्या उनको नियुक्त कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का किरिबुरू लौह परियोजना में केवल एक प्रशिक्षण संस्था है ; संस्था १९६१-६२ में चालू हुई थी। १९६१-६२ में २० प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश मिला था। सभी २० प्रशिक्षार्थियों ने एक वर्ष का प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है। इसके बाद उनको निगम में नियुक्तियां दी गई थीं परन्तु केवल १५ सेवा में आये।

१९६२-६३ में ५९ प्रशिक्षार्थी, जिनको कई प्रकार के अनुभव थे, को विभिन्न अवधि के लिए (न्यूनतम चार महीने) का प्रशिक्षण दिया गया था। उनका प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर सभी प्रशिक्षार्थियों को निगम में लगा दिया गया है।

स्कूल प्रतिरक्षा दल कार्यक्रम[1]

†*७०९. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री दाजी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से गर्मी की छुट्टियों में 'स्कूल प्रतिरक्षा दल कार्यक्रम' आरम्भ करने के लिए कहा है ?

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) राज्य सरकारों को कार्यक्रम की सिफारिश की गई है।

(ख) ब्योरे वाली पुस्तिका की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—९५५/६३]

(ग) जी नहीं।

शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशन

†७१०. श्री यशपाल सिंह: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ में अब तक उनके मन्त्रालय के प्रकाशन विभाग ने किस प्रकार के तथा कितने प्रकाशन निकाले हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : १ अप्रैल, १९६२ से १२ मार्च, १९६३ की अवधि में निम्न प्रकार के इक्यासी प्रकाशन निकाले गये थे :

(क) समितियों, आयोगों, बैठकों, सम्मेलनों, गोष्ठियों आदि के प्रतिवेदन ;

(ख) सूचनात्मक पुस्तिकायें ;

(ग) विशेष अवसरों तथा उत्सवों के लिए अभिभाषण तथा पुस्तिकायें।

(घ) हैंडबुक्स, नियम पुस्तक तथा अन्य विवरणिका।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] School Defence Corps Programme.

(ङ) शिक्षा विकास का पुनरीक्षण ।

(च) विशेष अध्ययन तथा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन ।

(छ) विवरणपत्र तथा सूचीपत्र आदि विविध प्रकाशन, और

(ज) मन्त्रालय की पत्रिका के विभिन्न संस्करण ।

रूसी पाठ्य पुस्तकों की प्रदर्शनी

†७११. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ फरवरी १९६३ को दिल्ली विश्वविद्यालय परिधि में केन्द्रीय शिक्षा संस्था में शिक्षा विज्ञान समेत विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में सभी स्कूल तथा कालिज की पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इससे दिल्ली विश्वविद्यालय के कितने प्रोफेसरों तथा विद्यार्थियों को लाभ हुआ था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य विश्वविद्यालयों में भी प्रदर्शिनी करने का है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां । पुस्तकों का प्रदर्शन रूस में शिक्षा पद्धति का प्रदर्शन करना था ।

(ख) प्रदर्शनी केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों तथा विद्यार्थियों के लिए नहीं है अपितु उन सभी के लिए है जिनकी रूसी शिक्षा पद्धति में दिलचस्पी है । क्योंकि सभी शिक्षा पद्धतियों की जानकारी लाभदायक होती है इसलिए जिन लोगों ने प्रदर्शनी देखी है उनको निश्चित रूप से लाभ हुआ होगा ।

(ग) देश के अन्य भागों में भी प्रदर्शनी करने का विचार है ।

अल्प-विकसित देशों का उद्योगीकरण

†७१२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष फरवरी में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास तथा प्रौद्योगिकीय सम्मेलन में अल्प विकसित देशों के औद्योकीगरण के तरीकों पर बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई थीं ; और

(ग) इन सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) सम्मेलन की कार्य सूची में अल्प विकसित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास भी शामिल था ।

सम्मेलन की कार्यवाही अभी नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार में बौक्साइट अयस्क का परिवहन

†७१३. **श्री हेडा :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेकोस्लोवाकिया ने बिहार में लोहारदागा से पिरी तक **बौक्साइट** अयस्क के वहन के लिये ऊपर का एक ऊंचा रज्जुमार्ग बनाना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(ग) इस काम से कितनी बचत होगी ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) से (ग) तक सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में विष देने की घटनायें

७१४. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृष्णनगर, दिल्ली निवासी सोहन लाल नामक एक व्यक्ति ने अपनी चार पुत्रियों की विष देकर हत्या कर दी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हत्या के कारणों पर प्रकाश डालने वाले पत्रों में उसने लिखा है कि पुलिस के व्यवहार से परेशान हो कर ही उसे यह पग उठाना पड़ा ; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी इकट्ठी करने का यत्न किया है और यदि हां, तो क्या वह किसी निश्चय पर पहुंच सकी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) पुछताछ से ऐसा आभास होता है कि इस अपराध का मुख्य कारण निर्धनता था। मारे गये बच्चों की मां ने जो उस समय वहां नहीं थी, यह ब्यान दिया है, कि पहले भी दो अवसरों पर उस (सोहन लाल) ने बच्चों को मार डालने का सुझाव दिया था, परन्तु उसने ऐसा न करने दिया। सोहन लाल स्वयं फ़रार है।

जिला विवरणिकाओं[1] का संकलन

†७१५. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला विवरणिकाओं के संकलन में कितनी प्रगति की गई है ;

(ख) कितने राज्यों ने विवरणिकाएं पूरी कर ली हैं और सब राज्य कब उनको पूरा करेंगे ;

(ग) क्या समानता लाने के लिये उन की पूर्णता की कोई लक्ष्य तिथि निश्चित की गई है ; और

(घ) पंजाब में कितने जिलों की विवरणिकाएं तैयार हो चुकी हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]District Gazetteers.

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायन् कबिर) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०/९५६/६३]।

(ख) और (ग). किसी राज्य से अभी तक सभी जिला विवरणिकाओं का शोधन कार्य पूरा नहीं किया। चौथी पंच वर्षीय योजना की समाप्ति तक इस काम के पूरा होने की आशा है।

(घ) कोई नहीं।

विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाना

†७१६. श्री हरि विष्णु कामत : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय नागरिकता कितने विदेशियों को प्रदान की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय उद्भव के ४२८६१८ व्यक्ति, १९५५ में अधिनियम के लागू होने से लेकर ३१ दिसम्बर १९६२ तक, नागरिकता अधिनियम, १९५५ के उपबंधों के अधीन भारतीय नागरिक के नाते पंजीबद्ध किया गया है। इसी अवधि में ६७४ विदेशियों को देशी बनने या पंजीबद्ध होने के प्रमाणपत्र दिये गये हैं।

इंडोनेशिया से अशोधित तेल

†७१७. श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल शोधन कारखानों के लिये अशोधित तेल के संभरण के लिये इंडोनेशिया से कोई पेशकश प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) कालटक्स तेल शोधन कम्पनी, विशाखापटनम इंडोनेशिया से पहले ही अशोधित तेल का आयात कर रही है। भारत में आयात करने के लिये अतिरिक्त मात्रा के लिये इंडोनेशिया से कोई पेशकश नहीं आई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राथमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण

†७१८. श्री यशपाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में अब तक प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित राष्ट्रीय गोष्ठी द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित राष्ट्रीय गोष्ठी की सिफारिशें राज्य सरकारों से संबंध रखती हैं और उन के द्वारा ही कार्यान्वित की जा रही हैं।

१९६२–६३ में प्रगति की समीक्षा साधारणतया मार्च १९६३ के पश्चात् की जाती है और संगत सूचना दिसम्बर १९६३ से पहले प्राप्त नहीं होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशुद्ध विज्ञान तथा मानव विज्ञान के प्राध्यापक

†७१९. **श्री हेम बरुआ:** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशुद्ध विज्ञान और मानव विज्ञान विभागों के प्राध्यापकों को वह वेतन मान दिये गये हैं जिसकी घोषणा १९६० में अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् तथा १९६१ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये शोधित वेतन मान पोलिटैक्निकों तथा इंजीनियरी कालेजों में काम करने वाले विशुद्ध विज्ञान एवं मानव विज्ञान के सब प्राध्यापकों पर लागू किये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सब विश्वविद्यालयों में विशुद्ध विज्ञान, मानव विज्ञान तथा समाज विज्ञान विभागों के अध्यापकों के लिये शोधित वेतन मान मंजूर किये हैं । ये शोधित वेतन मान केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों के प्रविधिक एवं गैर-प्रविधिक दोनों प्रकार के अध्यापकों पर समान रूप से लागू किये गये हैं ।

राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में, आयोग ने, प्रविधिक संस्थाओं के लिये, अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये शोधित वेतन-मान मंजूर किये हैं ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय सरकार इन दोनों ने इंजनियरी कालेजों तथा पोलिटक्निकों में काम करने वाले प्रविधिक तथा गैर-प्रविधिक दोनों प्रकार के अध्यापकों के लिये समान वेतन-मान स्वीकार कर लिये हैं ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा

†७२०. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ पद राज्य सेवा पदालि से संबंध रखने वाले लोगों में से भरने के लिये आरक्षित हैं ;

(ख) यदि हां, तो आज तक पुर हुए पदों के राज्य वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) ऐसे आई० ए० एस० पदों को संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सेवा पदालि के लोगों से पुर करन के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ९५७/६३]** ।

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों में से, केवल दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में एक संयुक्त आई० ए० एस० पदालि है । इस पदालि में अभी तक पदोन्नति अभ्यंश में कोई नियुक्ति नहीं की गई, जो केवल कुछ समय पूर्व बनाई गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिलानी में प्रौद्योगिकीय कालिज

†७२१. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में पिलानी स्थित प्रौद्योगिकीय कालेज इकट्ठे किए जायेंगे और उच्च श्रेणी के बनाये जायेंगे ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये कोई विदेशी सहायता प्राप्त होगी ;

(ग) यदि हां, तो किस देश से ; और

(घ) किस प्रकार की सहायता उपलब्ध होगी ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) बिड़ला शिक्षा न्यास इंजीनियरी कालेज समेत पिलानी के वर्तमान तीन कालेजों को मिलाने तथा उन को उच्चतर प्रौद्योगिक संस्था के रूप में विकसित करने का विचार करता है।

(ख) से (घ) तक. अभी तक कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई, किन्तु दो अमरीकी प्रोफैसरों की सेवाओं की व्यवस्था, न्यास को मंत्रणा देने के लिये, मैसाच्यूशैट्स प्रौद्योगिकीय संस्था द्वारा की गई है।

केन्द्र में राज्यों के असैनिक अफसर

†७२२. श्री हरिश्चन्द्र माथर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के असैनिक सेवाओं के कितने अफसर केन्द्रीय सरकार में और विशेष कर केन्द्रीय सचिवालय में डैपुटेशन पर हैं ;

(ख) अफसरों को चुनने के लिये क्या तरीका अपनाया गया है ;

(ग) क्या इस समय डैपुटेशन पर आये हुए अफसरों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा, जिस में उन की वरिष्ठता तथा बदली एवं वह तिथि दी गई हो जब से वे डैपुटेशन पर हों ; और

(घ) १९६३-६४ में कितने अफसर लेने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) केन्द्रीय सचिवालय में १९ राज्य असैनिक सेवा अधिकारी काम करते हैं।

(ख) केन्द्र में नियुक्ति के लिए अफसरों का चुनाव विशिष्ट पदों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है और राज्य सरकारें अफसरों की उपयुक्तता के बारे में सिफारिश करती हैं।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ९५८/६३]।

(घ) कोई अभ्यंश निश्चित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिकर भत्ता

†७२३. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या गृह-कार्य मंत्री १४ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और बम्बई में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता किस दर पर दिया जाता है ; और

(ख) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रतिकर भत्ता ७½ प्रतिशत की दर पर किस आधार पर दिया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) कलकत्ता और बम्बई में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिकर (नगर) भत्ता 'क' श्रेणी के नगरों की दर पर दिया जाता है, जो इस प्रकार है :—

वेतन	प्रतिकर (नगर) भत्ता
१५० रुपये से नीचे . . .	वेतन का १० प्रतिशत, कम से कम ७.५० रुपये और अधिकतम १२.५० रुपये ।
१५० रुपये तथा अधिक .	वेतन का ८ प्रतिशत—निम्नतम १२.५० रुपये और अधिकतम ७५ रुपये ।

(ख) प्रतिकर भत्ता विशेष परिस्थिति में, स्थानीय निर्वहन व्यय को ध्यान में रखते हुए, मूल वेतन की तदर्थ दर ७½ प्रतिशत पर दिया गया है । यह अनुमान अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के केवल स्थानीय तौर पर भरती किये गये कर्मचारियों को मिलता है जिन का वेतन ५०० रुपये मासिक से कम है (सीमान्त समायोजन के अन्तर्गत अर्थात् जिन लोगों को ५०० रुपये मासिक या अधिक मूल वेतन मिलता है, उन को उतनी राशि मिलेगी, जितनी ५३६.४२ रुपये मासिक से वेतन निकाल कर शेष रहे) ।

विद्यार्थियों का दाखिला

७२४. **श्री बेरवा कोटा :**
श्री बड़े :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक राज्य के विद्यार्थी को दूसरे राज्य में दाखिला नहीं मिलता जब तक वह वहां का निवासी न बने ;

(ख) क्या ऐसे कुछ मामले सरकार की जानकारी में आये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) तक. सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

स्नेहन तेलों का अभाव

†७२५. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में मोटर गाड़ियों के लिये प्रयुक्त होने वाले स्नेहन तेलों का अभाव है ; और

(ख) अल्प संभरण के कारण क्या हैं और स्थिति को ठीक करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) मोटर गाड़ियों के लिये स्नेहन तेलों की कमी के कोई विशिष्ट समाचारों की सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) सरकार स्नेहन तेलों का पर्याप्त संभरण करने की आवश्यकता को समझती है । तेल समवायों को, हमारी विदेशी मुद्रा का कठिन स्थिति के अनुसार, अधिकतम संभव मात्रा तक स्नेहन तेलों का आयात करने का अधिकार दिया गया है ।

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†७२६. श्री नम्बियार : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों एवं आदिम जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियों के लिये नियत की गई पूरी राशि खर्च की गई है

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उस का विवरण क्या है ;

(ग) किन राज्यों ने अधिक राशि की मांग की है ; और

(घ) क्या सरकार वर्तमान वर्ष के लिये अतिरिक्त मांग का पूरा करने का विचार करती है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). १९६२-६३ वित्तीय वर्ष पूरा होने के पश्चात ही ठीक स्थिति मालूम होगी ।

(ग) अभी तक सब राज्यों ने, आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल को छोड़ कर, अतिरिक्त धन की मांग की है ।

(घ) जी हां, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के सभी अर्ह राज्यों के सम्बन्ध में ।

मद्रास में इंजीनियरिंग कालेजों में स्थान

†७२७. श्री नम्बियार : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६३-६४ शिक्षा वर्ष के लिये मद्रास के विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों में विद्यार्थियों के लिए स्थान बढ़ाये जा रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस के सम्बन्ध में मद्रास की राज्य सरकार ने क्या अतिरिक्त वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान की है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क) से (ग) तक. मद्रास के इंजीनियरिंग कालेजों में स्थान बढ़ाने की एक अस्थायी योजना बनाई गई है और लागत अनुमानों समेत ब्योरा राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किया जा रहा है ।

पेट्रोलियम उत्पाद

†७२८. श्री विश्वनाथ राय : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार १९६२-६३ में भारत में काम करने वाले विदेशी समवायों द्वारा आयात किये गये पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में गिरावट आने के कारण पर्याप्त धन बचाने में सफल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना धन बचाया गया है ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) और (ख). तेल मूल्य जांच समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप, सरकार ने उपभोक्ताओं के लिये मूल्य बढ़ाये बिना सब उत्पादों पर लगभग १५ करोड़ रुपये कमाया है। घाटे के बहुत अधिक शोधित उत्पादों के आयात पर विदेशी मुद्रा में काई बचत नहीं हुई क्योंकि ये वस्तुएं निश्चित मूल्यों पर विदेशी समवायों द्वारा विदेशों से मंगवाई जाती हैं। इन समवायों द्वारा आयात किये गये अशोधित तेल पर छूट से लगभग ५ करोड़ रुपये तक विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

†७२९. श्री ज्योति स्वरूप : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय तथा इस के अधीनस्थ एवं संलग्न कार्यालयों में अनुसूचित जातियों के कितने कमचारी हैं; और

(ख) अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के लिये कितने स्थायी पद आरक्षित हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जायगी ।

अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित पद

†७३०. श्री ज्योति स्वरूप: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कितने पदों का विज्ञापन दिया गया था ; और

(ख) १९६२ में उन में से अनुसूचित जातियों के कितने अभ्यर्थी चुने गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) अपेक्षित सूचना इसी वर्ष १९६२ के लिये उपलब्ध नहीं है। वित्तीय वर्ष १९६१-६२ की सूचना इस प्रकार है :

आरक्षित पद	प्रथम श्रेणी वरिष्ठ	प्रथम श्रेणी कनिष्ठ	द्वितीय श्रेणी	कुल
(१) केवल अनुसूचित जाति अभ्यर्थी	६४	८९	२४२	३९५
(२) अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति अभ्यर्थी दोनों मिलाकर . .	९१	१००	२५६	४४७
योग . . .	१५५	१८९	४९८	८४२

(ख) ८४२ विज्ञापित पदों में से, ४४१ पदों के लिये लोग चुने गये हैं, इन में से १६ अनुसूचित जाति अभ्यर्थी, ९ प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ पदों के लिये, ११ प्रथम श्रेणी के कनिष्ठ पदों के लिये, और २६ द्वितीय श्रेणी के पदों के लिये चुने गये हैं।

प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर

†७३१. श्री न० रा० लास्कर : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २८ मई १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सिल्चर में प्रस्तावित प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज के लिए स्थान चुन लिया गया है ;

(ख) क्या उपरोक्त प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज के लिये अन्तिम रूप से कालेज का स्थान चुनने के लिये कोई विशेष समिति नियुक्त की गई थी या शीघ्र बनाई जाने वाली है; और

(ग) प्रस्तावित कालेज के लिये निर्णय कार्य किस वर्ष में आरंभ होगा ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) अभी नहीं।

(ख) भारत सरकार के अनुमोदन के साथ स्थान चुनना राज्य सरकार का काम है।

(ग) अभी तक फैसला नहीं हुआ।

छुट्टियों की घोषणा

†७३२. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने छुट्टियों की घोषणा के लिये पुराना पद्धति पंजिका (पंचांग) को अपनाया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस से, १९६३ के राष्ट्रीय पंचांग और भारतीय पंचांग के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों में अन्तर होता है; और

(ग) यदि हां, तो छुट्टियों के संबंध में विशेषकर पूजा और दीवाली उत्सवों के बारे में समानता लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) (क) से (ग) तक. वर्तमान वर्ष के अन्दर 'क्षय-मास' नामक पत्री में असाधारण बात होने के कारण, संबंधित धार्मिक प्राधिकारियों द्वारा उन तिथियों के बारे में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये हैं कि ये धार्मिक त्यौहार किन तिथियों को मनाये जाएं। दिल्ली तथा शिमला में केन्द्रीय सरकार के कार्यालियों के लिये छुट्टियां निर्धारित करने में, भारतीय पंचांग १९६३ के आधार पर उक्त प्रतिति तिथियों को भी ध्यान रखा गया है, जिन तिथियों को ये त्यौहार दिल्ली में मनाए जाएंगे। राज्य सरकार को भी यह सलाह दी गई थी कि वे भी ऐसी ही पद्धति अपनाएं। तथापि राज्य सरकारें स्थानीय प्रथा का ध्यान रखते हुए अपनी छुट्टियां घोषित करने में स्वतंत्र हैं।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

कोयला-खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : मैं कोयला-खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, दिनांक २ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४५ में प्रकाशित कोयला-खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी.-९५०/६३]

वर्ष १९५८-५९ आदि के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखे

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, वर्ष १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखे की एक-एक प्रति उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी-९५१/६३]।

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : मैं निम्न सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ८ दिसम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर १६४१।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरनवीस]

(ख) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६४२ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-व-सेवानिवृत्ति लाभ) दूसरा संशोधन नियम, १९६२ ।

(ग) दिनांक ३ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-व-सेवानिवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी.–८४५/६२] ।

(२) शस्त्र अधिनियम, १९५९ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ९ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३२६ में प्रकाशित शस्त्र (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी.–९५२/६३] ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पंद्रहवां प्रतिवेदन

†श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन पेश करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

उन्नीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन

†श्री दासप्पा (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन पेश करता हूं :—

(एक) भूतपूर्व पुनर्वास मंत्रालय—पश्चिमी क्षेत्र के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की नवासीवां प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी उन्नीसवां प्रतिवेदन ।

(दो) विकास शाखा (अब तकनीकी विकास विभाग) के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की एक-सौ-तीईसवां प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी इक्कीसवां प्रतिवेदन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : वित्त मंत्री ने अनुरोध किया है कि केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६३ शीघ्र पारित कर दिया जाए। उन्होंने सुझाव दिया है कि बजट सामान्य चर्चा के शीघ्र बाद इस पर चर्चा आरंभ कर दी जाए ।

मैं ने अनुमति दे दी है कि इस विधेयक पर शनिवार, १६ मार्च, १९६३ को बजट पर सामान्य चर्चा ख़त्म होने पर इस विधेयक पर चर्चा शुरू कर दी जाए ।

विनियोग विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में प्रयोग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में प्रयोग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : में विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्रधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्रधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्डों पर चर्चा आरम्भ करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है कि :—

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधयक, १९६३

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मैं श्री स्वर्ण सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में प्रयोग के लिये, रेलवे के निमित्त, भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में प्रयोग के लिए, रेलवे के निमित्त, भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्डों को लेंगे :—

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा पुनः आरम्भ करेगी।

श्री तन सिंह अपना भाषण जारी रखें। वे पहले चार मिनट बोल चुके हैं।

श्री तन सिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, युद्ध के उद्देश्य में सफल होने के लिए हर एक देश को क़ीमत चुकानी पड़ती है और जो देश इस क़ीमत को खुशी खुशी नहीं चुकाता है वह अपने युद्ध उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता है और न ही अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकता है। इसलिए ऐसे किसी खर्च को हम श्री ढेबर के शब्दों में स्वातंत्र्य का निवेश (इनवैस्टमेंट ग्रौन फ्रीडम) कह सकते हैं या स्वतन्त्रता की क़ीमत कह सकते हैं। अब यदि रक्षा व्यय को हम देखें तो गत वर्ष अनुमानतः संशोधित आंकड़े ५०५ करोड़ के हैं जब कि इस वर्ष वह बढ़ कर ८६७ करोड़ के हो गये हैं। वास्तव में देखा जाय तो यह खर्च कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि हमें चीन से मुकाबला करना है जिसकी कि ताक़त हमारी शक्ति से कहीं अधिक है। इसलिए यह खर्चा वास्तव में अधिक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि जब हम पर आफ़त आये उस समय हम अपनी कमजोरियों की पूर्ति के लिए और अपनी निर्बलता को छिपाने के लिए संसार भर के देशों के दरवाज़ों पर जाकर सहायता की पुकार करें। यह कोई अच्छी बात नहीं है। अतः भारत को दृढ़ बनाने के लिए और भी अधिक खर्च किया जाय तो मुझे उस में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से कोई कर भी लगाया जाय तो उस का विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे गंभीर सन्देह है, कि सरकार यह रुपया खर्च कर सकेगी। क्योंकि यह जो खर्चा बताया गया है, वह लगभग ३६२ करोड़ रुपये अधिक है। इस का ब्रेक-अप नहीं दिया गया है, इस लिए यह विश्वासपूर्वक तो नहीं कहा जा सकता कि इस का ख़र्चा भी हो सकेगा या नहीं। अगर हम पिछले कुछ अर्से के ख़र्च और आमदनी के मदों को देखें, तो प्रतीत होता है कि हमारे अनुमान से कहीं अधिक या विपरीत अन्तिम ख़र्च के परिणाम निकलते हैं।

मैं आप को बताना चाहता हूं कि १९५६–५७ में १८ करोड़ के घाटे का अनुमान लगाया गया था, जब कि वास्तव में ९३ करोड़ रुपये की बचत हुई। इसी तरह से १९५७–५८ में ३५ करोड़ रुपये की बचत का अनुमान दिखाया गया था, लेकिन वह बचत ४२ करोड़ रुपये की हुई। १९५८–५९ में २८ करोड़ रुपये का घाटा बताया गया था, जो कि केवल ३ करोड़ रुपये का घाटा निकला। इस से आगे तो स्थिति और भी शोचनीय है। १९५९–६० में ५९ करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया था, लेकिन ४४ करोड़ रुपये की बचत हुई। इसी प्रकार १९६०–६१ में ६० करोड़ का घाटा दिखाया गया था, लेकिन घाटे के बजाये ४९ करोड़ रुपये की बचत हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तन सिंह]

इस लिए मुझे सन्देह है क्योंकि सरकार की ख़र्च करने की शक्ति उतनी नहीं है, जितनी कि उस की अनुमान लगाने की शक्ति है। फिर भी अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाये कि यह परिस्थिति ऐसी है, जिस में सरकार बहुत ही ज्यादा क्रियाशील रह कर ख़र्च करेगी, तो भी हम को यह देखना पड़ेगा कि हम इतना ख़र्च कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सरकार की ओर से बचत की दृष्टि से क्या उपाय किये जा रहे हैं ? सरकार चाहती है कि लोग अनिवार्य रुप से बचत योजना में भाग लें और जिन की साधारण से साधारण भी आमदनी हो, वे भी कुछ न कुछ अंशदान इस बचत में दें। लेकिन जब सरकार दूसरों को यह उपदेश देती है, तो उस को स्वयं अपने हाथ साफ़ कर के आना चाहिए।

इस दृष्टि से मेरा अनुमान था कि इस वर्ष सिविल एक्सपैंडीचर में कटौती होगी, लेकिन मुझे खेद है कि उस के बजाये ७३.४९ करोड़ की बढ़ौतरी हुई है। इस से समझ में आता है कि सरकार स्वयं मितव्ययता के सम्बन्ध में जागरुक नहीं है, अथवा स्वयं अपने हाथ साफ़ नहीं करना चाहती है।

मेरा ख़ास विरोध विकास के सम्बन्ध में बढ़ते हुए ख़र्च के प्रति है। उस का पहला कारण यह है कि यह विकास अरक्षित विकास है। आज हम युद्ध की विभीषिका के सामने खड़े हैं। विकास-कार्यों के अन्तर्गत जो बांध वगैरह बनाये जायेंगे, आक्रमण के समय वे निश्चित रुप से शत्रु की तोड़-फोड़ के शिकार होंगे। नेफ़ा और इस प्रकार के दूसरे स्थानों में जो विकास-कार्य हुए होंगें, उन पर निश्चित रुप से ऐसा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ही होगा। ऐसी अवस्था में विकास-कार्य तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि हमारे देश की अखंडता और हमारे देश की सीमायें निश्चित रुप से सुरक्षित नहीं प्रतीत होती हैं। जहां तक सुरक्षा के लिए ख़र्च बढ़ाने का प्रश्न है, इस में कोई आपत्ति नहीं है।

विकास-कार्यों पर ख़र्च के लिए विरोध का दूसरा कारण यह है कि योजना कमीशन और हमारे अर्थ-शास्त्रियों ने योजनाबद्ध आर्थिक विकास का केवल एक ही पहलू लिया है और वह यह है कि उत्पादन और उपभोग की सामग्रियों में संतुलन बनाये रखना चाहिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो कम विकसित क्षेत्र हैं और जो विकसित क्षेत्र हैं, उन दोनों के बीच में भी संतुलन होना अत्यन्त अनिवार्य है, अन्यथा विकास का अर्थ यह होगा कि हम सारे देश को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि उस के कुछ भाग या कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को ही आगे बढ़ा रहे हैं।

यदि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात आप से निवेदन करुं, तो सम्भवतः आप को यकीन नहीं होगा। लेकिन यह सत्य है कि मेरी कांस्टीट्युएन्सी का जो साठ सत्तर हज़ार वर्ग-मील का एरिया है, उस में कई ऐसे गांव हैं, जिन की हालत स्वतंत्रता-प्राप्ति के सोलह वर्ष बाद भी यह है कि यदि संसार की किसी भाषा में कुछ पंक्तियां लिख दी जायें, तो उन को पढ़ाने के लिए सोलह मील की यात्रा करनी पड़ती है। वहां पर ऐसे भी क्षेत्र हैं, जहां वोट देने के लिए चौबीस चौबीस मील की यात्रा करनी पड़ती है। यह खेद की बात है कि कार्ल मार्क्स जर्मनी में जन्मे और ब्रिटेन में उन्होंने शिक्षा पाई और वहां पर रह कर उन्होंने कार्य-कलाप किया। यदि वह हमारे उस क्षेत्र में होते, तो वह एक नई ही थ्योरी बनाते। उन्होंने कहा है कि मनुष्य के लिए रोज़ी-रोटी अत्यन्त अनिवार्य आवश्यकतायें हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र में रोज़ी-रोटी की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी कि पानी की है। वहां पर दूध सस्ता मिल सकता है और पानी महंगा। यदि आप वहां पधारें, तो निश्चित रुप से आप का स्वागत होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** आप ने उस को अच्छी तरह से पढ़ा है। तो फिर आप ही अपने क्षेत्र में वे सब काम क्यों नहीं करते ?

श्री तन सिंह : मेरी कुछ सीमायें हैं और मेरे पास इतना धन नहीं है। यह कार्य तो सरकार ही कर सकती है और उस को करना चाहिए।

वहां पर पानी महंगा है। राजस्थान नहर योजना के बारे में सरकार की ओर से बहुत दिनों से प्रचार किया जाता रहा है। यदि आप उस के आंकड़ों पर दृष्टिपात करें, तो आप को महसूस होगा कि पहले टारगेट्स और रिवाइज्ड टारगेट्स में बड़ा अन्तर है। १९६१-६२ में सिंचाई का लक्ष्य १,५०,००० एकड़ बांधा गया था, जो कि घटा कर ३,००० एकड़ कर दिया गया। १९६२-६३ में २,१०,००० एकड़ का टारगेट रखा गया था, जो कि घटा कर ८१,००० एकड़ कर दिया गया। १९६३-६४ में ३,०७,५०० एकड़ का लक्ष्य रखा गया था, जिस को घटा कर १,८२,९०० कर दिया गया है। इसी तरह से १९६४-६५ में जो ४,४४,४०० एकड़ का लक्ष्य रखा गया था, उस को घटा कर २,६१,५०० एकड़ कर दिया गया है। १९६५-६६ में ६,११,६०० एकड़ का जो टारगेट रखा गया था, उस को अब ३,२१,९०० एकड़ कर दिया गया है। इस का अर्थ यह है कि टारगेट्स को अनुमान से आधे से भी कम कर दिया गया है।

यह बात नहीं है कि वहां पर कृषि और औद्योगिक विकास की शक्तियां नहीं हैं। मैं आप को उदाहरण दूं कि उस प्रदेश के रहने वाले लोग अपने पास की बहुत थोड़ी पूंजी के द्वारा बम्बई और कलकत्ता के व्यापारिक क्षत्रों पर छा गये। ऐसी बात नहीं कि वे यहां पर ख़र्च नहीं कर सकते बशर्ते कि सरकार का प्रोत्साहन हो। एसी बात भी नहीं है कि वहां पर भूमि उपजाऊ नहीं है। इस का एक कारण है सरकारी उपेक्षा और ख़ास तौर पर तकनीकी दृष्टिकोण की उपेक्षा। उस क्षेत्र के विकास, बहबूदी और खुशहाली के लिए विपुल साधन और खनिज धन मिल सकता है, लेकिन सरकार उधर ध्यान नहीं दे रही है। इस लिए जब तक सारे देश का सम्यक् रुप से, सम्पूर्ण रुप से विकास न होगा और उस के सब भौगोलिक क्षेत्रों का विकास नहीं किया जायगा, तब तक वह विकास अधूरा रहेगा और उस विकास में मेरी कोई रुचि नहीं है।

जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है, उस में यातायात, विद्युत् और जल अत्यन्त परम् आवश्यकतायें हैं। जब हम उन के सम्बन्ध में सरकार से कहते हैं, तो उस की तरफ़ से हमेशा जवाब दिया जाता है कि यह तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं है या इतना धन नहीं है और ऐसी अवस्था में यह काम नहीं हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता का सम्बन्ध केवल भावनाओं से ही नहीं है। यदि वह हम को कुछ दे नहीं सकती है, तो केवल नारेबाज़ी से, यह कहने से कि हम स्वतंत्र हैं, हम को कोई संतोष नहीं हो सकता। हम को स्वतंत्रता प्राप्त किये हुए सोलह वर्ष हो चुके हैं। आख़िर प्रतीक्षा का कुछ तो समय होना चाहिए, कोई ऐसी अवधि होनी चाहिए, जिस के बाद हम निश्चयपूर्वक कह सक कि हम ने कुछ लाभ उठाया है।

विकास के व्यय के बारे में मेरा चौथा बिरोध यह है कि हमारी आर्थिक नीति मूल रुपेण ग़लत है। हमारी राष्ट्रीय आय गत वर्ष ढाई प्रतिशत बढ़ी है। यद्यपि इस वर्ष के सम्बन्ध में मेक आउट तो नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान है कि इस वर्ष वह तीन प्रतिशत होगी। अपनी पंच-वर्षीय योजना में हम ने यह लक्ष्य रखा है कि वह पांच प्रतिशत बढ़ेगी। लेकिन अगर मौजूदा हालत को देखा जाये, तो प्रतीत होता है कि किसी भी हालत में वह पांच प्रतिशत नहीं बढ़ सकती है। उस का कारण यह है कि प्रति-व्यक्ति आय वैसी की वैसी है और उस में कोई बढ़ौतरी नहीं हुई है। हमारे वित्त मंत्री स्वयं स्वीकार करते हैं कि कृषि-उत्पादन घटता जा रहा है।

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं ने कभी नहीं कहा कि कृषि-उत्पादन घटता जा रहा है ।

श्री तन सिंह : माननीय मंत्री अपनी स्पीच को देख लें । मेरे पास समय कम है, वर्ना मैं उस को क्वोट करता ।

श्री मोरारजी देसाई : जरूर क्वोट करें ।

श्री तन सिंह : मैं ने उस को मार्क किया हुआ है । यदि स्पीच के बाद समय मिला, तो माननीय मंत्री उस को देख सकते हैं ।

औद्योगिक उत्पादन के बारे में ७.२ प्रतिशत बढ़ौतरी हुई है, जब कि १९६०-६१ में १०.६ प्रतिशत बढ़ौतरी हुई थी । मेरा निवेदन है कि जब तक औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में कम से कम १२ प्रतिशत की वृद्धि नहीं होगी, तब तक राष्ट्रीय आय में पांच प्रतिशत वृद्धि का हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है ।

जब हम कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन के लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इससे प्रकट है कि हमारी टैक्सेशन पालिसी, हमारी फिस्कल पालिसी, हमारी मानिटरी पालिसी, ये सब गलत हैं। उसके प्रमाणस्वरूप मैं पहले टैक्सेशन पालिसी को लेता हूं।

सबसे पहले मैं अनिवाय बचत योजना के बारे में कहना चाहता हूं। मैं अर्से से वित्त मंत्री महोदय की खूब प्रशंसा सुन रहा हूं। बहुत से माननीय सदस्य उनके सम्बन्ध में प्रशंसात्मक बातें कहते हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य भी कहें ।

श्री तन सिंह : यह मेरी आदत नहीं है।

सम्भवतः यही कारण है कि वित्त मंत्री जीं ने जो बहुत अच्छा और नवीन तोहफा दिया है, वह शायद सारे संसार के इतिहास में नहीं मिलने का। वह है अनिवार्य बचत योजना। सम्भव है कि इस प्रशंसा से प्रभावित होकर वे एक अनिवाय खुशहाली योजना बनायें, जिसके अन्तर्गत, यदि कोई खुश न होता हो, तो उसको अनिवार्य रूप से खुश होना होगा। फिर यदि किसी को नींद नहीं आती है तो क्या उसके लिए आप अनिवाय महा निद्रा आयोजन करेंगे या कोई मरने वाला नहीं है, कोई जिन्दा रहना चाहता है तो उसके लिए अनिवार्य महा प्रयाण आयोजन करेंगे? अब आप देखें कि इस अनिवार्य बचत योजना के अन्तर्गत आप किन लोगों को शामिल करते हैं। जिसकी सालाना आमदनी १५०० रुपये है, आप यह चाहते हैं कि वह अनिवार्य बचत योजना में धन जमा कराये और उसको तीन प्रतिशत जमा कराना पड़ेगा। इस पर चार प्रतिशत व्याज देंगे और पांच वर्ष तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। इस पंद्रह सौ रुपये का अभिप्राय १२५ रुपये माहवारी आमदनी से है। यह एक ऐसी लिमिट है जिसको मैं समझता हूं कि बढ़ाया जाना चाहिये। इसमें तो आदमी अपना निर्वाह भी नहीं कर सकता है। शुरू शुरू में ही जब वह हिसाब लगाता है तो पाता है कि उसको घाटा होगा और वह इसमें निर्वाह नहीं कर सकेगा, तब किस प्रकार से इस अनिवार्य बचत योजना में तीन प्रतिशत धन जमा करा सकेगा। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि जिस की आय १२५ रुपये महीना है उसको अनिवार्य रूप से बचत करने के लिए कहा जाना चाहिये तो कौन सी मशीनरी है जिसके द्वारा आप यह एसरटेन करेंगे कि उसकी आमदनी १२५ रुपये महीना है या नहीं है, इसके लिए कौन सा मैथड आप अख्तयार

करेंगे ? जिनकी बंधी बंधाई तनख्वाह है जो सर्विस क्लास है, उनकी पे में से आप आसानी से इस मद में रुपया ले सकते हैं लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी आमदनी के बारे में आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। अब अगर उनसे भी इस मद में पैसा वसूल करने की चेष्टा की जाती है तो इसका मतलब यह होगा कि करप्शन बढ़ेगा, भ्रष्टाचार दुगुने रूप में बढ़ेगा। इसकी वसूली के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने पचास लाख रुपये का प्रावधान किया है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस पचास लाख रुपये में किस तरह से काम चल सकता है। मेरा यह निश्चित मत है कि आने वाले सत्र में वित्त मंत्री महोदय इसके बारे में जरूर सप्लीमैंटरी डिमांड लेकर हमारे सामने आयेंगे।

अब मैं आयकर को लेता हूं। तीन हजार जिसकी आमदनी है उससे जहां पहले ४२ रुपये लिया जाता था वहां अब २४१ रुपये लेने की व्यवस्था की गई है। बताया यह गया है कि २४१ में १४८ रुपये अनिवार्य बचत योजना के लिए जायेंगे। अब २५० रुपये जिनकी महीना आमदनी है, उसें बीस रुपये प्रति मास देना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष कर जो लगाये गए हैं घासलेट पर तथा दूसरी उपभोक्ता सामग्रियों पर इनसे पंद्रह प्रतिशत बढ़ौत्तरी होने की सम्भावना है। अगर पंद्रह प्रतिशत के बजाय यह मान लिया जाए कि बारह प्रतिशत ही अतिरिक्त उसका खर्च होगा, तो ढाई सौ रूपये की आमदनी पर तीस रुपये तो उसके अप्रत्यक्ष करों के रूप में चले गए और बीस रुपये प्रत्यक्ष करों के रूप में उसको देना पड़ेगा और इस प्रकार से पचास रुपये अनिवार्य रूप से आप उसके हड़प रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो विकास के नाम पर, यह विकास कर नहीं बल्कि कमर तोड़ कर है। जहां पर वह आयकर के रूप में ४२ रुपये महीना देता था वहां अब उसको २४१ रुपये देने होंगे जिसका मतलब यह हुआ कि उसको १९९ रुपये अधिक देने होंगे। मेरा सुझाव यह है कि १९९ रुपये को अनिवार्य बचत योजना के अन्दर शामिल कर लिया जाए और यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो यह जो टैक्स की लैवल रखी गई है, इसको नीचे किया जाए।

अनिवार्य बचत योजना के सम्बन्ध में मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। वास्तव में पोस्ट आफिस के अन्दर जो रुपया जमा होता है, अल्प बचत योजना में जो जमा होता है और बीमे के रूप में जो रुपया जमा होता है, इन तीनों कार्यकलापों पर इस अनिवार्य बचत योजना का बहुत असर पड़ेगा। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इन तीनों को इस अनिवार्य बचत योजना के अन्तर्गत ले लिया जाए।

अब मैं सुपर प्राफिट टैक्स के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। पहले से ही निगम कर यानी कारपोरेट टैक्स पचास प्रतिशत है और अब इसको पचास प्रतिशत और बढ़ाया जा रहा है। जिसका मतलब यह होता है कि कुल ७५ या ८० प्रतिशत कर लगेगा। इस पचास प्रतिशत की बढ़ौत्तरी से हमने अनुमान लगाया है कि पच्चीस करोड़ रुपये की हमको आमदनी होगी। मैं समझता हूं कि सीधा साधा अगर पहले जो पचास प्रतिशत कार-पोरेट टैक्स है, निगम कर है, उसको आप ५६ प्रतिशत कर देते तो पच्चीस करोड़ रुपया आपको हासिल हो सकता था। चार सौ करोड़ के अन्दर वित्त मंत्री महोदय ने बताया है कि यह टैक्स हमने उद्योगपतियों पर और जो बहुत आमदनी करते हैं, उन पर लगाया है। मेरा निवेदन यह है कि उद्योगपतियों तथा बड़े बड़े पूंजीपतियों पर यह टैक्स नहीं है, वास्तव में तो यह टैक्स साधारण शेयरहोल्डर्स पर है, अब उनको डिविडेंड मिलने की कोई सूरत दिखाई नहीं देती है। मैं समझता हूं कि वास्तव में हमारी जो टेक्सेशन की पालिसी है वह गलत है।

[श्री तन सिंह]

अब मैं माली नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि औद्योगिक उत्पादन बढ़े बिना हमारे देश का विकास सम्भव नहीं है। इस औद्योगिक उत्पादन के अन्दर आता है, कोयला इस्पात, आवागमन और विद्युत्। इन सबके बारे में मैं ज्यादा निवेदन तो नहीं कर सकता हूं। क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं कि स्वयं वित्त मंत्री महोदय इस बात से सन्तुष्ट हो जायें, कि क्या औद्योगिक विकास के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिये, वह सब कुछ किया जा रहा है और क्या औद्योगिक विकास पर्याप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है तथा जो उत्पादन है वह भी पर्याप्त मात्रा में हो रहा है या नहीं हो रहा है।

अब मैं राजकीय क्षेत्र के बारे में संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं, जिसको पब्लिक सैक्टर कहा जाता है। हमने एक हजार करोड़ रुपये इसमें इनवैस्ट किए और पंच वर्षीय योजना में हम ने अनुमान लगाया था कि तीन सौ करोड़ रुपये का लाभ होगा। लेकिन वास्तव में हमें तीन करोड़ रुपये का ही लाभ हो रहा है। खेद है कि हमारे यहां राजनीतिक क्षेत्र की जो असफल लोगों के रूप में बड़ी बड़ी तोपें हैं, उनको दागे जाने के बाद भी, वे हमारे लिए भार स्वरूप ही सिद्ध हुई हैं। उनको वापिस भरने तथा तैयार करने में समय लगता है और तब तक मुसीबत हो जाती है। दगी हुई तोपें वहां से हटा कर इस क्षेत्र में डालना और बड़े बड़े ओहदों पर लगाना ठीक नहीं है। अगर आप उनकी परवरिश करना चाहते हैं तब तो बात दूसरी है लेकिन यदि हम चाहते हैं कि तीन सौ करोड़ रुपये का फायदा हो तो जो उस क्षेत्र के योग्य हों, उनको ही उनमें लगाया जाए। मेरे पास ऐसे नामों की लम्बी सूची है जो मैं आपको बता सकता हूं और जिनको मैं स्वयं नहीं जानता हूं लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि उनके बजाय अगर योग्य व्यक्तियों को रखा जाता, इन क्षेत्रों के जानकार लोगों को रखा जाता तो हमारी नीति नितान्त रूप में फेल न होती।

अब मैं कर्जों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। बरसों से कर्जों की जो राशियां हैं, वे बढ़ रही हैं। १९५६ में ३२२२ करोड़, १९५७ में ३६७२ करोड़, १९५८ में ४३११ करोड़, १९५९ में ५००८ करोड़, १९६० में ५६९९ करोड़ और १९६१ में ६२८२ करोड़ की राशियां थी और १९६२ में वह राशि और भी बढ़ गई होगी। इससे पता चलता है कि कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। कर्ज लेने की अधिकतम सीमा के बारे में संविधान के अनुच्छेद २९२ के मुताबिक जब यहां पर बहस हुई थी उस समय सरकार की ओर से कहा गया था कि यह ऐच्छिक कार्य है, कोई किसी किस्म की पावन्दी नहीं है। नतीजा इसका यह हुआ कि स्टेट्स में भी इस प्रकार की कोई लिमिट न होने के कारण बढ़ौत्तरी होती ही जा रही है। जहां तक एमोरटाइजेशन का सम्बन्ध है आप हर साल इस सिलसिले में पांच करोड़ रुपये एलाट करते आ रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह आंकड़ो की जादूगिरी है। इसको देख कर खेद ही होता है। पांच करोड़ का हम अलग से प्रावधान करते हैं। वास्तव में होना यह चाहिये कि एमोरटाइजेशन के सिलसिले में पूरी स्कीम हो कि इस वर्ष में इतना, और इस वर्ष में इतना हम पेमेंट कर देंगे और उसके लिये अलग फण्ड की यह व्यवस्था होगी। आज दरअसल में इसको एवायड किया जा रहा है। डैट्स की रिपेमेंट की कोई स्कीम नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई स्कीम बनाई जाए।

जो थोड़ा सा समय आपने मुझे दिया, उसमें मैं जो कुछ कह सका, मैंने कह दिया और मैं करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी उसकी ओर ध्यान देंगे।

†श्री म्र० प्र० जैन (तुमकर) : इस वर्ष का बजट साधारण बजट नहीं है। इसे चीन के अतिक्रमण की पृष्ठभूमि में देखना है।

वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आर्थिक सर्वेक्षण ने हमारी अर्थव्यवस्था पर कुछ उत्साहप्रद पहलुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। फिर भी उत्पादन के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

हमारी विदेशी मुद्रा की आय कम है। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि विदेशी मुद्रा की उपलब्धि से जानी जाती है। हम निर्यात और विदेशी सहायता द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं। लगभग ७०० करोड़ या ७५० करोड़ की वृद्धि के लक्ष्य की पूर्ति के लिये हमें अपने निर्यात को लगभग ५० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बढ़ाना होगा। इस समय प्रयोग में लाई गई विदेशी सहायता द्वितीय योजना के अन्त के समय से भी अधिक है। हमें विदेशी सहायता को प्रयोग में लाना चाहिए। क्योंकि इस से हमारे उत्पादन की गति बढ़ेगी।

अनुमान है कि हमारे आभियान्त्रिक उद्यमों की क्षमता का लगभग एक तिहाई भाग प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। यह तो खतरनाक बात है। आशा है कि इस की ओर शीघ्र ध्यान दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने प्रतिरक्षा के लिए ८६७ करोड़ रूपए की मांग की है। प्रतिरक्षा बजट में ७० प्रतिशत वृद्धि की जो वित्त मंत्री की व्यवस्था है मैं उस का स्वागत करता हूं।

मिट्टी के तेल पर बहुत अधिक शुल्क लगाया गया है। घटिया किस्म का तेल अधिकतर गरीब ग्रामीण योग में लाते है। अतः यह आवश्यक है कि घटिया किस्म की तेल से शुल्क हटा देना चाहिए और बढ़िया किस्म के तेल पर भी शुल्क कम कर देना चाहिए।

वित्त मंत्री इस बात पर विचार करें कि क्या लोहा और इस्पात, मशीनों आदि पर शुल्क कोई औचित्य है, क्योंकि सरकार स्वयं इस प्रकार के सामान का प्रतिरक्षा तथा अन्य कार्यों के लिये काफी प्रयोग करती है। यह तो एक हाथ से लेने और दूसरे हाथ से देने वाली बात होगी।

निम्न आय वाले वर्ग पर अधिक आय वाले वर्ग के मुकाबले में अधिक बोझ है।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि अनर्जित आय पर अर्जित आय की तुलना में अधिक कर लगाए जाने चाहएं।

वर्तमान उपयोग के पूंजी निर्माण की दिशा में जो बचत की जा रही है उसका किसी और मद पर प्रयोग करना ठीक नहीं होगा। इन प्रस्तावों का अधिकार के बारे में ऐसा प्रभाव हुआ है। अतः उन पर कर लगाए जाने की बजाए लाभांगों पर कर लगाया जाना चाहिये। इन लाभांशों का कुछ भाग प्रतिरक्षा के कामों में इस्तेमाल करन के लिए लिया जा सकता है।

जहां तक अनिवार्य बचत का सम्बन्ध है, विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि कसानों द्वारा दिए गए लगान पर ५० प्रतिशत "लेवी" लगाई जाए। मुझे इस प्रस्ताव पर आपत्ति है। अनिवार्य बचत से जो रुपया इकटठा होगा उस में से राज्यों को भी दिया जाएगा। केन्द्र को राज्यों के लिए संसाधन नहीं जुटाने चाहिए। करों की रूप में जो राजस्व राज्य सरकारों को मिलता है उस के लिए उन्हें उत्तरदायित्व महसूस करना चाहिए। प्रगतिशील राज्यों में भू-राजस्व अधिक रहा

†हिन्दी अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

करता है जब देशग रियास्तों में भू-राजस्व कम मिलता था । पुनः अत यह कर न्यायसंगत नहीं क्योंकि यह सब पर समान रूप से लगा दिया गया है जब कि कुछ राज्यों ने ७५ प्रतिशत कुछ ५० प्रतिशत और कुछ में १५ प्रतिशत राजस्व बढ़ा दिया है ।

उत्तर प्रदेश में भनीदारों को ५० तिशत और सीयरदारों को उससे दुगना राजस्व देना पड़ता है । अतः केन्द्रीय सरकार को समान कर की यह नीति न्यायसंगत नहीं ।

विधेयक के ोखण्डों वित्त मंत्री को अधिकर दिया गया है कि वह सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में दस दस प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है । आवश्यकता के समय वे इसका उपयोग कर सकते है ।

†श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : वित्त मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस बजट से शेयरों पर अभूतपूर्व बोझ डाला गया है । निस्संदेह जब राष्ट्र की प्रतिरक्षा की समस्या उपस्थित है तो लोगों से कोई भी कुर्बानी करने के लिए कहा जा सकता है ।

सुझाव दिये गये हैं कि बचत की जाये । किन्तु बचत चाहे कितनी भी की जाये उससे विकास और प्रतिरक्षा ोनों आवश्यकताओं की पूर्ति में किंचित मात्र सहायता मिलेगी ।

कुछ सुझाव रखे गये है कि विकास कार्यों को बन्द कर दिया जाय और कुछ राज्य सरकारों ने तो शिक्षा स्वास्थ्य आदि कार्यकमों को बंद कर दिया है । यह सर्वथा अनुचित होगा । प्रतिरक्षा के लिए मशीनों की और फलस्वरूप उद्योग के विकास की आवश्यकता है । इस प्रकार वित्त मंत्री के दोनों कार्यों के लिए अतिरिक्त ६०० करोड़ रुपये की आवश्यकता है ।

बजट का ोनों ओर से अर्थात स्वतंत्र दल ने भी साम्यवादी दल ने भी विरोध किया है और साम्यवादी दल के नेता ने तो यहां तक कह दिया कि कि इसके विरुद्ध संगठित क्रान्ति होगी । जिसका अभिप्राय है वह स्वतः स्फूर्त नहीं बल्कि इस दल द्वारा संगठित की जायगी ।

सरकार का यह भी एक नैतिक दायित्व है कि यह मूल्यों को बढ़ने न दे और व्यापारी मुनाफाखोरी न कर सकें ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दूसरा नैतिक दायित्व है कि सरकार के प्रशासन का कर में बचत करनी चाहिये । यदि मंत्री लाखों पये की बिजली जलायेंगे तो इसका जनता पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा । अब जबकि इसका लोगों में प्रचार हो गया है ो उन्हें कोई व्यवस्था बचत भी करनी ही चाहिये ।

तीसरी ोजना में वस्तुओं की खपत के स्तर का थोड़ा बढ़ जाने का अनुमान किया गया था । अब सरकार ८०० क ोड़ पये का अतिरिक्त खर्च करेगी जिससे मुद्रा स्फीति होगी । अतः वस्तुओं की खपत पर कुछ नियंत्रण कर देना चाहिये । इसे दृष्टिगत रखते हुए करो पर विचार करना चाहिये ।

में अनिवार्य बचत योजना का समर्थन करता हूं । कुछ कांग्रेसियों का मत है कि ग्रामीण जनता में कांग्रेस की लोक मित्रता लोकप्रियता को धक्का पहुंचेगा । पर कांग्रेस को इसके लिए तत्पर होना चाहिये । गांवों की ८० प्रतिशत जनता को छूट दे देने पर तो योजना का कोई महत्व

†मूल अंग्रेजी में

ही न रहता। औद्योगिक श्रमिकों को भी इस योजना से मुक्त नहीं रखना चाहिये। मेरा निवेदन है कि योजना के अन्तर्गत वेतन से अभिप्राय वेतन भत्ते आदि सभी होगा।

कम आय वालों के लिए ३ प्रतिशत बचत हुई बहुत कठिन ो होगी किन्तु यह योजना मुद्रा स्फीति के रोकने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी।

श्री अ० प्र० जैन ने कहा कि विभिन्न सामाजिक और कृषि पद्धतियों के लिए समान कर उचित नहीं किन्तु तो भी सब के लिए समान व्यवस्था आवश्यक है।

अति व्यय कर और अतिकर का निगमित उद्योगों के विरोध किया है। सो तो स्वाभाविक है क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं। परन्तु मुझे यह सुझाव देना है कि सरकार इस बात की जांच करें कि कहीं इसका दुप्रभाव छोटे उद्योगों पर तो नहीं पड़ेगा। कर की दर और कर लगाने की सीमा में परिवर्तन करना चाहिये ताकि ये उद्योग अपने विस्तार के लिये कुछ लाभ के पैसे रख सकें।

वित्त मंत्री से मेरा सुझाव है कि वे बेरोजगारी की समस्या पर भी विचार करें। मिट्टी का घटिया तेल गांवों में प्रयोग किया जाता है अतः उसके कर पर पुनः विचार किया जाय।

इन करों से लागत मल्य बढ़ेगा अतः स्वभावतः वस्तुओं के ल्य बढ़गे किन्तु वे करों से भी अधिक नहीं बढ़ जाने चाहियें।

गत वर्षों की तुलना में स वर्ष उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई और न ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। अतः इस आपातकाल इन सब उलझनपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : संवैधानिक प्रक्रिया के सम्बन्ध में मुझ यह निवेदन करना है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट का प्रस्तुत किया जाना अलग अलग अधिवेशन में होना चाहिये जिससे दोनों की चर्चा के लिए समय की प्राथमिकता के प्रश्न में उलझन पैदा न हो। बजट की चर्चा के लिए अधिक समय मिलना चाहिये।

अब जब कि चीन ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया है तो यह असंभव नहीं कि चीन पुंछ के कश्मीरियों को भर्ती करे। आशा है सरकार को सका ध्यान होगा।

चीन का रुख सख्त हो गया है : ं भारत के साम्यवादियों को भी एक गिरोह कह कर पुकारने लगे हैं। अतः भारत की राजनीति में उनके लिए प्रतिक्रियावादियों और डांगे गिरोह में कोई अन्तर नहीं रहा।

हमारे वित्त ंत्री को सर्वोदय के देवदूत है। करो का यह ोझ सभा में लाने से पूर्व उन्हें कई रात नींद नहीं आयी होगी। वित्त मं ी ने बजट भाषण में कहा है कि संसाधनों को संगठित करने के लिए सरकारी खर्च में दक्षता और बचत की आवश्यकता है। यही बात कुछ दिन पूर्व श्री कृष्णमाचारी ने कही थी। सरकारी खर्च से सतर्कता का उत्तरदायित्व उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ साथ मंत्रियों पर भी डाला है। किन्तु जब कम्पयनयों में अधिकारियों के बड़े बड़े वेतनों को बात कही तो मंत्रियों का निदश नहीं किय। क्या यह सिद्धांत मंत्रियों पर और उनके बिजली के खर्च पर लाग होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सवक्षण प्रकाशित किया है जिसमें भारत की स्थिति का वर्णन है कि भारत एशिया के २५ अर्द्ध विकसित देशों में बीसने नम्बर पर है। वहां ६ करोड़ लोगों की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

प्रतिदिन की आय २५ नये पैसे है। १०० में केवल एक व्यक्ति ५० पये से अधिक वेतन पाता है।

आज कल बेरोजगारी लगभग १५० से १८० लाख लोगों में है। स्वतंत्रता पूर्व आर्थिक असमानता का अनुपात १ : ११० था अब १ : ३२० है।

बजट के भाषण में बहुत प्रशासनिक शब्द प्रयोग किये गये हैं कि उपरोक्त स्थिति इस शासन के लिए लांछन है।

शिकागो (अमरीका) समाचार पत्र के संवाददाता के साथ भेंट में श्री नेहरू ने विचित्र वक्तव्य दिया कि "किसी भी दिन कोई भी घटना हो सकती है। मैं नहीं जानता कि चीन का रवैया कसे बदलेगा।" क्या यही हमारी विदेश नीति का आधार है ? तब तो प्रतिरक्षा का भी यही हाल होगा क्योंकि यह विदेश नीति पर निर्भर करती है। लोगों को इतनी कुर्बानी करने के लिए कहा जा रहा है, किन्तु कहीं एसा न हो कि यह धन व्यय के कामों पर खर्च कर दिया जाय। आजकल सशस्त्र सेना में भी भ्रष्टार फैक रहा है क्योंकि ठेकेदार तो सब कहीं एक जैसे है और फिर ठेकेदारों ने कांग्रेस को चुनाव के लिए लाखों रुपया दिया है।

श्री चव्हाण के प्रतिरक्षा मंत्री बनने पर सीमा सड़क विकास बोर्ड के उप-सभापति का पद उड़ा दिया गया और जहां श्री कृष्ण मेनन उपसभापति थे अब श्री चव्हाण साधारण सदस्य रह गये हैं। ऐसा क्यों किया गया है।

वित्त मंत्री से में इतना पूछना चाहता हूं कि गरीबों के तो आपत्काल में पूरी सहायता दी है। उन्हें क्या करों से मुक्त नहीं किया जा सकता ?

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सहायता की राशि कम कर सकती है और मद्य निषेध खत्म कर के राज्य कमी को पूरा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को केवल कानपुर से मद्य निषेध समाप्त करने के ३ मास के भीतर ३८ लाख रुपये का उत्पादन शुल्क मिला है।

देश भर में २०० करोड़ रुपये का आय कर वसूल किया जाना है। इस के लिये अधिक प्रयत्न करने चाहियें।

कलकत्ता में मुझे बताया गया कि आचार्य विनोबा भाव भी सहायता प्राप्त खादी उद्योग के विरुद्ध हैं। श्री त्यागी ने प्रधान मंत्री को सुझाव दिया था कि सरकारी भवनों की सफेदी एक साल न करने से लगभग करोड़ रुपया बच सकता है।

तेल, कहवा, साबन पर कर क्यों ? इन का प्रभाव गरीबों पर पड़ेगा। इसी प्रकार गांवों में एक सीमा तक किराया देने वाले काश्तकारों को अनिवार्य बचत से मुक्त रखना चाहिये।

मेरा एक सुझाव है। वह अजीब तो है पर महत्वपूर्ण है अर्थात् विधान मंडल से बाहर मंत्रियों के भाषणों पर कर लगा दिया जाय।

जब श्रीमती इंदिरा गांधी रायपुर गयीं तो राज्य के शिक्षा मंत्री भोपाल से रायपुर गये और सब जिला इंस्पेक्टर, अधीक्षक और स्कूलों के अध्यापक छत्तीसगढ़ से वहां गये और मुझे बताया गया है कि उस उत्सव पर हजारों रुपया खर्च हुआ। केन्द्र को राज्यों से कह देना चाहिये कि यदि वे इस तरह की फजूलखर्ची बंद नहीं करेंगे तो उन्हें सहायता नहीं दी जायेगी।

अति लाभ कर अच्छा है किन्तु यह बड़े उद्योगों पर लगना चाहिये। मेसर्स कालिंगा ट्यूब लिमिटेड अपना माल काले बाजार में बेच रही है। समवाय विधि प्रशासन के पास इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र आया हुआ है। सरकार को उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिये। उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री पटनायक के नाम ६० लाख रुपये का जिंक का लाइसेंस भी इस कम्पनी ने लिया था जो पत्तल पर ही बेच दिया गया था।

चीनी आक्रमण से भारत में जागृति आई है किन्तु नेता विफल हो रहे हैं नेता अपना दृढ़ निश्चय प्रकट नहीं कर रहे। हमें देश भक्तों की आवश्यकता है नहीं तो भावी संतान आज की सरकार को उत्तरदायित्वहीनता का अपराधी ठहरायेगी। सरकार को सुदृढ़ बनना चाहिये और सभा द्वारा १४ नवम्बर, १९६२ को पारित किये गये संकल्प को लागू करना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : श्री कामत ने इधर उधर की बहुत बातें की हैं परन्तु कराधान के बारे में बहुत कुछ नहीं कहा। कराधान प्रस्थापनाओं पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता। कराधान प्रस्तावों से ठोस प्रमाण मिलता है कि सरकार वर्तमान आपात के प्रति जागरूक है। देश की प्रतिरक्षा के लिए व्यवस्था करने के लिए जो ३०६ करोड़ रुपये की कराधान प्रस्थापना है, उस का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय तो होता है। अतः इस सम्बन्ध में रखे गये प्रस्तावों को व्यापक समर्थन मिलना चाहिये। कोई सन्देह नहीं कुछ भार वहन तो करना ही होगा, परन्तु इस पर भी भारतीय अर्थ व्यवस्था ३५० करोड़ रुपये का भार वहन कर लेगी। वैसे भी समें हमें समझना चाहिये कि इस के बिना हम चीन के आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इन प्रस्थापनाओं से चीन ही नहीं सारा संसार यह समझेगा कि भारत चीन की चुनौती के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है।

इस सब के बावजूद मेरा निवेदन है कि करों में समन्वय की गुंजाइश है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे पैमाने के उद्योगों के प्रति कुछ उदारता दिखाई जानी चाहिये। अतः मशीनों पर से उपकर हटा लिया जाना चाहिए। इसी तरह मिट्टी के तेल पर से भी उपकर को आधा कर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो यह तो गरीबों के प्रति बहुत ही अन्याय होगा। ग्रामीण क्षेत्रों पर इस बात का काफी कुप्रभाव पड़ेगा। यह भी प्रायः स्पष्ट ही है कि इस आयकर का भार विशेष कर कम आय वाले वर्गों पर पड़ेगा। अतः मेरा अनुरोध है कि इस बारे में कुछ समन्वय किया जाय।

अगली बात अनिवार्य बचत की है। यह बहुत अच्छी बात है और इस पर अमल किया जाना चाहिये। इस से यह भी लाभ होगा कि लोगों की बिक्री क्षमता कम होगी और मुद्रास्फीति का भय कम हो जायेगा। परन्तु हमें यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो रोटी का गुजारा भी बड़ी कठिनाई से करते हैं, यदि उन्हें भी अनिवार्य बचत के लिये कहा जाय तो क्या होगा। यह बात समझने का प्रयत्न करना चाहिये कि जो व्यक्ति अपने को जीवित रखने के लिये चिन्तित हो, वह इस योजना में कैसे अंशदान दे सकता है। यह एक बहुत विचित्र सा प्रस्ताव है। गरीबों को राहत मिलनी ही चाहिए, अधिक से अधिक यह मामला ५ से १० करोड़ रुपये तक का है।

अधिलाभ कर का बहुत विरोध हो रहा है। इस विरोध से अखबार भरे पड़े हैं, परन्तु एक बात याद रखनी चाहिये कि यह अधिलाभ-कर पूर्णतः औचित्ययुक्त है। मैं यह भी कहना चाहता

---

†हिन्दी अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

हूं कि यदि आवयश्यक हो, तो छोटे उद्योगों के बारे में, जिन के पास बहुत पूंजी नहीं है, और जो बड़ी रक्षित पूंजी नहीं बना सकते, उन का कुछ पुनर्समायोजन किया जा सकता है।

इस के अतिरिक्त चिन्ता का विषय कृषि उत्पादन है। जब तक हम अपना खाद्य और औद्योगिक उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे, वर्तमान कर उचित नहीं माने जा सकते। बड़ी महत्वपूर्ण बात है अतः मेरा निवेदन है कि इस बात का ध्यान रखते हुए, खाद्य तथा कृषि और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयों का ठीक प्रकार पुनर्गठन करने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें। राज्यों में कृषि मंत्रालय की बड़ी उपेक्षा की गयी है। हमें यह व्यवस्था करनी चाहिये कि सामुदायिक विकास विभाग के मंत्री को ही कृषि मंत्री भी हो। इसी तरह जिन समंत्री के पास सहकार विभाग हो उसी के पास पंचायत विभाग भी होना चाहिये।

अन्तिम बात जो मैं कहना चाहता हूं यह यह है कि निःसन्देह हम मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में चल रहे हैं। हमारी इच्छा यह है कि गर सरकारी क्षेत्र अपना कार्य कुशलता से और लाभदायक ढंग से करते चलें। खेद की बात केवल यह है कि जिस ढंग से कार्य हो रहा है वह ठीक नहीं है। वे औद्योगिक संकल्प को समाप्त करना चाहते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि उन्हें योजना और प्रतिरक्षा उत्पादन कार्यक्रम में अपना भाग चाहते हैं। मेरे मत से यह व्यवहार बहुत ही खतरनाक है। सरकार को इस बारे में सचेत रहना चाहिये। सरकार को समझना चाहिये कि उस के समक्ष लक्ष्य समाजवादी समाज के निर्माण का है।

†श्री करणीसिंह जी (बीकानेर) : हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बड़ा शक्तिशाली आय-व्ययक प्रस्तुत किया है। आज की स्थिति में ऐसा ही आय व्ययक होना भी चाहिए था। इस समय आक्रान्ता को देश से निकालने के लिए जो भी बलिदान किया जाय थोड़ा है। हमें अपनी पवित्र मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। नये करों से वित्त मंत्री का विचार २७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की है। मेरा कहना है कि यदि इमारतों और कुछ परियोजनाओं को युद्ध काल तक रोके रखे तो धन की व्यवस्था हो सकती है और गरीब लोग करों के भार से बच सकते हैं।

आय व्ययक के समक्ष दो महत्वपूर्ण समस्यायें हैं। एक तो देश की प्रतिरक्षा का प्रश्न है और दूसरा देश की बेकारी, बीमारी और भूख का मुकाबला करना है। युद्ध चल रहा है, अतः हमारे साधनों पर भार है, दूसरा भारी जनसंख्या का प्रश्न भी हमारे समक्ष है। हम समाजवादी समाज की रचना के लिए वचनबद्ध हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या की वृद्धि को रोकना बड़ा ही आवश्यक है। यद्यपि आज इस आय व्ययक के प्रति देश में असन्तोष है फिर भी मेरा व्यापारी वर्ग से अनुरोध है कि इस आपातकालीन स्थिति में वित्त मंत्री को पूरा समर्थन देना चाहिए।

वित्त मन्त्री महोदय ने आय व्ययक में देश की प्रतिरक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया है। इससे विश्वास होता है कि हमारी सेनाओं के लिए समुचित व्यवस्था की जायेगी। परन्तु एक बात स्पष्ट है कि पुराने अस्त्र शस्त्रों का अब समय नहीं है। अतः दूरगामी अस्त्रों और आणविक हथियारों के प्रश्न पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए था। इन हथियारों की चीनियों का मुकाबला करने के लिए बहुत आवश्यकता है। सरकार को इस बात का पूरा प्रयत्न करना होगा कि इस प्रकार के शस्त्रों का उत्पादन

†मूल अंग्रेजी में

अपने देश में हो । इसी प्रकार देश में शक्तिशाली वायु सेना अस्त्रों का प्रबन्ध करने के लिए भी तत्काल कदम उठाये जाने चाहिए । हमें देश में आधुनिकतम प्रकार के विमान बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए ।

इसके बाद नागरिक प्रतिरक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न आता है । इस प्रश्न की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए । इस बारे में सन्तोष कर लेना ठीक नहीं है । इस बारे में हमें बड़े सावधान तथा सचेत रहने की आवश्यकता है । हवाई अड्डों और वाई जहाजों के लिए ७०० करोड़ की राशि काफी नहीं है । हमें अपनी वायु शक्ति में वृद्धि करने के लिए और धन की व्यवस्था करनी होगी । हमें हवाई जहाज भी देश में ही बनाने होंगे । हम जो हवाई जहाज अब बना रहे हैं वे पुराने ढंग के हैं ।

आज देश में यह भावना बढ़ रही है कि युद्ध समाप्त हो चुका है । परन्तु हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए । देश में सैनिक शिक्षा का प्रवाह चलना चाहिए था, परन्तु पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा जनसंख्या भी बढ़ रही है यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । परिवार आयोजन के द्वारा जनसंख्या को नियन्त्रित करना बड़ा आवश्यक है । इसके बिना उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति सम्भव नहीं है । यहां तक परिवार आयोजन के लिए एक अलग मन्त्रालय की स्थापना होनी चाहिए । हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि चीन की आबादी ७० करोड़ है और हमारी ४४ करोड़ इस लिए हमें आबादी बढ़ानी चाहिए । हम अपनी आज की स्थिति में भी ४० लाख की सेना की व्यवस्था कर सकते हैं । अतः सरकार को यह बात लोगों को समझा देनी चाहिए कि हम आबादी बढ़ाये बिना भी चीन का मुकाबला कर सकते हैं ।

देश की रक्षा का जो प्रण हमने लिया है, उसे पूरा करने के लिए हमें सदा तैयार रहना चाहिए । साथ ही देश से भ्रष्टाचार दूर करने का भी सरकार को यत्न करना चाहिए ।

सड़कों की हालत खराब है । केन्द्र और राज्यों ने सड़कों के निर्माण में काफी पूंजी लगाई है । प्रयत्न किया जाना चाहिए कि इस व्यय किये हुए धन का सदोपयोग किया जाय । इसी प्रकार राष्ट्रीय प्रतिरक्षा निधि में स्वेच्छा से धन देने के स्वरूप को बनाये रखा जाय । सरकार को इस प्रकार का आश्वासन देना होगा कि लोगों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जायेगा ।

एक अन्य बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं । वह यह कि शान्ति के समय में करारोपण का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि लोगों को एक निश्चित सीमा से आगे परेशान न किया जाय । नागरिक को निरन्तर दबाव तले रखने की नीति ठीक नहीं है । वित्त मन्त्री महोदय को गत करारोपण के प्रश्न पर विचार करना चाहिए । हमारा इस समय लक्ष्य यह है कि हमारी जीत हो । हमें भी अपनी स्वतन्त्रता पर नाज है और मुझे आशा है कि हम इस स्वतन्त्रता को कायम रखने के लिए हमेशा जागरूक रहेंगे ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : आज के हमारे आय व्ययक की पृष्ठभूमि चीन का हमारे देश पर आक्रमण है । चीन और पाकिस्तान ने भी सन्धि करने का यही एक अवसर समझा है । मैं आय व्ययक का समर्थन करता हूं । और इसके लिए वित्त मन्त्रालय की सराहना करता हूं । इसी संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि इस समय विभिन्न मन्त्रालयों पर हो रहे व्यय की जांच पड़ताल करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । मेरा सुझाव है कि मित्त व्ययता तथा व्यर्थ के व्यय से बचने के लिए स्थायी समितियों की पुरानी प्रथा अथवा किसी अन्य व्यवस्था के सकायम करने पर विचार किया जाना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० पं० शा० देशमुख]

कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । कृषि और कृषक से बढ़ कर और किसी की अधिक उपेक्षा नहीं की गयी है । खाद्य से अतिरिक्त केवल खेती की देखभाल के लिए ही एक मन्त्री नियुक्त किया जाना चाहिए । यह सचमुच खेद की बात है कि लगभग प्रत्येक मन्त्रालय में अनावश्यक कर्मचारियों तथा अन्य मामलों पर व्यर्थ में बड़ी राशियों का व्यय किया जा रहा है । मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि इनकी जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

अनिवार्य बचत योजना किसानों के लिये अच्छी है । उनकी बचत हो जाएगी जो कि वे प्रयोग में ला सकेंगे । इसके लिए सरकार को लेखों का और अनगिनत पुस्तकों का रखना कठिन है । जैसा कि वेतन प्राप्त व्यक्तियों के लिए छूट की सीमा रखी गई वैसे ही किसानों के लिए भी छूट की सीमा रखी जानी चाहिए ।

पिछड़े वर्गों को जाति के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जाती थीं, परन्तु अब सरकार ने इस आधार पर छा वृत्तियां देना बन्द कर दिया है । सरकार को इस सम्बन्ध में जारी किए गए परिपत्र को वापस लेना चाहिए । इस सम्बन्ध में श्री राजगोपालाचारी ने जब वे गृहमन्त्री थे आश्वासन दिया था कि पिछड़े वर्गों को दी गई सुविधाओं को वापस नहीं लिया जाएगा । आशा है कि सरकार इस आश्वासन को पूरा करेगी ।

हमारे उद्योग राष्ट्र के हितों के विरुद्ध प्रगति कर रहे हैं । हमारी औद्योगीकरण की नीति ठीक नहीं है । जहां उत्पादन लागत दूसरे देशों से दुगुनी है । इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

सरकार द्वारा दिए जा रहे यात्रा भत्तों पर १० से २० प्रतिशत कटौती की जानी चाहिए ।

कई देशों ने कृषि और सामुदायिक विकास मन्त्रालयों को मिला कर ग्रामीण कार्यों का एक मन्त्रालय बना लिया है । हमें भी ऐसा ही करना चाहिए ।

†**श्री दे० द० पुरी** (कैथल) : इस बजट से यह पता चलता है कि हम स्वतन्त्रता की रक्षा के लि कितनी कीमत देने के लिए तैयार हैं । केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा रहे कुल नये कर चालू मुद्रा के लगभग १९ प्रतिशत हैं जो वह त्याग है जैसा कि अन्य किसी देश ने संकट के समय न किया होगा ।

प्रतिरक्षा के कार्य के लिए यह आवश्यक है कि हमें फजूल के व्यय को बन्द करना चाहिए । प्रतिरक्षा और विकास के अतिरिक्त सभी व्यय को १९६२–६३ के स्तर पर ही रखना चाहिए ।

प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय का प्रभाव हमारी नेक अर्थ व्यवस्था पर अवश्य पड़ेगा । अतः वित्त मन्त्री को इस सम्बन्ध में सदैव जागरूक रहना चाहिए कि प्रतिरक्षा व्यय किस ढंग से किया जाता है ।

अधिलाभ कर का स्वागत किया जाना चाहिए । इससे वित्त मन्त्री .२५ करोड़ रुपए प्राप्त करना चाहते हैं । इसकर का कम्पनियों पर बुरा प्रभाव नहीं हो सकता, जबकि आय कर के उच्चतर दर का व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटी और बड़ी कम्पनियों के बारे में गलत भ्रम सा पैदा हो गया है। अधिलाभ कर तो प्रतिशत के हिसाब से है। अतः इस से बड़ी और छोटी कम्पनियों में भिन्नता नहीं करनी चाहिए।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सबसे पहले आधार पूंजी और रक्षित निधियों का जोड़ भी होना चाहिये।

दूसरे ६ प्रतिशत से ऊपर लाभ पर अधिलाभ कर लगेगा। इसे १० प्रतिशत कर देना चाहिये। इस तरह से समपात अंशों पर युक्तियुक्त लाभ सुनिश्चित हो सकेगा।

बैंकों को विभिन्न आधार पर लिया जाना चाहिए। वर्तमान कराधान से उनकी रक्षित निधियों पर असर पड़ेगा।

कराधान योजना को एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक अग्रनयन की अनुमति होनी चाहिये।

अनिवार्य बचत से उच्च आय वाले वर्गों को तो कुछ आराम मिलेगा। गरीब आदमी के लिए तो वह करारोपणमात्र ही होगा, क्योंकि उसे कहीं से उधार लेना पड़ेगा। सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

देश की स्वाधीनता और लोकतन्त्र की रक्षा के लिए कुर्बानी करनी पड़ेगी। आशा है कि सभी सहर्ष बोझ को बर्दाश्त करेंगे।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् फाइनेन्स मिनिस्टर मोरारजी भाई देसाई ने जो इस सदन में बजट पेश किया है, मैं उस बजट को बेकारी का सूचक, शोषित समाज का शोषण तथा अराजकता और असमानता को स्थापित करने वाला एक बजट समझ करके आगे चलता हूं।

पिछले वर्ष के लिए अर्थात् १९६२–६३ के लिए १५००.२५ करोड़ का बजट रखा गया था, और इस वर्ष अर्थात् सन् १९६३–६४ के लिए १८५२.४ करोड़ का बजट रखा गया है। रेवेन्यू से १५८५.७३ करोड़ रुपए की आय का अनुमान किया गया है। इस तरह से २६६.६७ करोड़ का घाटा होगा। डिफेंस के लिए उन्होंने जो ८६७ करोड़ रुपया रखा है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इतना ही नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा रखा जाता तो भी शोषित समाज की ओर से, जिस पर उनका दमन चक्र चलता है, विश्वास दिला सकता हूं कि हम जितना धन दे सकते हैं देते। कम्युनिस्ट चाइना जो कि आज हमारी मातृभूमि पर हमलावर है उसका बजट हमारे बजट से करीब ड्योढ़ा है। जब इस तरह की परिस्थिति हो तो हमारा बजट डिफेंस के लिए जितना भी रक्खा जाय ठीक है। सुरक्षा के हेतु जितना भी धन बजट में रक्खा जाय वह थोड़ा है।

श्री मुरारजी भाई ने ३०५.९० करोड़ रुपये को हासिल करने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने अपने साधन बतलाये हैं। जिस समय मैं साधनों पर आता हूं जो तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनका दमनचक्र शोषित समाज पर बहुत तेज़ी से चल रहा है और उस दमनचक्र के कारण ही मुझे यहां विरोध करने के लिए खड़ा होना पड़ा है। उनका ऐसा कहना है कि ८७.३९ करोड़ रुपया कस्टम ड्यूटी से लिया जायगा। ११०.४० करोड़ रुपया डाइरैक्ट टैक्सेशन से मिलेगा। अब इस डाइरैक्ट टैक्सेशन में श्रीमन्, ४० करोड़ रुपया कम्पलसरी सेविंग्स का भी शामिल है जिसमें कि व्हाइट कौलर, बाबू, गरीब किसान और मज़दूर लोग भी शामिल हैं। उसको डाइरैक्ट टैक्सेशन किस प्रकार से कहते हैं? मैं नहीं समझ पाता इस बात को कि १०८.११ करोड़ ये उन्होंने

ऐक्साइज़ ड्यूटीज़ और इंटर स्टेट सेल्स टैक्स से बतलाये हैं । अब टैक्सेशन के लेजिस्लेशन के लिए जैसी कि बैंथम की थ्यौरी है :—

"यह अधिक लोगों के लिए होना चाहिये । अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ होना चाहिये ।"

बजट हमारा विषमता के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए । हमारी बजट टैक्सेशन की नीति इस तरह से हो कि जो लोग सुख में हैं और आनन्द पा रहे हैं उनके आनन्द में होने पाये और जो दुखी हैं उनका दुख इस बजट के कारण और ज्यादा न बढ़ जाय । मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इस पालिसी के ऊपर यह बजट आधारित नहीं है । इस बजट को ग़रीब, मज़लूम, मज़दूर या लोकशाही की भावना के ऊपर आधारित रहने वाला नहीं कहा जा सकता है ।

अब मैं डाइरैक्ट टैक्सेशन की बात को लेता हूं । इसके लिए मुरारजी भाई ने कहा है कि १००.४० करोड़ रुपया डाइरैक्ट टैक्सेशन से आयेगा । उनका यह कथन सत्यता से परे है। उसके अन्दर बहुत सी धूल है । एक धोखा दिया गया है। एक तरीक़ेसे उन्होंने जैसे कि जादूगर दिखलाता है कि एक जगह तीन गोलियां आ जाती हैं, फिर दो आ जाती हैं और फिर वहां ख़ाली एक गोली हो जाती है, कुछ उसी तरह का हाथ का फेर श्री मुरारजी ने इस बारे में दिखलाया है । मेरा कहना यह है कि इस डाइरैक्ट टैक्सेशन में यह ११० करोड़ रुपया नहीं आयेगा । डाइरेक्ट टैक्सेशन से वहां केवल ७० करोड़ रुपया आयेगा बक़ाया रुपया वहां पर यह ४० करोड़ रुपया कम्पलसरी सेविंग्स से आयेगा जिस को कि मैं अभी लूंगा ।

३३ करोड़ रुपया यूनियन सरचार्ज से आयेगा । इनकम टैक्स में भी डाइरैक्ट टैक्सेशन की बात नहीं कही जा सकती क्योंकि इस में वे लोग शामिल हैं । यह ३३ करोड़ रुपया पूंजीपतियों से नहीं आयेगा, लखपतियों से नहीं आयेगा बल्कि इस में वह लोग भी शामिल हैं जिनकी कि आमदनी ५००० पये सालाना या इस से कुछ ऊपर है अथवा उस के नज़दीक है । उन लोगों से भी जो धन लिया गया है वह भी इस ३३ करोड़ रुपये में शामिल है । २५ करोड़ रुपया सुपर प्राफ़िट टैक्स से आयेगा । इस को मैं थोड़ी देर में लूंगा । १२.४ करोड़ रुपया, बहुत से ऐग्जम्पशंस हैं, उन को समाप्त करने से बचेगा ।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए]

श्रीमन, यह जो ११० करोड़ रुपये की बात कही गई है यह डाइरैक्ट टैक्सेशन से ही नहीं आयेगा । केवल ७० करोड़ रुपया डाइरैक्ट टैक्सेशन से आयेगा. बक़ाया तमाम का तमाम रुपया ग़रीब से लिया जायगा और उसका भार ग़रीब पर जा कर पड़ेगा । इस ७० करोड़ में से भी लगभग २० करोड़ रुपया वहां पर उन लोगों से लिया जायगा जिन की कि सालाना आमदनी ५००० के ऊपर या ५००० के लगभग होगी । केवल ५० करोड़ रुपया यहां के करोड़पति और अरबपतियों से आयेगा । इस सम्बन्ध में मैं केवल यह चाहता हूं कि डाइरैक्ट टैक्सेशन में आप ७० करोड़ रुपया लेते हैं । उस वक्त आप डिफैंस की बात को नहीं रखते हैं लेकिन जब ग़रीब और मज़लूम मज़दूरों की बात आती है जिनको कि हमेशा राजा, महाराजा और अंग्रेज़ों ने लूटा और जिन को कि आज की सरकार भी लूट रही है तब इनडाइरैक्ट टैक्सेशन में २०५ करोड़ रुपया रक्खा जाता है । १०८ करोड़ रूपये के लगभग ऐक्साइज़ डयूटी से आयेगा और ९६ करोड़ के लगभग कस्टम डयूटी से आयेगा स १०८ करोड़ रुपये की ऐक्साइज़ डयूटी के कारण तम्बाकू की कीमत बढ़ेगी, मिट्टी के तेल की

कीमत बढ़ेगी। चाय, रबड़ और कौटेन यार्न की कीमत भी बढ़ेगी। रोजाना काम में आने वाली चीजों के दाम जिनका कि इस्तेमाल गरीब या मध्यम वर्ग के लोग करते हैं, उन सब चीजों की कीमत बढ़ जायेगी

यूनियन ऐक्साइज़ डयूटी को अगर उठा कर देखा जाय तो सन ५०–५१ में यूनियन ऐक्साइज़ डयूटी लगभग ६७.५४ करोड़ की थी जबकि सन १९६३–६४ में वह बढ़ कर ६९०.५७ करोड़ हो गई है। तब में और अब में १ और १० का अनुपात है। इनडाइरैक्ट टैक्सेशन में इस वक्त जो यह १ और १० का अनुपात लगाया जाता है तो क्या इस बात को भी देखा जाता है कि जिनके हाथ में आज सरकार है, उन्होंने कितने साधन उन लोगों को दिये हैं, कितनी सुविधाय उन लोगों को दी हैं और कितना आराम उन लोगों को दिया है जिनके कि ऊपर उन्होंने एक्साइज़ डयूटी से दस गुना ज्यादा हासिल करने की बात कही है? नकम टैक्स की बात को में आप के सामने थोड़ी देर में रखना चाहूंगा। इनकम टक्स की बात यह है कि ५००० रुपये जिसकी आमदनी है, सन ६२–६३ में जहां वह ४२ रुपये बतौर इनकम टैक्स के देता था सन ६३–६४ में उस को २४१ पये देने पड़गे अर्थात इस में ४ फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है। १०,००० रुपये वार्षिक जिसकी आमदनी है और जोकि सन ६२–६३ में ४७९ पये इनकम टैक्स देता था वह अब सन ६३–६४ में ९३० पये देगा जिसका कि मतलब यह हुआ कि इस में ४.५ प्रतिशतः बढ़ा। १५,००० रुपये की आमदनी वाला जहां सन ६२–६३ में ११७१ रुपये देता था वहां अब सन ६३–६४ में वह १८८१ रुपये देगा अर्थात ४.७३ प्रतिशतः बढ़ा है। इसी तरह २०,००० की सालाना आमदनी वाला पहले जहां २२७२ रुपये देता था वह अब ३२७० रुपये देगा। स के ऊपर बढ़होतरी ५ फ़ीसदी है। २५,००० रुपये सालाना जो पैदा करता है उस पर बढ़होतरी ५.०२ प्रतिशतः की है। लेकिन जो व्यक्ति २ लाख रुपये सालाना पैदा करता है उस के इनकम टैक्स के रेट में बढ़होतरी केवल २.७ फ़ीसदी की है। ग़रीब को जहां आप ने इस तरीक़े से रौंदा है अमीर को उस तरीके से रौंदने में आप को घबराहट होती है। उन के कारण आप को यह गद्दी मिलती है। अगर सरकार गरीब की तरह उन अमीरों को भी रौंदे तो फिर हमें कोई शिकवा नहीं होगा। अगर गरीब पर जिस तरह से आप ने इनकम टैक्स में वृद्धि की है उसी तरीके से अमीरों पर भी लगाते तो कोई शिकायत की बात नहीं होती। असमानता अराजकता के ऊपर आधारित है। ४०० रुपया महीना वेतन पाने वाले को इनकम टैक्स ४ फ़ीसदी अधिक देना होगा जब कि १६०० रुपया मासिक पाने वाले के इनकम टैक्स में केवल २.७ प्रतिशतः की बढ़होतरी होगी।

जब यह डिफेंस आफ़ इंडिया रूल्स की बात आई थी तो मैं ने कहा था कि यह डिफेंस आफ़ इंडिया रूल्स गुनाह विरोधी दलों का दमन करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं या कहीं पर अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी को निकालने के लिए इनका इस्तेमाल हुआ है। हमारे मुरार जी भाई यहां पर नहीं हैं लेकिन उनके डिप्टी मिनिस्टर बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वह मेरी यह बात मुरार जी भाई तक अवश्य पहुंचा दें। यह डी० आई० आर० कहां चला जाता है जब वह २०० करोड़ पये उन इनकम टैक्स के चोरों के पास है जिन्होंने कि चोरी कर के इस मुल्क को धोखा दिया है और मुल्क के साथ दग़ा की है। अभी तक उन लोगों से यह टैक्स का रुपया वसूल नहीं किया गया है। आख़िर जो पैसा उन पर वाजिब आता है वह उन से क्यों नहीं वसूल किया जाता है? अगर अभी तक वसूल नहीं किया जा सका है तो कब तक यह वसूल किया जायगा? मैं चाहता हूं कि श्री मुरार जी अपने जवाबी भाषण में इस चीज़ को साफ करें।

बिड़ला के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा। श्रीमन, मुझे यह कह कर मना न करें कि यहां किसी विशेष व्यक्ति की बात न की जाय। यह विशेष व्यक्ति की बात नहीं है। इस का पूरे राष्ट्र से ताल्लुक है। बड़ी बड़ी कम्पनियां है। डालमिया जैसी कई अन्य बड़ी बड़ी कम्पनियां

हैं जिन्होंने कि मुल्क में जगह जगह पर अपनी छोटी छोटी कम्पनियां और दफ्तर चला रक्खे हैं। उन के लिए क्या होता है? हमारे इनकम टैक्स ला में एक प्राविजन है कि वहां पर सेंट्रला करते है, सेंट्रल सर्किल बनाते हैं ताकि कहीं पर इनकम टैक्स की चोरी न होने पाये। यहां के बड़े बड़े पूंजीपतियों के कई सेंट्रेल सर्किल बने हुए है लेकिन हमारे बिड़ला साहब के लिए सेंट्रेल सर्किल नहीं बना हुआ है। उनके ऊपर यह नहीं लगाया हुआ है कि यह तमाम कम्पनियां कहां कहां हैं और कितनी आमदनी उन से होती है। खुले खजाने वहां पर इस तरीके से इनकमटक्स की चोरी होती है। श्रीमन मैं यह कहना चाहता हूं कि मुरार जी भाई के आज राज्य में बिड़ला जसे विभीषण को लंका के ऊपर खूब दमनचक्र चलाने का पूरा पूरा अवसर मिला है। बिड़ला के लिए इस तरह से सेंट्रल सर्किल क्यों नहीं रक्खा गया? बिड़ला के लिए अगर इस तरह का सर्किल पैदा किया जाये तो बहुत सी इनकम टक्स की जो चोरी हुआ करती है वह बच सकती है। इनकम टैक्स ही नहीं बल्कि जो रुपया वहां पर स्टेट ड्यूटी से आया है और जो रुपया वैल्थ टैक्स से आया है वह १ करोड़ या १ करोड़ से कम है, मुझे तो इस को सदन में कहते हुए शर्म आती है। में नहीं जानता कि हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर के दिल के ऊपर इसका कैसा असर होता होगा? लेकिन मुझे तो यह १ करोड़ की बात कहते हुए शर्म आती है। जब यहां देश में बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं का निर्माण हो रहा है, लोग करोड़पति बनते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े ऐयर कंडीशंड बंगले बनते चले जा रहे हैं तब स्टेट डयटी और वैल्थ टैक्स में केवल १ करोड़ या डेढ़ करोड़ रुपया आये, यह कितने ताज्जुब और हैरत की बात है?

जहां तक कम्पलसरी सेविंग्ज की बात है इस का असर गरीबों के ऊपर और मजलूमों के ऊपर पड़ेगा। इस का असर मजदूर, और ह्वाइट कालर बाबुओं पर पड़ेगा, ऐसे आदमियों पर पड़ेगा जिनकी कि आमदनी केवल १२५ रुपये मासिक है और जिसका कि खर्चा ३.७५ फ़ीसदी उन टैक्सों के कारण बढ़ गया है। उसके रोजाना उपयोग में आने वाली चीजों के दामों में २५ फ़ीसदी बढ़होतरी हो गई है जिससे उसका घरेलू बजट बिगड़ गया है और उस की घर वाली ज़रूरत की चीज. को खरीदने के लिए पहले के मुकाबले अपने पति से ज्यादा पैसे चाहती है क्योंकि बग़ैर उसके वह सामान नहीं ले सकती है। ३ फ़ीसदी मुरार जी भाई चाहते है और २५ फ़ीसदी उसके घरेलू बजट में बढ़ती हो गई है अर्थात उसका खर्चा २८ फ़ीसदी बढ़ गया है। मतलब यह है कि १२५ रुपये पर उसको लगभग ३५ रुपये देने पड़ जायगे और उसे केवल ९० रुपये महीना मिलेंगे। पहले ही जब उसको १२५ रुपये महीना पड़ता था तो वह अपने बच्चों का समुचित इलाज नहीं कर पाता था, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में कौनवैंट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता था जसे कि मिनिस्टरों के बच्चे पढ़ते हैं, अपने बच्चों को गरम सूट नहीं पहना सकता था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा भोजन नहीं दे सकता था, उस ग़रीब के ऊपर यह और दमनचक्र आया है कि उसकी आमदनी १२५ रुपये महीने से घट कर केवल ९० रुपये महीना रह गयी है। यह ठीक है कि पांच साल बाद जो रुपया वह बचायेगा वह उसे दे दिया जायगा। अब रुपया बचाना किसे अच्छा नहीं लगता? लेकिन जो आदमी लाइलाज मर जाय और जिसके कि पास कफ़न डालने को भी रुपया न हो उससे बचत कराना कहां तक उचित होगा? जिसकी कि आमदनी पहले ही कम और अपर्याप्त हो और जिसकी कि आमदनी सैंकड़ों या केवल कुछ हजारों में ही हो, उसके ऊपर यह अनिवार्य बचत करने वाली बात लागू नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा कहना है कि ऐसे लोगों के लिए इस कम्पलसरी सेविंग्ज स्कीम को दूसरा रूप दिया जाय। कम्पलसरी सेविंग्ज

की जगह पर हम वहां इंश्योरेंस कर सकते हैं, कम्पलसरी इंश्योरेंस की व्यवस्था कर सकते हैं। कम्पलसरी इंश्योरेंस की व्यवस्था हम उन लोगों के लिए कर दें जिनकी कि आमदनी १५० रुपये महीना या उससे ऊपर है। ऐसा होने से उसका रिस्क भी कवर होता है और ख़तरा भी कता है। अगर वह पैसे की कमी के कारण बग़ैर लाज के मर भी जाय, तो उसके बच्चों को वह पैसा मिल जायगा। कम्पलसरी इंश्योरेंस अगर कर दिया जाय तो इस से उसको बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। इस से आगे बढ़ कर मैं कहना चाहता हूं कि किसान के ऊपर भी यह टैक्स लगेगा। किस किसान पर ? उस किसान पर, जो कि बेचारा मुश्किल से दस रुपये लगान के देता है। कहां से देता है, यह तो उस का दिल ज्यादा जानता होगा। श्री मोरारजी देसाई के घर में कोई भी किसान नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं। मैं जानता हूं कि किस तरह से लगान दिया जाता है और उस के लिए किस तरह से परेशानी उठानी पड़ती है। आज किसान वे सब आराम नहीं उठा सकता है —बल्कि वह तो स्वप्न में भी उस ऐशो-आरम्म के बारे में नहीं सोच सकता है—जो कि मिनिस्टरों के उन बंगलों में मिलते हैं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : माननीय सदस्य को मालूम नहीं कि मोरारजी भाई किसान के घर में पैदा हुए।

श्री मौर्य : हुए होंगें, लेकिन अब तो वह किसान का नाम भी भूल गए हैं।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : वह ट्रैक्टर किसान होंगे।

श्री मौर्य : अगर किसान दस रुपये लगान के देगा, तो पांच रुपये कम्पलसरी सेविंग के लिए चाहिए। यह सरकार उस किसान से कम्पलसरी सेविंग कराना चाहती है, जोकि बेचारा अपनी झोंपड़ी में रोज एक घंटे से ज्यादा दिया नहीं जला सकता है। अगर हम इन तमाम बातों को सामने रख कर नहीं चलेंगे, तो सरकार जो यह व्यवस्था स्थापित करने जा रही है, वह पूरी की पूरी व्यवस्था एक तमाशा बन कर रह जायगी और रोज़ाना की जिन्दगी में वह लागू नहीं हो पायेगी।

जहां तक सुपर प्राफ़िट टैक्स का सम्बन्ध है, जो कुछ भी फ़ार्मूला बनाया गया है, बहुत से कांग्रेस वाले उस से खुश हैं और बहुत से कम्युनिस्ट भाई भी उस से खुश होंगे। लेकिन अगर उस फ़ार्मूले को एक इकानोमिस्ट को दूरबीन से देखा जाये, तो हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि यह फार्मूला लागू नहीं हो सकता है। इस से उद्योग और व्यापार में इनिशिएटिव ख़त्म हो जायगा। यह सुपर प्राफ़िट टैक्स पूंजीपति पर नहीं है, बल्कि एफ़िशेन्सी पर है, काबलियत पर है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। एक कम्पनी है, जिस में सौ लाख रुपया लगा हुआ है। अगर उस को पांच लाख रुपये का फ़ायदा होता है, तो उस पर सुपर प्राफ़िट टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जिस कम्पनी का कैपिटल सौ हज़ार रुपया है और जिस को सात हज़ार रुपये का फ़ायदा होता है, उस पर सुपर प्राफ़िट लग जायगा। यह टैक्स क्वालिटी के ऊपर है, एफ़िशेन्सी के ऊपर है, क्वान्टिटी के ऊपर नहीं है। स तरह का टैक्स इनिशिएटिव को ख़त्म करेगा और हमारे उद्योगों को समाप्त कर देगा।

इस बारे में जो आंकड़े बताये गये हैं, मुझे नहीं मालूम कि उन को श्री मोरारजी देसाई ने तैयार किया है, सैक्रेटेरियट ने तैयार किया है या उन की कैबिनेट ने तैयार किया है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इकानोमी से उन का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर सुपर प्राफ़िट टैक्स उसी हिसाब से लगे, जैसाकि सरकार की ओर से सुझाव दिया गया है तो इस से ११० करोड़ रुपया आना चाहिये, २५ करोड़ रुपया नहीं, अगर उस में चोरी नहीं होती है, तो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सुपर प्राफ़िट टैक्स साइकालोजिकली, फ़ंडामेंटली हमारे व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी तोड़ता है।

[श्री मौर्य]

मैं कहना चाहता हूं कि उस के बजाये अगर कार्पोरेशन टैक्स को ५० फ़ीसदी से ६० फ़ीसदी कर दिया जाये, तो इस से तीस करोड़ के करीब रुपया मिल जाता है। फिर सुपर प्राफ़िट टैक्स को लगाने की क्या आवश्यकता रहती है ?

यह भी मैं जानता हूं कि वह इस में संशोधन करेंगे, लेकिन संशोधन से लाभ नहीं होगा। इस को पूरा समाप्त किया जाये। इस में ऐसी कोई बात नहीं है कि वह इस बारे में ज़िद करें।

अब मैं करप्शन के बारे में एक दो शब्द कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री मौर्य : श्रीमान्, इस सदन में हम तीन आदमी हैं, जिन में से एक बाहर रहते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि मैं कितनी देर बोल सकता हूं ? हम को कितना टाइम एलाट हुआ है ?

सभापति महोदय : अधिकतम २० मिनट।

श्री मौर्य : मुझे अपने दल के विचार बताने के लिए कम से कम ३० मिनट चाहियें।

जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, अभी अभी दो एन्क्वायरीज़ बैठी थीं, जिन की रिपोर्ट्स अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं। दि न्यू एशियाटिक इन्शोरेंस कम्पनी रिपोर्ट और दि रुबी जेनरल इन्शोरेंस कम्पनी रिपोर्ट में खुले-खज़ाने इस प्रकार का चार्ज लगाया गया है कि बिड़ला साहब ने इस में रुपये की गड़बड़ की है, सप्रेशन किया है। वे रिपोर्ट्स अभी तक इस सदन और राष्ट्र के सामने नहीं आई हैं। उन को क्यों नहीं सामने आने दिया जाता है ? इस करप्शन को समाप्त किया जाये। मैं यह नहीं कहता कि केवल पूंजीपति ही करप्शन करते हैं, बल्कि इस में बहुत से मिनिस्टरों का भी हाथ है। मैं बड़े दावे के साथ इस सदन में चार्ज लगाता हूं। अगर करप्शन का चार्ज लगाया जाये, तो मेरा हाथ बहुत से मिनिस्टरों के दामन तक पहुंचेगा, ज़रूर पहुंचेगा, क्योंकि मैं ग़रीबों को रिप्रेज़ेन्ट करता हूं। कितने ऐसे मिनिस्टर हैं, जिन के बेटे बड़ी बड़ी कार्पोरेशन्ज़ में डायरेक्टर नहीं बने हुए हैं ? कितने ऐसे मिनिस्टर हैं, देश के आज़ाद होने के समय जिन की पूंजी एक लाख रुपये थी और जिन के पास आज करोड़ों रुपये नहीं हैं ? यह रुपया कहां से आया है ? क्या यह तमाम खुदादाद इनकम है ? इस के बारे में भी एन्क्वायरी होनी चाहिए।

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के साथ साथ इकानोमी भी बरतनी चाहिये। एक तरफ़ तो यह सरकार ग़रीबों को दिया भी नहीं जलाने देती है और अच्छे मिट्टी के तेल की बोतल पर दस नये पैसे और ख़राब मिट्टी के तेल की बोतल पर सात नये पैसे बढ़ा देती है और दूसरी तरफ़ होम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर अपने गले में पांच सौ रुपये की बिजली जला देते हैं। मैं कहूंगा कि यह रुपये का मिस-एप्राप्रियेशन है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है। यह ग़रीबों का पैसा है। उस का सदुपयोग होना चाहिए।

जब हम कहते हैं कि नमक पर टैक्स लगा दो या प्राहिबिशन को समाप्त कर दो, तो महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है। महात्मा गांधी सिर्फ़ इसलिए कि हम ग़रीब हैं और हमारा ग़रीब मुल्क है, आधा बदन कपड़ों से ढांकते थे। यहां तक कि जब वह बड़े बड़े महाराजाओं और बड़े बड़े विद्वानों से मिले, तब भी उन्हों ने आधा तन ही ढंका, क्योंकि यह ग़रीबों का मुल्क है और वह ग़रीबों

को रिप्रेजेंट करते थे । क्या आज के मिनिस्टर भी ग़रीबों की तरह रहते हैं ? जब प्राहिबिशन की बात कही जाती है, तो महात्मा गांधी का नाम ले लिया जाता है । प्राहिबिशन के बारे में श्री मोरारजी देसाई ने कहा कि यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ़ स्टेट पालिसी है । मैं कहना चाहता हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ़ स्टेट पालिसी तो यह भी है कि फ्री एंड कम्पलसरी प्राइमरी एडूकेशन दस बरस में होनी चाहिए थी । डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ़ स्टेट पालिसी तो यह भी है कि गोरों की भाषा अंग्रेजी को समाप्त कर के हिन्दी चलाई जानी चाहिए थी । इन बातों के लिए तो समय दिया गया है । क्या उन प्रिंसिपल्ज़ को लागू किया गया है । इस की तुलना में प्राहिबिशन के लिए कोई समय निश्चित नहीं है । सरकार जब भी मुनासिब समझे, उस को लागू कर दे । लेकिन उस के लिए स्टेट पालिसी की आड़ ली जाती है । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय जिस बम्बई के चीफ़ मिनिस्टर रह चुके हैं, वह उस की पुलिस की रिपोर्ट को देखें । वहां पर आज शराबख़ोरी बढ़ गई है । हर एक पान की दुकान पर घर में बनी हुई शराब ली जा सकती है । वहां पर क्राइम्ज़ बढ़ रहे हैं और गांव गांव में शराब की भट्टियां लगी हुई हैं ।

एक माननीय सदस्य : इस से ग़रीबों को फ़ायदा पहुंचता है ।

श्री मौर्य : फ़ायदा नहीं, इस से ग़रीबों को नुक्सान पहुंचता है ।

अन्त में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । अगर साल्ट टैक्स लगा दिया जाये, तो उससे करीब पच्चीस करोड़ रुपये मिल जाते हैं । अगर प्राहिबिशन को सामाप्त कर दिया जाये, तो उस से करीब १५० करोड़ रुपये मिल जायेंगे । इस के अलावा हमारी इकानोमी को ठीक करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये । यही नहीं, बल्कि फ़िल्म इंडस्ट्री का भी राष्ट्रीयकरण किया जाये । कितने ही ऐसे फ़िल्म आर्टिस्ट और हीरो हैं, जोकि इनकम टैक्स के सम्बन्ध में पचास, साठ या सत्तर हज़ार रुपये का कंट्रैक्ट दिखाते हैं । मैं आप के द्वारा ममिस्नरट साहब को, जोकि हंस रहे हैं, कहना चाहता हूं कि वे लोग वास्तव में पांच लाख से ले कर दस लाख तक लेते हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि फ़िल्म इंडस्ट्री का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये ।

मेरा सुझाव है कि कम्पलसरी सेविंग की जगह कम्पलसरी इन्शोरेंस लागू किया जाये । सुपर प्राफ़िट टैक्स को समाप्त कर के कारपोरेशन टैक्स में बढ़ोतरी की जाये ।

इन दो शेरों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा :

लेता है जहां सिसकी मुफलिस का तने लाग़िर,
मैं ऐसी हुकूमत का पनदार बदल दूंगा ।

फलने न कभी दूंगा मैं ज़ुल्म की टहनी को,
ज़ालिम तेरी कश्ती का पतवार बदल दूंगा ।

आज हर मज़लूम, हर मज़दूर और हर एक दबा हुआ इन्सान यह बात कह रहा है कि या तो शोषण और दमनचक्र को रोको, वर्ना सब्र का दामन हमारे हाथ से छूटेगा, अराजकता आयगी, असमानता आयगी, और उस अराजकता में यह शैतानियत, यह दमनचक्र मिट कर स्वाहा हो जायगा, जन-जनार्दन का राज होगा, समता आयगी, एकता आयगी, भाई-चारा आयगा और राष्ट्र आगे बढ़ेगा ।

पूंजीपतियों की रक्षा करने वाला जो बजट हमारे सामने रखा गया है, मैं करोड़हा-करोड़ शोषितों की आवाज से इस का पूरी शक्ति के साथ विरोध करता हूं ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : अधिष्ठाता महोदय, मेरी संसद सदस्यता का यह ग्यारहवां वर्ष है.....

श्री राम सेवक यादव : पुराने आदमी हैं आप।

श्री दाजी (इंदौर) : रिटायर कब होंगे ?

श्री भक्त दर्शन : लेकिन आज मैं पहली बार बजट के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पहले इसलिए नहीं बोला कि मैं आर्थिक विषयों पर बोल नहीं सकता था लेकिन मैंने बोलना इसलिए अभी तक उचित नहीं समझा था क्योंकि जिन हमारे सुयोग्य वित्त मंत्रियों के हाथों में हमारे देश की आर्थिक नीतियों की बागडोर रही है, उनके सम्बन्ध में मुझे कभी भी कोई सन्देह नहीं रहा है। आज भी इसीलिए मैं इस बाद विवाद में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं कि इस बजट के द्वारा हमारे वित्त मंत्री महोदय ने और हमारी सरकार ने सारे संसार के, अपने देश की जनता के और स्वयं संसद् सदस्यों के सामने यह घोषणा की है कि हम अपने देश पर जो आक्रमण हुआ है, उसका प्रतिकार करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं।

इस बजट को तैयार करते समय माननीय वित्त मंत्री महोदय के सामने जो अकथनीय कठिनाइयां थी, उनका यहां उल्लेख करने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं। एक ओर विदेशी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए साधनों को जुटाना और दूसरी ओर हमारे देश के अन्दर विकास का जो इतना बड़ा आयोजन चल रहा है, इसको भी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाना—ये जो दो बड़ी भारी परिस्थितियां थी और जिनके बीच में समन्वय स्थापित करना था और उनका कुशलता के साथ सम्पादन करना था, यह कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट के द्वारा जिस साहस का और जिस चातुर्य का तथा जिस दिलेरी का परिचय दिया है, उसके लिए जहां इस सदन के कोने कोने से उनको प्रशंसा प्राप्त हो रही है, वहां मैं भी अपनी ओर से अपनी कमजोर आवाज--

श्री राम सेवक यादव : कुछ लोगों के द्वारा प्रशंसा हो रही है।

श्री भक्त दर्शन : मैं समझता हूं कि यह बात भी तब साफ हो जाएगी जब यह पता चलेगा कि कितने लोग समर्थन कर रहे हैं और कितने विरोध कर रहे हैं। यह तथ्य है कि इस सदन के अधिकांश सदस्यों ने अपनी जोरदार भाषा में उनका समर्थन किया है, उस समर्थन में मैं भी अपनी कमजोर आवाज जोड़ना चाहता हूं।

श्रीमन्, दो बात मैं खास तौर से कहना चाहता हूं। बजटों का जो मेरा अध्ययन है, वह मुझे यह बताता है कि हम लोग प्रतिवर्ष अपनी आमदनी को कुछ कम दिखलाते रहे हैं और खर्च को अधिक दिखलाते रहे हैं। इसका नतीजा यह होता रहा है कि प्रत्येक वित्त मंत्री महोदय को देश के सामने और सदन के सामने नए करों के प्रस्ताव लेकर आना पड़ता रहा है। पिछले पांच छः वर्षों के जो आंकड़े हैं वे इस बात के साक्षी हैं कि हमने कितने घाटे की आशंका की थी, उतने घाटे की पूर्ति ही नहीं हुई बल्कि आखिर में जाकर काफी बचत हुई। उन आंकड़ों को यहां पढ़ने के बजाय मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह इसके बारे में भी कुछ करेंगे। वह अपनी सूझबूझ के लिए, अपनी मौलिकता के लिए, अपनी ओरिजिनैलिटी के लिए सदा देश के अन्दर प्रसिद्ध रहे हैं। उनको इस समस्या का पूरी गहराई के साथ अध्ययन करना चाहिये और कोई ऐसी प्रणाली निकालनी चाहिये ताकि जहां तक हो सके इस तरह की जो

घटबढ़ है, यह समाप्त हो जाए। मैं स्वीकार करता हूं कि आखिर यह बजट आनुमानिक आंकड़ो के आधार पर ही बनता है और उनके आधार पर ही उनको स्थिर किया जाता है और उन आनुमानिक आंकड़ों में घटबढ़ होने की गुंजाइश रहती है। लेकिन फिर भी मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि यदि प्रयत्न किया जाए और इसके लिए पूरी इच्छाशक्ति के साथ कोशिश की जाए तो दो या तीन प्रतिशत का वेरिएशन हो सकता है, अन्तर हो सकता है, उससे अधिक का नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि सन् १९४८–४९ से अगर हम आंकड़े देखें तो हमें पता चलेगा कि सिवलि डिपार्टमैंट्स पर, असैनिक विभागों पर जहां तब ४२.५ प्रतिशत खर्च होता था वहां वह बढ़ कर सन् १९६१–६२ में ५४.७ हो गया, लेकिन जो हमारा रक्षा का व्यय था वह १९४८–४९ में जहां ४३.६ प्रतिशत था, वह घट कर १९.९ ही रह गया। इस वर्ष इस बात का हमारे वित्त मंत्री महोदय ने प्रयत्न किया है कि बहुत बड़ी रकम देश की रक्षा के साधनों को जुटाने के लिए रखी जाए। यह ठीक है। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जितना भी गैर जरूरी खर्च है, उसको भी रोकने की आवश्यकता है। मेरे पास इस समय पूरे आंकड़े नहीं है लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, हमारे वित्त मंत्री महोदय और हमारा वित्त मंत्रालय इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि असैकिन व्यय पर एक सीमा निर्धारित कर दी जाए, और उसको आगे न बढ़ने दिया जाए। लेकिन जैसे कि कल मैंने अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में भी अपने विचार प्रकट करते हुए निवेदन किया था अभी भी हमारा काफी खर्चा स्टाफ कारों आदि पर हो रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बतलाना चाहता हूं कि सन् १९६०–६१ में १७ लाख २५ हजार ७७१ रुपये स्टाफ कारों पर, उनके ड्राइवर्ज पर उनके शौफर्ज पर खर्च किये गये थे। मेरी सफझ में नहीं आता है कि इस खर्च को क्यों घटाया नहीं जाता है। अगर इसको घटाया नहीं जा सकता है तो कम से कम नई कारों को लेने का जो हमने बजट में प्रविधान किया है, इसको तो नहीं करना चाहिये था, इस खर्चे को तो रोक दिया जाना चाहिये था। मैं आशा करता हूं कि इस ओर माननीय मंत्री जी का अवश्य ध्यान जाएगा।

अब मैं एक और सामान्य बात, एक जनरल बात कहना चाहता हूं। मैं कोई अर्थ शास्त्री नहीं हूं और न मैंने फाइनेंस के सम्बन्ध में कोई विशेष अध्ययन किया है। लेकिन देश के एक साधारण नागरिक की हैसियत से मैं एक बात माननीय वित्त मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। हम प्रतिवर्ष अपने विकास के लिए, अपनी योजना की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ नए कर लगाते जा रहे हैं और उसका परिणाम यह होता है कि इधर कर लगते हैं और उधर जो खाद्य सामग्री है और हमारी जीवन की अन्य आवश्यक सामग्रियां हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, वे अधिक वेतन की मांग करने लग जाते हैं, जो मजदूर हैं, वे मजदूरी बढ़ाने की मांग करने लग जाते हैं तथा जनता को भी इसका कष्ट भोगना पड़ता है। उनकी मांगों की पूर्ति के लिए फिर हमें नए टैक्स लगाने पड़ते हैं। इस प्रकार से यह जो प्रपंच है, यह जो विशेष सर्किल है, इसको हमें तोड़ना होगा। इधर टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। खर्चा बढ़ता जा रहा है, उधर जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इस प्रकार से इसका कहीं कोई अन्त ही नजर नहीं आता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आखिर कहीं पर जा कर के तो हम पूर्ण विराम लगायें, इसको पूर्ण विश्राम दें। मैं इस बात को इस अवसर पर इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे जो वित्त मंत्री महोदय हैं, उनकी हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने पचासों तरह से आलोचना की है और उनके स्वभाव के सम्बन्ध में कुछ आलोचना ठीक भी हो सकती है।

[श्री भक्त दर्शन]

पर एक सब से बड़ी बात जो उनमें है और जिसको विरोधी भाई भी स्वीकार करेंगे वह यह है कि जिस बात का एक बार वह निर्णय कर लेते हैं, उस पर वह पूरी तरह से अमल कराने की कोशिश करते हैं और उस पर वह पूरी तरह से दृढ़ रहते हैं। मैं समझता हूं इस समय हमारे देश में कोई ऐसा अन्य आदमी नहीं है जो ऐसी दृढ़ता के साथ, जो ऐसी निर्भीकता के साथ जो निर्णय वह ले लेता है, उस पर वह अमल करता हो। मैं चाहता हूं कि अपनी सूझबूझ, अपनी मौलिकता के आधार पर वे इस समस्या का अध्ययन करके कोई ऐसा रास्ता निकालें, कोई ऐसा मार्ग निकालें, कोई ऐसी नीति निर्धारित करें ताकि कीमत ऊंचे न चढ़ने पायें तथा कर लगाने की आवश्यकता कम से कम महसूस हो और साथ ही साथ फिजूल खर्चे भी कम हो।

श्री राम सेवक यादव : कोई सुझाव दीजिये।

श्री भक्त दर्शन : यह न समझिये कि जो विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य आलोचना करते हैं, वे ही देश की सेवा करते हैं।

मुझ से पहले एक माननीय सदस्य जोकि शोषितों और गरीबों के समर्थक होने का दावा कर रहे थे, उन्होंने जहां और बहुत सी छोटी मोटी बात कहीं वहां अधिक लाभ के ऊपर जो कर लगाया जा रहा है, उसका भी विरोध किया। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर एक ही सांस में दो परस्पर विरोधी बात कैसे हो सकती हैं? हमारे साथी, जो मेरी बाई तरफ से बोल रहे थे, श्री डी० डी० पूरी, वह हमारे देश के एक गण्यमान्य उद्योगपति हैं, स्वयं उनकी मिलें चलती हैं, और उनकी काफी सम्पत्ति उन मिलों में लगी हुई, है, उन्होंने भी इस कर का सिद्धान्त रूप में समर्थन किया है। अगर हम समाजवादी समाज के निर्माण की ओर कदम उठाना चाहते हैं तो कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। हां विस्तार की बातों में मतभेद हो सकता है।

अब मैं जो दो तीन कर लगाये जा रहे हैं, उनके विषय में माननीय वित्त मंत्री महोदय तथा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं पहले मिट्टी के तेल के बारे में कहना चाहता हूं। मुझ से पहले मेरे मित्र आदरणीय श्री अजित प्रसाद जैन जी ने इस पर प्रकाश डाला है। जब तक हम गांवों में प्रकाश की दूसरी व्यवस्था नहीं करते हैं, तब तक हमें उसके पास जो थोड़ी बहुत प्रकाश की व्यवस्था है, उसको छीनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस तर्क को मानने को तैयार हूं कि जहां पिछले २२ करोड़ रुपये का विदेशों से मिट्टी के तेल का आयात होता था वहां अब शायद तीस करोड़ का होने लगा है तथा हम तेल के मामले में विदेशों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन हम कई दूसरी चीजों के लिए भी तो विदेशों पर निर्भर हैं; और क्या इसकी वजह से हमें उनकी कीमत बढ़ाने की छूट होनी चाहिये? मैं इससे सहमत नहीं हो सकता हूं। हमारे वित्त मंत्री जी ने १०.२५ करोड़ रुपये की छूट खाद्य तैलों पर देने की घोषणा की है। मेरी समझ में नहीं आता है कि मिट्टी के तेल पर कर लगा दिया जाए, एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाए, उत्पादन शुल्क लगा दिया जाए और जो खाद्यों तैल हैं, एडीबल आयलज हैं, उन पर छूट दे दी जाए, यह कहां तक ठीक है, यह तो नाक को उलटा पकड़ने की प्रक्रिया मालूम पड़ती है। अतः यह जो सीधा उत्पादन-शुल्क मिट्टी के तेल पर लगाया जा रहा है, इसको समाप्त करने की घोषणा माननीय वित्त मत्री जी को करनी चाहिये।

अब मैं अनिवार्य बचत योजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । आज एक साहब जो शुरू में बोल रहे थे उन्होंने इसका बड़ा मजाक उड़ाने का प्रयत्न किया और कहा कि बाद में हमारे वित्त मंत्री महोदय अनिवार्य महा निद्रा आयोजन जैसी कोई योजना भी चलायेंगे ? लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि यह सही दिशा में कदम उठाया जा रहा है । हम लोगों को यह प्रयत्न करना चाहिये कि कुछ दिनों में अनिवार्य बीमा योजना लागू कर ी जाए मैं इस में श्री मौर्य का समर्थन करूंगा कि अनिवार्य बीमे की योजना को सोच समझ कर लागू किया जाना चाहिये । विस्तार की बातों में मतभेद हो सकता है । श्री अजित प्रसाद जैन जी ने आज मुझ से पहले बोलते हुए कहा था कि जो साधारण किसान हैं उनमें किस तरीके से इसको लागू किया जाए, यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है । इस को लागू करने में कुछ जटिलताएं आ सकती हैं, जिस का दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि रुपया प्राप्त करने की हमारी आशायें पूरी न हों । इस बजट के अन्दर १०५ करोड़ रु० की प्राप्ति की आशा छोटी बचत योजनाओं से की जा रही है । मैं समझता हूं कि जब अनिवार्य बचत होने लगेगी तो शायद उस में रुपया जमा नहीं होगा । इसी तरीके से जो राष्ट्रीय रक्षा कोष है, मुझे आशंका है कि उस के लिये भी चन्दा देना शायद बन्द हो जायेगा क्योंकि अनिवार्य रूप से देने वाले वही व्यक्ति हैं जिन के सीमित साधन है । आखिर कितनी दिशाओं में वे देश के आर्थिक निर्माण में सरकार का साथ दे पायेंगे इस लिये मेरा ख्याल है कि इस पर और गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है । अनिवार्य बचत योजना में, खास तौर से किसानों के लिये एक सीमा निर्धारित होनी चाहिये । हमारे बहुत से एकानमिस्ट्स के दिमाग में यह भ्रम पैदा हो गया है कि किसानों की हालत पहले से बहुत अच्छी है । मैं स्वीकार करता हूं कि किसानों की हालत पहले से अवश्य कुछ सुधर गई है । जहां हम झोंपड़ियां देखते थे वहां अब पक्के मकान बनने लगे हैं, गांवों के अन्दर हम थोड़ा बहुत सड़कों का निर्माण करा रहे हैं, पीने के पानी की व्यवस्था को फैला रहे हैं.....

एक माननीय सदस्य : वह अपर्याप्त है । इस ओर कदम बहुत नहीं बढ़ा है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मुझे माननीय सदस्य से गम्भीर मतभेद प्रकट करना पड़ेगा । कदम जरूर आगे बढ़ा है । लेकिन सवाल यह है जैसा कि हमारे योजना आयोग के आंकड़ों ने स्वयम् इस बात को सिद्ध किया है, कि अभी भी गांवों में ४० प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें भर पेट भोजन भी उपलब्ध नहीं है । कई वर्षों के प्रयत्नों के बावजूद, प्रगति की दिशा में कदम उठाने के बावजूद भी हम सम्पन्नता की स्थिति को नहीं पहुंच सके हैं । इस लिये स समस्या के सम्बन्ध में मैं न तो "हां" कह सकता हूं और न ही "न" कह सकता हूं । पर मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करना होना चाहिये और गांव के लोगों के बारे में कोई न कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिये । हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जिन की मालगुजारी १ ० से कम है उन पर यह ोजना लाम नहीं की जायेगी । मैं समझता हूं कि १ रु० की छूट बहुत कम है । इस के माने यह होंगे कि आप किसानों से ५० न० पै० प्रति वर्ष वसूल करेंगे । उन को वह बाद में जा कर किस तरीके से रिफंड होगा, इस में बहुत डिटेल का सवाल है । मैं चाहता हूं कि इस के लिये अधिक की सीमा निर्धारित होनी चाहिये और जो लोग दस रुपया, बीस पया या ीस रुपया या अधिक की मालगुजारी देने वाले हैं उन्हीं के ऊपर यह अनिवार्य बचत योजना लागू की जाय ।

जहां तक डाक घरों का सम्बन्ध है, मैं उन सदस्यों में से रहा हूं जो डाक तार की सुविधायें बढ़ाने के लिये संघर्ष करते रहे हैं । स विभाग ने जनता की बड़ी सेवा की है, विशेषकर उन पिछड़े हुए इलाकों के अन्दर, सुनसान या निर्जन इलाकों के अन्दर जहां पर कोई भी प्रगति की

[श्री भक्त दर्शन]

निशानी नहीं थी, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर खाली डाकखाने का खोलना ही स्वराज्य की पहली निशानी है। वहां पर न कोई बांध बन सकता है और न रेल जा सकती है और हवाई जहाज तो केवल स्वप्न की चीज है, लेकिन वहां पर डाक घरों की सुविधा हो जाने से लोगों को स्वराज्य के आनन्द का कुछ आभास मिला है। लेकिन जब यह कहा जाता है कि पोस्ट कार्डों पर करोड़ों रुपयों का नुक्सान हो रहा है, तो वह बात मेरी समझ में नहीं आती। जहां तक डाक तार विभाग का सम्बन्ध है, मैं उस का बारीकी से अध्ययन करने वाला एक सदस्य रहा हूं। प्रति वर्ष डाक तार विभाग की आमदनी बढ़ती चली जा रही है। अगर एक खाते में कुछ कमी होती है, मान लिया जाय कि घाटा भी होता है, तो कई अन्य शाखाओं में उस की आय अधिक हुई है। इस लिये मैं खास तौर से वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि पोस्ट कार्ड की जो कीमत बढ़ाई जा रही है, उस पर पुनर्विचार करने की बहुत आवश्यकता है। यह कह देना कि एक पोस्ट कार्ड की कीमत ८ न० पै० आती है उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि इस पर भी विभाग को गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि क्या सस्ता कार्ड नहीं बनाया जा सकता। उन को देखना चाहिये कि इस से घटा कर कितनी कीमत पोस्ट कार्ड की आती है। इस सदन के माननीय सदस्यों को जो स्टेशनरी मिलती है उस में बना बनाया पोस्ट कार्ड भी मिलता है। जब आपने अपने पोस्ट कार्ड की कीमत ८ न० प० आंकी है तो अगर कोई अपना पोस्ट कार्ड लगा कर भेजे और उस के ऊपर भी उस को ५ या ६ न० ० पड़े तो यह कोई न्याय की बात नहीं मालूम होती क्योंकि पोस्ट कार्ड का कागज बनाने में ज्यादा पैसा लगता है न कि उस के ऊपर मुहर लगाने में। इस लिये इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और चीजों में जो बढ़ोतरी की जा रही है, मैं उस का विरोध नहीं करता, लेकिन जहां तक पोस्ट कार्ड का सवाल है उस पर फिर से गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये क्योंकि गरीबों के लिये यही एकमात्र साधन है।

अब मैं एक ही बात कह कर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। यहां पर बहुत से मित्रों ने जो हमारा मद्य निषेध का कार्यक्रम चल रहा है उसे समाप्त करने की मांग रक्खी है। मैं समझता कि अगर हमारे देश में कोई अपनी विशेषता है, कोई अपना व्यक्तित्व है, तो वह यह है कि हम ने गांधी जी के बतलाये मार्ग पर स्वाधीनता को प्राप्त किया। हम जानते हैं कि हमारे अन्दर भी कमजोरियां हैं, हम गांधी जी के मार्ग पर पूरी तरह नहीं चल सक रहे हैं। परिस्थितियों ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम उन में सुधार करें, कुछ संशोधन करें, लेकिन जो कार्यक्रम आज वर्षों से चल रहा है उसे हम इस समय केवल एकानमी के नाम पर, रुपया प्राप्त करने के नाम पर, समाप्त कर दें, इस का मैं घोर विरोध करना चाहता हूं। मैं केन्द्रीय सरकार को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि कुछ राज्य सरकारों के जोर डालने पर भी उन्होंने मद्य-निषेध को समाप्त न करने की घोषणा की है। उस के अन्दर जो कमियां हैं उन्हें दूर करना चाहिये, लेकिन इस के मतलब यह नहीं है कि जिस कार्यक्रम को हम इतने वर्षों तक परिश्रम कर के इस स्टेज पर लाये हैं, उसे समाप्त कर दें। मैं मद्य निषेध के सम्बन्ध में एक और बात कहना चाहता हूं, और वह यह है कि मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है कि जब तक सरकारी कर्मचारियों पर, मुझे क्षमा करें, यहां तक कि मंत्रियों पर, यहां तक कि हमारे संसद् सदस्यों पर, विधान सभा के सदस्यों पर भी, यह अनिवार्य रूप से नहीं लागू किया जायेगा कि वे मद्य निषेध का पूरी तरह से पालन करें, तब तक हम इस को पूरी तरह से सफल नहीं कर सकते। अभी पिछले दिनों मेरे एक प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री जी ने बतलाया था कि "सर्विस कंडक्ट रूल्स" में कुछ संशोधन किये जा रहे हैं.....

एक माननीय सदस्य : लेकिन हम को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा ।

श्री भक्त दर्शन : मिनिस्टरों में से अधिकांश नहीं पीते, कुछ हो सकते हैं ।

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर) : उस तरफ के मेम्बर भी नहीं पीते हैं।

श्री भक्त दर्शन : मैं मेम्बर्स को भी कह रहा हूं । अगर मेरा सुझाव मान लिया जाय तो इलेक्शन रूल्स में यह शर्त हो जानी चाहिये कि कम से कम जो आदमी बुरी तरह से शराब पीते हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन को ज्यादा आदत पड़ गई है, वे मेम्बरी के लिये खड़े नहीं हो सकते । अगर यह चीज हो जाती है तो इस का असर पड़ने वाला है और इस से बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा हो जायेगा ।

अन्त में मैं आप को धन्यवाद देते हुए जो कर प्रस्ताव हैं उन का मोटे तौर से सैद्धान्तिक रूप से समर्थन करता हूं, इस लिये कि आज हमारे देश के लिये कुर्बानी करने की, त्याग करने की आवश्यकता है, जिस से हम साबित करना चाहते हैं कि अपने देश से चीनी आक्रमण को समाप्त करने के लिये हम कितने दृढ़ तिज्ञ हैं ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** (रत्नगिरी) : इस बजट से लोगों पर काफी बोझ रहेगा, परन्तु इस समय प्रश्न देश की स्वतन्त्रता की रक्षा का है । अतः इस बोझ को बर्दाशत करना चाहिए ।

सरकार से अनिवार्य बचत योजना पर फिर से विचार करना किया जाना चाहिये । सरकार को चाहिये कि २५०० रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को इस योजना से छूट दे ।

अधिलाभ कर का श्रमिकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । उन के बोनस पर इस का बुरा असर पड़ेगा । औद्योगिक श्रमिकों में अशान्ति पैदा होगी । उत्पादन क्षमता में कमी होगी ।

मेरा यह सुझाव है कि इसके स्थान पर एक योजना लागू की जाये जिसके अन्तर्गत कम्पनियां निगम कर देने की बाद बचे हुए लाभ का १५ प्रतिशत अनिवार्य रूप से जमा करायें । इस राशि को भारत के रक्षित बैंक में जमा कराया जाए और इस पर २½ प्रतिशत ब्याज दिया जाए । अधिलाभ कर जिस लिए लगाया गया है उस से उस से वह मतलब नहीं निकलेगा । इससे उत्पादन की लागत बढ़ाकर बचा जा सकता है । कुछ ऐसे व्यय दिखा कर जिनका पता करना कठिन है इस के पंजों से बचा जा सकता है ।

में तीन सुझाव रखती हूं । एक तो यह है कि अनिवार्य बचत कम की जानी चाहिए । दूसरे अधिलाभ कर के स्थान पर ऐसा कर लगाया जाए जिससे सरकार को आवश्यक राजस्व प्राप्त हो। तीसरे वित्त मंत्री को मिट्टी के तेल पर भारी कर के बारे में पुनः विचार करना चाहिए। यह गरीबों के प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तु है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : अधिलाभ कर की काफी चर्चा हुई है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कुछ लोगों का मत है कि अधिलाभ कर का उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । सरकार ने इस कर से २५ करोड़ रुपए की आय का अनुमान लगाया है । इस का मतलब है कि सरकार पहले से ही सोच रही है कि इसमें अपवंचन होगा । मेरे विचार में इस कर से १ अरब रुपए की आय होनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इंद्रजीत गुप्त]

बड़े बड़े व्यापारियों पर सरकार सीधे कर लगाने में असमर्थ रही है। यही बात विवियन बोस प्रतिवेदन में कही गई है। यह बात लोक-लेखा समिति के छटे प्रतिवेदन में निर्देशित नमूना लेखा-परीक्षा से स्पष्ट है। सरकार को चाहिए कि अपवंचन को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं।

यहां तक इस कर के विदेशी सहयोग पर निरुत्साहित प्रभाव का सम्बन्ध है ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों ने ऐसी आशंका प्रकट की है। यह गलत बात है। इस कर में लागू किसी भी निरुत्साहात्मक कार्य को कम करने के लिये कई प्रोत्साहन मौजूद हैं। ऐसी आशा है कि सरकार ने अधिलाभ कर में संशोधन करने के बारे में व्यापारियों को आश्वासन नहीं दिया है।

यह बात प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट है कि विकास और प्रतिरक्षा दोनों के लिए बड़े बजट की आवश्यकता है। जब सरकार लोगों से इतना अधिक धन एकत्रित करती है तो उसका भी उत्तरदायित्व है कि वे उस धन का सदुपयोग करे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हम यह नहीं जानते कि ८६७ करोड़ रुपये की रकम किस प्रकार व्यय की जायेगी। वस्तुतः हमें बजट के आकार से कोई आपत्ति नहीं है। मेरी मुख्य आपत्ति उसके प्रचार से है। वस्तुतः सामान्य जनता कभी भी त्याग करने से पीछे नहीं रही है और आवश्यकता होने पर वे इस सम्बन्ध में कभी पीछे भी नहीं रहेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं श्रीमती जान राविन्सन की राय उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने बताया है कि आपातकाल से यहां समानता, विकास और सामाजिक न्याय को बल नहीं प्राप्त हुआ है अपितु ऐसे तत्वों को बल प्राप्त हुआ है जो गैर सरकारी क्षेत्र से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं।

वस्तुतः आय-व्ययक में बड़ी असाम्यता है। इससे इन लोगों से धन देने को कहा गया है जो धन नहीं दे सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि प्रस्तावित कराधान के तरीके में संशोधन किया जाये।

अब मैं अनिवार्य बचत को लेता हूं। उसमें एकरूपता नहीं अपनायी गयी है। कहीं पर न्यूनतम आधार आय को माना गया है तो कहीं पर राजस्व को। यह अनुचित है।

अब मैं कर्मचारियों की अनिवार्य बचत योजना को लेता हूं। जब हमने सरकार से उद्योगों में भविष्य निधि के प्रतिशत को ६¼ से बढ़ाकर ८¼ करने को कहा तो सरकार ने कई वर्ष लगाये, यदि सरकार इसे क्रियान्वित करती तो १३ करोड़ अतिरिक्त राशि की बचत होती तथापि सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया इसके विपरीत अब ऐसे कर्मचारियों को बचत की राशि देनी होगी जो कि बहुत कम वेतन पाते हैं और जिनकी काफी राशि कट जाती है। दूसरा इसका एक फल यह होगा कि भविष्य निधि और बीमा की रकमों में कमी हो जायेगी।

आयकर में जो वृद्धि की गयी है उनसे विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों पर बुरा प्रभाव होगा। वस्तुतः ऐसे समय हमें उन टैक्नीकल कर्मचारियों को जो विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यहां बुलाना उचित नहीं होगा।

समझ में नहीं आया कि मिट्टी तेल पर ही क्यो उत्पादन शुल्क में वृद्धि की गयी है। यह कहा गया है कि विदेशी मुद्रा की बचत करने के लिये ऐसा किया गया है, तथापि यह स्मरण रखना चाहिये

कि मिट्टी तेल पर शुल्क की वृद्धि करने से सामान्य जनता के जीवन स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मिट्टी का तेल सामान्य जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है।

यह विचित्र बात है कि शुल्क केवल वनास्पतिक परिशोधित (प्रोसेस्ड) तेलों पर ही लगाया गया है इसमें छानना (फिल्टरिंग) शब्द भी शामिल है। इसका यह प्रभाव होगा कि लोग तेल छानना भी बन्द कर देंगे।

अब मैं कीमतों का प्रश्न लेता हूं। यद्यपि कीमतों को स्थिर रखने के बारे में सभा में लम्बी चर्चा हुई तथापि उसका कोई ठोस प्रभाव नहीं हुआ बजट प्रस्तुत होते ही वस्तुओं की कीमतों में १ मार्च १९६३ को ३ से ५ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। यद्यपि जो कर लगाये हैं वे १ अप्रैल से प्रभावी होंगे तथापि भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि अधिकतम मूल्य कितना लिया जा सकता है। वास्तव में यह विचित्र बात है।

मेरा विचार यह है कि यदि भारत की प्रतिरक्षा नियमों का सही तरीके से उपयोग किया जाये तो वे कीमतों की इस वृद्धि को रोक सकते हैं। वस्तुतः यही अवसर है जब सरकार की इस नीति की आलोचना की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वे सरकारी व्यय में मितव्ययिता करें। केन्द्रीय सरकार का कागज पेंसिल इत्यादि का व्यय प्रतिवर्ष ३ करोड़ रुपये है। इस व्यय में बचत की जा सकती है।

इस सम्बन्ध में मैं ३ नवम्बर के त्रिपक्षीय सम्मेलन की भी याद दिलाना चाहता हूं। संकट की उस स्थिति में मजदूरों, मिल मालिकों ने सरकार के सम्मुख यह वायदा किया था कि वे औद्योगिक शान्ति को बनाये रखेंगे। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि कीमतों को नहीं बढ़ने दिया जायेगा इसके बदले श्रमिकों ने उन्हें यह बचत वचन दिया था कि वे हड़ताल नहीं करेंगे।

अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये तथा विदेशी व्यापार यथा पटसन, का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये क्योंकि इस समय इस व्यापार में बहुत मुनाफा हो रहा है।

जहां तक निजी थैलियों का सम्बन्ध है मेरा सुझाव है कि इसमें एक अधिकतम सीमा विहित की जाये इससे भले ही सरकार को अधिक मुनाफा न मिले परन्तु उसका प्रभाव अच्छा होगा।

मेरा सुझाव है कि मद्य निषेध को समाप्त कर दिया जाये इससे सरकार को ६० करोड़ रुपये की आय होगी।

हमारी अर्थ-व्यवस्था में विदेशी सहायता का मात्रा बहुत अधिक है। हमारा कुल विनियोजन १७७४ करोड़ है जिसमें विदेशी सहायता ५५२ करोड़ है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस अर्थ-व्यवस्था की रूपरेखा में आवश्यक परिवर्तन किये जायें।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने देश के सामने मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए जो कर प्रस्ताव रखे हैं मैं उनका मोटे तौर पर समर्थन करता हूं। वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में अन्त में कहा है :

> "क्या चीनियों के हमले की चुनौती का जवाब दिए बिना हमारा गुजारा हो सकता है ? क्या आगे के लिए यह समझदारी की बात होगी कि विकास की अपनी आकांक्षाओं

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]

का त्याग करके हम इस चुनौती का सामना करने का प्रयत्न करें ? या सचमुच, ईमानदारी से इसका सामना न करने और इसके बदले मु ा का फैलाव करने वाली शक्तियों को बेलगाम छोड़ देने में बुद्धिमानी होगी ?"

इन परिस्थितियों में मोरारजी भाई ने जो कर प्रस्ताव पेश किए हैं उनकी अनेक रूपों में किसी न किसी ढंग से आलोचना करने की कोशिश की गयी है । लेकिन यह कहा जा सकता है कि हमारा देश जिन गम्भीर परिस्थितियों से गुजर रहा है उनको देखते हुए बगैर बढ़े हुए कर प्रस्तावों के हम हमलावरों का मुकाबला करने के लिए धन एकत्र नहीं कर सकते । यह भी हमारे लिए जरूरी है कि हमारे देश में विकास के जो कार्य चल रहे थे उनमें किसी प्रकार की बाधा न पड़ने पावे क्योंकि जब तक हमारा देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं हो जाता तब तक हम विदेशियों का अच्छी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते । लेकिन यह जरूर है कि जिस परिस्थिति में हम हैं उस परिस्थिति में केवल करों को बढ़ा कर या अधिक धन संग्रह करके ही हम विदेशियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं । हमारी जो घर की परिस्थितियां हैं उनमें हम काफी सुधार ला सकते हैं । आर्थिक प्रयत्नों के सिवाय दूसरी दिशाओं में और दूसरे क्षेत्रों में भी उचित तरीक़े से ध्यान देने की जरूरत है ।

अनेक लोगों ने इन मौजूदा कर प्रस्तावों की आलोचना की है जिन कर प्रस्तावो की आलोचना की गई है उनमें से दो, एक छोटी बातों की ओर में जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं । उदाहरण के तौर पर किरोसीन आयल पर जो कर लगा है, कागज पर जो कर लगाया गया है या अन्य दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर जो कर लगाया गया है उस पर निश्चय ही वित्त मंत्री को पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इन का सम्बन्ध इस देश के करोड़ों लोगों के जीवन से है । लेकिन इस के साथ ही यह भी निश्चित है जैसाकि श्री राजगोपालाचार्य ने बताया है कि अन्ततः यह जो कर प्रस्ताव होते हैं, यह जो कर लगाये जाते हैं इन का असर साधारण लोगों पर ही पड़ता है लेकिन इस से उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है उस निष्कर्ष से हरगिज़ सहमत नहीं हुआ जा सकता है ।

स्वराज्य के एक अंक में एक कार्टून प्रकाशित हुआ है जिसमें यह दिखलाया गया है कि अमरीका के राष्ट्रपति एक गाड़ी पर चले जा रहे हैं और हमारे प्रधान मंत्री सड़क पर खड़े हैं । उन से यह कहा जा रहा है कि लिफ्ट दिया जाता है इस पर सवार हो जाओ । यह मंशा है उन का यह उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक विदेशी सहायता लें और अपने देश में कर न बढ़ायें । यह जो नीति है इस के ऊपर चल कर वह दिखाना चाहते हैं कि हम तटस्थता की नीति को छोड़ कर अपने देश की आज़ादी की र ा कर सकते हैं । लेकिन मेरा ख़याल है कि वयोवृद्ध नेता राजा जी को चीन का उदाहरण नहीं भूलना चाहिये । हमारे देश ने विदेशों से जितनी मदद ली है उस से भी अधिक मात्रा में चीन के चांग काई शेक ने विदेशों की मदद ली थी लेकिन चीन अपनी आज़ादी की रक्षा नहीं कर सका । अगर हम सचमुच अपनी आज़ादी की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें अपनी आर्थिक और दूसरी शक्तियों को अधिक से अधिक बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिये । दूसरों के भरोसे हम बहुत अधिक दिनों तक अपनी आज़ादी की रक्षा नहीं कर सकते हैं । यह जरूर है कि जिन मित्र देशों ने ऐसे गाढ़े समय में ऐसे संकट के समय में हमारी मदद की है वह हमारे धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन सचमुच में वह धन्यवाद के पात्र तब होंगे जब वे हमें हर तरीक़े से अपने पैरों पर खड़े होने में मदद देंगे । वैसी मदद की हमें दरकार है जिस से हम सचमुच अपनी आर्थिक और दूसरी शक्तियों को बढ़ा सकें । वह मदद रूस से आ सकती है, वह मदद अमरीका से आ सकती है, वह मदद इंग्लैंड से आ सकती है, या किसी भी देश से आ सकती है । इस के लिए हम ने जो तटस्थता की नीति अपना रक्खी है वह मूलतः सही है ।

हम ने अपने संविधान में अपने निर्माण के लिए अपने राष्ट्र को प्रजातांत्रिक राष्ट्र कहा है और अपनी नीति के रूप में प्रजातांत्रिक समाजवाद की नीति को स्वीकार किया है। प्रजातांत्रिक समाजवाद एक ऐसा शब्द है जिस से हमारी उस मूल नीति पर प्रकाश पड़ता है। प्रजातंत्र का सिद्धान्त अमरीका, इंग्लैंड या ऐसे दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों का है जबकि समाजवाद का सिद्धान्त रूस जैसे मार्क्सवाद के सिद्धान्तों को मान कर चलने वाले देशों का है। हमारे देश की जो परिस्थिति है, उस स्थिति में प्रजातांत्रिक साधनों के सहारे, प्रजातंत्री साधनों पर ही चल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने से हमारा वास्तविक विकास हो सकता है। प्रजातंत्री ढंग को छोड़ कर विकास के जो दूसरे रास्ते हैं, अगर उन को अपना कर हम चलते हैं तो इस देश के जो करोड़ों अशिक्षित, अविकसित या निर्धन लोग हैं, उन को विकसित होने का मौक़ा नहीं मिलेगा। इस देश में हज़ारों वर्षों से जो परिस्थिति रही है उस परिस्थिति से इन लोगों को ऊपर उठने का रास्ता नहीं मिल सकेगा। दूसरी तरफ़ अपने देश से आर्थिक विषमता को दूर करने की कोशिश करते हुए यह बहुत ज़रूरी है कि प्रजातांत्रिक ंग से हम इस देश में राजनीतिक चेतना को लायें, उन्हें मतदान के रूप में जो राजनीतिक अधिकार मिला है उस अधिकार का वह वास्तविक उपयोग करना सीखें। यह ज़रूरी है लेकिन यह भी ज़रूरी है कि हमने अपने सिद्धान्त के रूप में समाजवादी समाज की रचना का जो सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया है, उस के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य को हम नज़रअंदाज़ न करें। इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना जो बनाई गई है उस के आरम्भ में भी इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया है कि आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए कैसे कदम उठाने की ज़रूरत है। लेकिन यह बहुत दुःख की बात है कि हाल ही में इस देश में आर्थिक शक्तियों का जो केन्द्रीयकरण होता जा रहा है उस की जांच के लिए जो महालनवीस कमेटी बनाई गई है उस ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट जो दी है उस से ऐसा मालूम पड़ता है कि इस देश में आर्थिक शक्तियों का केन्द्रीयकरण होता जा रहा है। पिछले साल एक सवाल का जवाब देते हुए माननीय वित्त मंत्री ने बताया था कि जहां १०, ११ साल पहले इस देश में दो करोड़पति होते थे वहां अब उन की संख्या बढ़ कर २३ हो गई है। यह इस देश की जो नीति है, स्वीकृत नीति है उस को देखते हुए, हमारे देश के आर्थिक ांचे का जो विकास है उस को उचित नहीं कहा जा सकता है। एक तरफ़ यह आर्थिक विषमता है जिस को कि दूर करने की तरफ़ हमारा ध्यान जाना चाहिए क्योंकि बग़ैर इस के हमारा देश हरगिज़ विदेशी शक्तियों का और विदेशी हमलावरों का उचित ढंग से मुक़ाबला नहीं कर सकता है, वहां दूसरी तरफ़ यह भी ज़रूरी है कि इस देश में जो क्षेत्रीय ढंग पर विकास की असमानता है उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हमारे देश के विभिन्न हिस्सों का और विभिन्न राज्यों का संतुलित रूप में विकास नहीं हो रहा है। इस क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर करने की ज़रूरत है तभी सचमुच हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं।

इन सब चीज़ों के लिए मेरा ख़्याल है कि अपने देश के प्रशासनिक ढांचे में जैसे परिवर्तन की ज़रूरत थी वैसा परिवर्तन हम अभी तक नहीं कर पाये हैं। आज़ादी के दिनों में जो हमारे नेता रहे, उन्होंने हमारे सामने इस देश में आज जो प्रशासनिक ढांचा है उस में परिवर्तन करने के लिए जिस ढंग की मांग की थी, उन के हाथ में इतने दिनों तक शासन सूत्र रहा फिर भी इस दिशा में जैसा परिवर्तन होना चाहिए वैसा परिवर्तन नहीं हो सका है। जब तक हम प्रशासनिक ढांचे में उचित परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक जो हमारी नीति है, जो हमारे सिद्धान्त हैं और अपने लिए जो हम उद्देश्य चुनते हैं, उन पर उचित रूप से नहीं चल पायेंगे। यही वजह रही है कि अक्सर हम ने जिन नीतियों को स्वीकार किया है, उन नीतियों को अमली रूप देने में हम आज तक किसी न किसी रूप में और किसी न किसी हद तक असफल रहे हैं। उस की तरफ़ हमारा ध्यान जाना चाहिए। इस देश का जो प्रशासनिक ढांचा है उस को बुनयादी तौर पर बदलने की तरफ़ हमारा ध्यान जाना

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]

चाहिए। ऊपर से ले कर नीचे तक हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है वह किसी न किसी रूप में इस देश की जनता से अपने को अलग मानता है। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक इस देश का राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार से जो हम इस का विकास चाहते हैं ऐसा विकास नहीं हो सकता है।

उदाहरण के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी हमने अपने देश में जो शिक्षा की नीति अपना रक्खी है वह नीति ऐसी है कि जिस नीति पर चल कर सम्भवतः हम सैंकड़ों वर्षों तक अपने देश का विकास नहीं कर पायेंगे। एक तरफ़ हमारे देश में ऐसे पबलिक स्कूल्स हैं जिन में केवल उन्हीं लोगों के लड़के पढ़ सकते हैं जिन की कि आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अच्छी स्थिति है और जिनकी कि आमदनी काफ़ी है और दूसरी तरफ हम ने देश के साधारण लोगों के लिए अपनी बुनियादी शिक्षा की जो पद्धति अपना रक्खी है वह गांव के लिए है। यह ऐसी बड़ी बाधा है, यह ऐसी बड़ी विषमता है कि जिस को अगर हम क़ायम रक्खेंगे तो हमारे देश में दिनोदिन यह असमानता निरन्तर ज्यादा बढ़ती जायेगी और दूसरी तरफ में जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, हो सकता है कि निर्धन परिवार में उत्पन्न हुए हों, उन्हें अपनी प्रतिभा को विकसित करने का मौक़ा नहीं मिल सकेगा। इसलिए आवश्यक है कि जो हमारे मूलभूत सिद्धान्त हैं उन को कार्यान्वित करने के लिए ऐसा प्रशासनिक ढांचा बनायें, इस में ऐसे ढंग से परिवर्तन करें जिस में सचमुच में हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो सकें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने इस ढांचे में ऐसा परवर्तन करें जिस में शीघ्र से शीघ्र हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

अभी कुछ दिनों से विवियन बोस कमिशन ने जो रिपोर्ट दी है उस की भी चर्चा अक्सर की जाती है। उस की चर्चा आगे होने वाली है। इस सम्बन्ध में मैं इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर हमारे शासन का ढांचा कुछ ऐसा होता जिस में इस प्रकार की कमजोरियां न होती तो सम्भवतः ऐसी घटनाएं न घटी होतीं। और भी ऐसी घटनायें घट रही हैं, जिन की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए और उन को रोका जाना चाहिये। उन पर रोक लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक तरफ वयोवृद्ध नेता हैं जैसे राजा जी हैं, जो बराबर इस बात की मांग करते हैं कि निजी क्षेत्र को अधिक से अधिक पनपने का मौका दिया जाना चाहिए। ९ तारीख के स्वराज्य में उन्होंने एक अग्रलेख में लिखा है कि अधिक से अधिक स्वतंत्रता निजी उद्योगपतियों को मिलनी चाहिये। लेकिन दुख की बात है कि उन का ध्यान निजी क्षेत्र में डालमिया जैन का जो केस है, उन का जो ुप है, उस में जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो लूट मची हुई है, इस की तरफ नहीं गया है। इस के बारे में एक शब्द भी कहने के लिए उन के पास नहीं था। पिछले दिनों एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए इस्पात और भारी उद्योग मंत्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने बताया था कि ग्यारह निजी उद्योगपतियों को कच्चे लोहे के कारखाने खोलने के लाइसेंस दिये गये थे, लेकिन उन में से किसी ने भी कारखाना नहीं खोला है। अगर यह स्थिति रही और इसी ढंग से देश के विकास में वे हमारी मदद करना चाहते हैं तो समझ में नहीं आता है कि उन की मदद की क्या कीमत हो सकती है और क्या कीमत हमारे इतिहासकार बाद में आंकेंगे। जो ढंग है, उस को हमें बदलना होगा। राष्ट्र के विकास में योजना बनाते समय उन का जो हिस्सा रखा गया है, उस में उचित ढंग से उन्हें हाथ बटाना चाहिये, उचित ढंग से हमारी मदद करनी चाहिये।

सरकारी क्षेत्र से तीसरे योजनाकाल के लिये जो तीनसौ करोड़ रुपये की पूंजी की उम्मीद की गई थी, सम्भवतः उतनी पूंजी नहीं आ सकेगी। इसकी भी हमें पूरी तरह से जांच करनी चाहिये कि क्यों हमने सरकारी क्षेत्र में जो उद्योग कायम किये थे, उनसे उतनी पूंजी प्राप्त नहीं हो सकी

है, कहां त्रुटियां हैं, कहां खामियां हैं। योजना बनाते समय हमें बराबर ध्यान रखना चाहिये कि जो सरकारी उद्योग से उम्मीद की गई है, वह पूरी हो। मैं समझता हूं कि अभी तक इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया गया है कि अन्ततः किस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, ठीक काम चलाने की, उत्पादन को बढ़ाने की, योजना को कार्यान्वित करने की। जिस किसी व्यक्ति पर आप यह दायित्व डालते हैं, उसको इस दायित्व को पूरी तरह से निभाना चाहिये। उदाहरण के लिए मैं आपको राजधानी में जो पिछले साल बिजली का संकट आया था, उसको ही बताना चाहता हूं। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, श्री धर्मवीर की अध्यक्षता में, एक डामले साहब की अध्यक्षता में बनाई गई, पता नहीं और कितनी बनाई गईं या बनाई जायेंगी लेकिन अभी तक यह निर्णय ही नहीं हो पाया है, कमेटीज़ इस निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंच पाई हैं कि बिजली जो फेल हुई, उसका दायित्व अन्ततः किस पर है। अगर कोई आदमी अपना दोष दूसरों पर डालता जाए, और कोई भी अपने दायित्व को स्वीकार न करे, तो काम आगे बढ़ नहीं सकता है और न ही हम अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं। रूस या दूसरे देशों में भी योजनाबद्ध अर्थ व्यवस्था है। वहां भी इस सिद्धन्त में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। अभी पिछले साल प्रो० लिवरमैन ने कुछ ऐसा सिद्धान्त निर्धारित किया है जिस का उपयोग रूस के विकास में किया जा रहा है कि हम अपने सामने जो लक्ष्य रखते हैं, जो उद्देश्य रखते हैं, उसकी पूर्ति का दायित्व भी किसी पर होना चाहिये। अगर उस दायित्व को पूरा करने में कोई कमज़ोरी दिखाई है या कोई कमी रह जाती है तो उस व्यक्ति को उसका भागीदार बनना चाहिये, उसको उसका दोष दिया जाना चाहिये और अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होता है, तो उसके लिए उसे शाबाशी दी जानी चाहिये, उसको प्रशंसा का पात्र माना जाना चाहिये। अभी तक हम इस रूप में अपने को विकसित नहीं कर सके हैं।

अक्सर कहा जाता है कि हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का जो काम हो रहा है वह सन्तोषजनक नहीं है। हम अविकसित अर्थ-व्यवस्था के भीतर से गुज़र रहे हैं। जब यह कहा जाता है कि उन के ऊपर इतना अधिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिये, तो यह बात कुछ समझ में आने लायक नहीं मालूम देती है। हमारे देश की जो अर्थ-व्यवस्था है उसका केवल दस प्रतिशत या उससे भी कम सरकार के नियंत्रण में है। दूसरी तरफ़ दुनिया में जो स्वतंत्र अर्थ-व्यवस्था का सब से बड़ा देश अमरीका है, वहां बीस प्रतिशत से भी अधिक अर्थ-व्यवस्था वहां की सरकार नियंत्रित करती है। इस्पात उद्योग के ऊपर जो संकट आया या इस्पात के उद्योगों ने वहां उसकी कीमतें बढ़ाने की बात सोची और उसको ले कर वहां प्रेसीडैंट कैनेडी ने जो कदम उठाया अगर वैसा ही कोई कदम अपने देश में उठाया जाए तो पता नहीं निजी क्षत्रों के जो समर्थक हैं, वे किस प्रकार का शोरगूल मचायेंगे। मैं समझता हूं कि हमें निश्चित रूप से सन्तुलित कदम आगे बढ़ाने की आज जरूरत है।

अब मैं अपने देश की कृषि व्यवस्था के सम्बन्ध में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। बार बार यह कहा गया है कि कृषि का उत्पादन अपने देश में बढ़ाना चाहिये लेकिन वह नहीं बढ़ रहा है। इसके तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो यह है कि जब तक हम बाढ़ को रोकने के लिय उपाय नहीं करते हैं, उसको रोकने में सफल नहीं होते हैं, तब तक पैदावार नहीं बढ सकती है। इसी प्रकार से जब तक देश को जो सूखा पड़ता है, उससे बचाने का कोई उपाय नहीं निकालते हैं, तब तक पैदावार नहीं बढ़ सकती है। तीसरी बात यह है कि जब तक हम किसानों को कोई इंसैंटिव नहीं देते हैं, प्रोत्साहन नहीं देते हैं, प्रोटैक्शन नहीं देते हैं, तब तक उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से इस देश में उद्योगों का जो विकास हुआ है, उसका इतिहास देखने से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश के उद्योग पतियों को उद्योगों के विकास के लिये बराबर राज्य की ओर से कितनी ही प्रकार से संरक्षण दिए जाते रहे हैं और अब भी दिए जा रहे हैं। दूसरी

[श्री भक्त दर्शन]

तरफ़ इस देश में किसानों को खेती के विकास के लिए राज्य की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जा सका है। तीन चार वर्षों से सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि खेती की फसल के लिए भी बीमे की प्रणाली को काम में लाया जाए और उन्हें खेती की उपज का उचित मूल्य मिले। लेकिन अभी तक इसके सम्बन्ध में कोई उचित निर्णय नहीं किया जा सका है। इस ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना आवश्यक है।

अन्त में मैं श्री दिनकर जी की कविता की चार पांच पंक्तियां कह कर अपने वक्तव्य को समाप्त कर दूंगा। चीन के हमले के बाद हमारे मुल्क में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसी को ध्यान में रख कर उन्होंने यह कविता लिखी है जिस की तरफ़ मेरा ख्याल है कि हम में से प्रत्येक का ध्यान जाना चाहिये। उन्होंने लिखा है :—

कुछ समझ नहीं पड़ता, रहस्य यह क्या है।
जाने, भारत में बहती कौन हवा है।
गमलों में हैं जो खड़े, सुरम्य सुदल हैं,
मिट्टी पर के ही पेड़ दीन दुर्बल हैं।

जब तक हैं यह वैषम्य, समाज सड़ेगा,
किस तरह एक हो कर यह देश लड़ेगा ?

सब से पहले यह दुरित-मूल काटो रे।
समतल पीटो, खाइयां-खड्ड पाटो रे।
बहुपाद बटों की शिरा-सोर छांटो रे।
जो मिले अमृत, सब को समान बांटो रे।

वैषम्य घोर जब तक यहां शेष रहेगा,
दुर्बल का ही दुर्बल यह देश रहेगा।

सदस्य की रिहाई

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे लोक-सभा को यह बाताना है कि मुझे सम्बलपुर के डिप्टी कमिश्नर से दिनांक ९ मार्च, १९६३ का निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुआ है:—

"मुझे आपको यह सूचित करना है कि श्री किशन पटनायक, सदस्य, लोक-सभा को पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किय जाने तक ७ मार्च, १९६३ को जमानत देने पर हिरासत से रिहा कर दिया गया है।"

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : बजट को देख कर मैं वित्त मंत्री की प्रशंसा करने में असमर्थ हूं। वित्त मंत्री ने एक बहुत बड़ा बजट प्रस्तुत किया है। वस्तुतः हमारे समुख समस्याओं का उत्तर बजट प्रस्तावों से देने का प्रयत्न किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार के आयव्ययक को ठीक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस से देश में पूंजी का विकास नहीं होगा। इस से आर्थिक विकास भी रुक जायेगा।

प्रस्तावित करों का यह प्रभाव होगा कि लगभग २० प्रतिशत आय चली जायेगी। करों से प्राप्त वृद्धि का मतलब यह है कि राष्ट्रीय बचत समाप्त हो जायेगी।

तथापि चाहे कुछ भी हो हमें आर्थिक विकास की चुनौती को स्वीकार करना है। परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये आयव्ययक में जो तरीके अपनाये गये हैं वे ठीक नहीं हैं।

वस्तुतः हमारी जो आलोचना हुई है उसका कारण हमारी गलत विदेशी नीति है। सच्चाई यह है कि हमारी सैनिक दुर्बलता सारे विश्व पर प्रगट हो गयी है। जब तक हमारी नीतियों में मूलभूत परिवर्तन न किया जायेगा तब तक राष्ट्रीय गौरव और एकता को नहीं बचाया जा सकता है। सरकार को यह समझ लेना चाहिये कि रूसी पद्धति पर योजना बनाना कहां तक ठीक है। केवल साम्यवादी देश ही ऐसे नहीं हैं जिन्होंने पिछड़ी अवस्था से तरक्की की है, अन्य कई देशों ने भी दूसरे तरीकों से काफी तरक्की है। रूस में जो कुछ हुआ है उसका अर्थ केवल यही है कि सारी सम्पत्ति अन्ततोगत्वा सरकार के हाथों में केन्द्रित हो जाती है वास्तव में लोकतंत्र और योजना दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं।

यही कारण है कि मैंने यह कहा कि वर्तमान बजट गलत आधारों पर बनाया गया है। न तो इस बजट से देश की प्रतिरक्षा ही मजबूत होगी और नही यह अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देगा। इसलिये इस बजट को पूर्णतया अस्वीकार कर देना चाहिये; जब तक इसमें आमूल परिवर्तन नहीं कर दिये जाते।

इसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे और न तो गलत कार्य में अध्यवसाय ही और न वाकप्रपंच ही किसी को अपने कृत्यों के परिणाम भोगने से रोक सकेगा।

तथापि बजट की यह आलोचना मात्र सैद्धांति कह कर उपेक्षित कर दी जायेगी। इसलिये मेरे लिये यह उचित है कि मैं कुछ सुझाव रखूं जिससे लोगों के ऊपर डाला जाने वाला यह भार कुछ हल्का हो सके। बजट में प्रतिरक्षा के लिये ७०८ करोड़ रुपये की व्यवस्था है जब कि गत वर्ष यह ३६७ करोड़ रुपये थी। इस प्रकार २३२ करोड़ के अतिरिक्त कर लगा कर कुछ सीमा तक यह कमी पूरी की जायेगी।

किन्तु इस २३२ करोड़ रुपये की राशि के लिये अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह अनुमान है कि इस राशि का लगभग ५० प्रतिशत ऐसे शस्त्र और उपकरणों में व्यय होगा जिनका निर्माण देश में नहीं किया जाता। किन्तु जब हमारे मित्र देश, अमरीका, ब्रिटेन और दूसरे देश इन चीजों को सहायता के रूप में दे रहे हैं तो गरीब जनता पर ११६ करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार डालने की क्या आवश्यकता है। शेष ११६ करोड़ रुपया बिना करारोपण के सहायता से प्राप्त किया जा सकता है।

पहली बात तो यह है कि बजट प्रस्तावों में राजस्व का प्राक्कलन कुछ कम लगाया गया है। इस वर्ष हमें ८०० करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा जब कि अनुमान ७३० करोड़ रुपये का था। आगामी वर्ष में गत वर्ष के औद्योगिक उत्पादन पर ३ प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाते हुये कुछ राजस्व ८९० करोड़ रुपये होगा जबकि अनुमान ७३० करोड़ का है। केवल इससे ही १६६ कराड़ रुपये की आय हो जायेगी जो हमें प्रतिरक्षा के लिये चाहिये।

[श्री कपूर सिंह]

इसके अतिरिक्त आय-कर से प्राप्त राशि है। कर की वर्तमान दर के अनुसार ५ प्रतिशत की अतिरिक्त प्राप्ति की आशा है और यह ८ करोड़ रुपये होगी। निगमों से भी १२½ प्रतिशत की दर से २२ करोड़ रुपये की प्राप्ति हागी। इस प्रकार यह राशि ३० कराड़ रुपये होगी जिसका बजट के प्रस्तावों में काई हिसाब नहीं लगाया गया है।

इसके साथ ही मंत्रियों के जल और बिजली के हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों को देखते हुये हम आशा कर सकते हैं कि यदि असैनिक प्रशासन में मितव्ययिता करने की सच्चाई से चेष्टा की जाये तो ५० करोड़ रुपये की बचत होगी।

इस प्रकार वित्त मंत्री को योजना और प्रतिरक्षा के लिये जो धन चाहिये वह बिना कर लगाये ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। हां, यदि उन्हें कर लगाने में आन्तरिक हर्ष का ही अनुभव होता है तो बात ही दूसरी है। जैसा कि गालिब ने कहा है :—

शुमारे सुबह भरगूबे बुते मुश्किल पसन्द आया,
तमाशाए बयक कफ बुरदने सददिल पसन्द आया।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर)** : अध्यक्ष महोदय, असाधारण परिस्थितियों में प्रस्तुत किये गये इस वर्ष के असामान्य बजट पर विशेषतः विरोधी पक्ष के द्वारा सामान्य ही प्रतिक्रिया हुई है।

[उपाध्यक्ष महोदय बैठासीन हुए]

एक ओर तो वह यह कहते हैं कि हमें देश की प्रतिरक्षा के लिये अपने को तैयार करना चाहिये। किन्तु यदि उन्होंने करों का विरोध किया तो ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। संभवतः वह समझते हैं कि स्थिति में परिवर्तन हो गया है। किन्तु उन्हें याद रखना चाहिये कि स्थिति पहले से भी अधिक गम्भीर हो गई है। और इसका कारण है चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई मित्रता। पाकिस्तान द्वारा चीन से सीमा समझौता कर उसे भारत का १३,००० वर्ग मील प्रदेश सौंप देन से स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हो जाती है।

ऐसी गंभीर स्थिति में यह आवश्यक है कि सब वर्गों के लोग अपनी आय का कुछ न कुछ भाग दें। श्री कपूर सिंह ने कहा था कि कर लगाने के स्थान पर अमरीका से देश की तिरक्षा के लिये सहायता ली जाये। मेरे विचार से राजनैतिक और आर्थिक रूप से अमरीका पर निर्भर रहना उसी प्रकार है जिस प्रकार चीन अथवा किसी अन्य विदेशी राज्य पर निर्भर रहना। निस्संदेह मुसीबत के समय अमरीका ने हमें सहायता दी है। मुझे विश्वास है कि मित्रता और सहयोग के आधार पर भविष्य में भी हमें सहायत मिलती रहगी। किन्तु हमें समाजवादी ढांचे के समाज के अपने मूल भूत सिद्धांतों को नहीं छोड़ देना चाहिये। श्री प्र० के० देव ने कृषि उत्पादन में कमी का उल्लेख करते हुये कहा था कि भूमि सुधारों के डर से किसान उत्पादन बढ़ाने में रुचि नहीं लेंगे। किंतु एक ओर यह कहा जाता है कि हम कृषि उत्पादनो के लक्ष्य को इसलिये प्राप्त नहीं कर सके कि हमारी भूमि व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है। इस आपातकाल में सारे राजनैतिक सिद्धांत, आर्थिक दृष्टिकोण स्पष्ट हो गये हैं। जनसंघ और स्वतंत्र दल के लोग यह चाहते हैं हम देश की प्रतिरक्षा का कार्य अमरीका अथवा किसी अन्य देश को सौंप दें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री बड़े** : यह बात गलत है।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : किन्तु जब यह कहा जाता है कि कर न लगाये जायें तो अमरीका से सहायता लेने के अतिरिक्त और क्या मार्ग रह जाता है ?

कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में मैं स्वतंत्र दल के प्रवक्ता से सहमत नहीं हूं। मेरा विचार है कि यदि भूमि सुधारों को तेजी से लागू नहीं किया गया तो कृषि उत्पादन की समस्या अगले ५ अथवा १० वर्षों में भी वैसी ही रहेगी। मैं यही कहूंगा कि इस आपातकाल में केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की गई कृषि विकास योजनाओं को अधिक प्रभावपूर्ण रूप से लागू किया जाये। यह श्री थामस और श्री पाटिल का उत्तरदायित्व है कि भूमि सुधारों को यथा शीघ्र और सर्वाधिक कारगर रूप में लागू किया जाये। जब भी कभी कृषि उत्पादनों का प्रश्न उत्पन्न होता है वह कह देते हैं कि यह राज्यों का उत्तरदायित्व है, हमारा नहीं। यदि ऐसा है तो इस मन्त्रालय को खाद्य आयात मन्त्रालय बना दिया जाये और सारे अन्य कार्य राज्यों को अथवा सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय को दे दिये जायें। फिर शिकायत का अवसर नहीं रह जायेगा।

अब मैं कर प्रस्तावों को लूंगा। अधिलाभ कर की कहानी बड़ी रोचक होती जा रही है। मैंने बड़े ध्यान से इसके विषय में किये गये भाषणों को सुना। किन्तु मुझे कोई विशेष बातें समझ में नहीं आईं। जो लोग व्यापारियों के पक्ष में हैं वह भी और जो श्रमिकों के पक्ष में हैं वह भी इसका विरोध कर रहे हैं। यह विवाद जूट प्रेम, जो बड़े व्यापारियों के अधिकार में है, द्वारा उठाई गई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं कह सकता हूं कि कतिपय परिवर्तनों के साथ यह अधिलाभ कर का प्रस्ताव बहुत आवश्यक है।

कर प्रस्तावों का एक बहुत बड़ा भाग अधिकांश जनता को केवल इसी वर्ष ही नहीं अपितु आने वाले वर्षों में भी देना पड़ेगा। गत वर्षों में भी जिन पर भारी कर लगाये गये थे उन्होंने कम से कम कर दिये हैं। मेरे एक मित्र ने, जो आयकर का वकील है, कहा था कि जब कर अधिक लगाये जाते हैं तो उन्हें कर अपवंचन के उपाय सुझाने के लिये धनिक वर्ग अधिक रुपया मिलता है। निस्संदेह वित्त मंत्री का कार्य अधिक कठिन है। अधिक-कर लगाने पर उनकी निन्दा की जाती है और यदि उसे उगाहा नहीं जाता तब भी उन्हीं की निन्दा की जाती है। अधिक कर लगाना इतना कठिन नहीं है जितना कर उगाहना।

उदाहरण के रूप में ग्राहक दुकानदार से कुछ रियायत माँगता है। दुकानदार कहता है कि आप रसीद न लीजिये मैं आपसे बिक्री-कर नहीं लूंगा। इस प्रकार बेची जाने वाली वस्तु का कोई लेखा नहीं रहता और उस पर आय कर बच जाता है। इस प्रकार के अपवंचन को रोकने के उपाय किये जाने चाहियें।

†**श्री दे० जी० नायक** (पंचमहल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह मेरा पहला भाषण है।

हमारे देश की उत्तरी सीमा पर साम्यवादी चीन ने आक्रमण कर दिया है। ऐसी स्थिति में भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह मातृभूमि की रक्षा के लिये यथाशक्ति प्रयत्न करे।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

[श्री दे जी नायक]

समस्या की विकटता को देखते हुये वित्त मंत्री को बजट प्रस्तावों पर बधाई दी जानी चाहिये। बजट के दो ध्येय हैं : देश की प्रतिरक्षा और समाजवादी ढांचे के समाज की ओर प्रगति की गति में तीव्रता लाना।

१९६२-६३ का अनुमानित प्रतिरक्षा व्यय ३४३ करोड़ रुपया था किन्तु चीन के आक्रमण के बाद यह बढ़ा कर ४४१ करोड़ रुपया कर दिया। १९६३-६४ के लिये इसका अनुमान ८६६ करोड़ रुपये का किया गया है। यह ४०० करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि करों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है इसके लिये कोई अन्य मार्ग नहीं है। अधिलाभ कर के सम्बध में बड़े व्यापारियों में बड़ा शोर गुल मचा है। मैं समझता हूं कि आज की परिस्थितियों को देखते हुये प्रत्यक्ष कर बढ़ा देने चाहियें। इससे गरीबों और अमीरों के बीच का अन्तर कम हो जायेगा। हमें उनसे और अधिक धन लेना चाहिये जिससे हम आक्रमण का सामना कर सकें। हमें देश की गरीबी को भी दूर करना है। इसलिये भी बड़े व्यापारियों को अधिक रुपया देना चाहिये। इनके लाभ की राशि बहुत है। वह कहते हैं कि अधिलाभ कर से उत्पादन में कमी होगी। किन्तु उन्हें यह पता नहीं कि यदि चीन का आक्रमण नहीं रोका गया तो उनकी क्या हालत होगी। और फिर अधिलाभ कर उत्पादन में किस प्रकार कमी करेगा? क्या लाभ के अतिरिक्त और कोई नैतिक भावनायें नहीं हैं। देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना भी तो हमारा कर्तव्य है। यह कर्तव्य उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिये सर्वाधिक प्रोत्साहन दे सकता है।

इसलिये मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस वर्ष अधिलाभ कर ऐसे ही रहने दिये जायें और आगामी वर्ष इन्हें बढ़ा दिया जाये।

यह बात भी गलत है कि गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। मैं नहीं समझता किस उद्देश्य से ऐसा प्रचार किया जा रहा है। मैं पिछले ४० वर्षों से अनुसूचित आदिम जातियों के बीच काम कर रहा हूं। १५ वर्ष पहले वह अधमरे पेट गुजारा करते थे। आज उनकी अवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है।

कुछ समय पूर्व मैंने अपने निर्वाचन-क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों से पूछा था कि क्या वह प्रसन्न है अथवा नहीं। और उनका उत्तर था कि वह प्रसन्न है। यह सब योजनाबद्ध विकास के ही कारण हुआ है। पहले वह शराब पीते थे किन्तु अब मद्य-निषेध के कारण उनकी वह आदत छूट गई है। और वह अब खेतों में अधिक मेहनत करने लगे हैं। पहले गांवों में प्रतिवर्ष ४-५ हत्यायें होती थीं। किन्तु अब ऐसा नहीं होता।

कुछ लोग कहते हैं कि मद्य-निषेध समाप्त करने से आय बढ़ जायेगी। किन्तु यह बढ़ी हुई आय हमें गरीबों से प्राप्त होगी। मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं कि मद्य-निषेध समाप्त कर दिया जाय।

कुछ लोग कहते हैं कि आसवन एक घरेलू उद्योग बन गया है। मैं यह बात नहीं समझ पाता। मैं ग्रामीण लोगों के बीच में ही रहता हूं। मैंने ऐसा घरेलू उद्योग कहीं भी नहीं देखा। कभी कोई व्यक्ति शराब बना लेता है। किन्तु मद्य-निषेध लागू करने के पहले ऐसे कार्य बहुतायत से किये जाते थे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य के लिये कुल २ मिनट और शेष रहते हैं ।

†**श्री दी० जी० नायक** : मुझे पांच मिनट चाहियें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तब आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, १४ मार्च, १९६३/२३ फाल्गुन, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुधवार, १३ मार्च, १९६३

[————————————]

२२ फाल्गुन, १८८४ (शक)

विषय — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — १५६३–८६

तारांकित
प्रश्न संख्या

३६७ न्याय प्रशासन १५६३–६५
३६९ दिल्ली में पटाखों के विस्फोट . . . १५६६–६७
३७० कोयले की कमी १५६८–७०
३७१ राजनैतिक नजरबन्दों को परिवार भत्ते . . . १५७१
३७२ पुलिस प्रशासन १५७२–७३
३७४ सेवानिवृत्ति की आयु के बाद अध्यापकों की सेवायें . . १५७३–७४
३७७ दिल्ली में बेघरबार व्यक्ति १५७५–७८
३७८ नजरबन्द चीनियों के परिवारों को भत्ते . . . १५७७–७८
३८० कालाकोट कोयला खानें १५७९–८०
३८२ कोयला खानें १५८०–८१
३८३ बरौनी तेल शोधक कारखाना १५८१–८२
३८४ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश . . . १५८२–८४
३८५ रूसी विश्वविद्यालयों में भारतीय . . १५८४–८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर — १५८६–१६०५

तारांकित
प्रश्न संख्या

३६८ विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी . . . १५८६–८७
३७३ शिक्षा का माध्यम १५८७
३७५ हायर सैकेंडरी स्कूलों का केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध किया जाना १५८७
३७६ मद्रास राज्य में तांबा, जस्ता तथा सीसे के निक्षेप . . १५८७–८८

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

३७६	भारत में तेलशोधक कारखाने	१५८८
३८१	हायर सैकेंडरी शिक्षा	१५८८
३८६	विदेश में तेल की खोज	१५८८–८६
३८७	आत्महत्यायें	१५८६

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६९५	कोक की कमी	१५८६
६९६	माखेड़ा (गुजरात) का सूर्य मन्दिर	१५८६–९०
६९७	बाडमेर जैसलमेर और जोधपुर में पुरातत्वीय स्मारक	१५९०
६९८	भारत में औसत आयु	१५९०
६९९	हरिजन कल्याण के लिये केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड	१५९०–९१
७००	उड़ीसा में खनिज पदार्थों का सर्वेक्षण	१५९१
७०१	उड़ीसा में भूतत्वीय सर्वेक्षण	१५९१–९२
७०२	उड़ीसा में सार्वजनिक पुस्तकालय	१५९२
७०३	साहित्य अकादमी के पुरस्कार	१५९२–९३
७०४	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी	१५९३
७०५	केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो	१५९३
७०६	कोक तथा बी–हाइव कोक का उत्पादन	१५९४
७०७	माध्यमिक शिक्षा स्तर परीक्षा पद्धति	१५९४
७०८	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की प्रशिक्षण संस्था	१५९४–९५
७०९	स्कूल प्रतिरक्षा दल कार्यक्रम	१५९५
७१०	शिक्षा मंत्रालय के प्रकाशन	१५९५–९६
७११	रूसी पाठ्य पुस्तकों की प्रदर्शनी	१५९६
७१२	अल्प विकसित देशों का उद्योगीकरण	१५९६
७१३	बिहार में बौक्साइट अयस्क का परिवहन	१५९७
७१४	दिल्ली में विष देने की घटनायें	१५९७
७१५	जिला विवरणिकाओं का संकलन	१५९७–९८
७१६	विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान किया जाना	१५९८
७१७	इंडोनेशिया से अशोधित तेल	१५९८

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
७१८	प्राथमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण . .	१५९८
७१९	विशुद्ध विज्ञान तथा मानव विज्ञान के प्राध्यापक .	१५९९
७२०	भारतीय प्रशासनिक सेवा .	१५९९
७२१	पिलानी में प्रौद्योगिक कालिज . .	१६००
७२२	केन्द्र में राज्यों के असैनिक अफसर .	१६००
७२३	प्रतिकार भत्ता . .	१६०१
७२४	विद्यार्थियों का दाखिला .	१६०१
७२५	स्नेहन तेलों का अभाव	१६०२
७२६	पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां . . .	१६०२
७२७	मद्रास में इंजीनियरिंग कालेजों में स्थान .	१६०२–०३
७२८	पैट्रोलियम उत्पाद . . .	१६०३
७२९	गृह-कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारी . .	१६०३
७३०	अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित पद	१६०३–०४
७३१	प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर	१६०४
७३२	छुट्टियों की घोषणा .	१६०४–०५
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१६०५–०६

(१) कोयला-खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, दिनांक २ मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४५ में प्रकाशित कोयला-खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन नियम, १९६३ की एक प्रति।

(२) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत, वर्ष १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक लेखे की एक-एक प्रति उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित ।

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६४१ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

(ख) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६४२ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-व-सेवानिवृत्ति लाभ) दूसरा संशोधन नियम, १९६२ ।

(ग) दिनांक ३ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ६ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-व-सेवानिवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, १९६२ ।

(४) शस्त्र अधिनियम, १९५९ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक ९ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३२६ में प्रकाशित शस्त्र (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उपस्थापित १६०६

पन्द्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित १६०६

उन्नीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये ।

विधेयक पुरस्थापित १६०७

विनियोग विधेयक, १९६३

विधेयक पारित १६०७-०९

(१) वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

(२) रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा १६०९-४७

सामान्य आयव्ययक, १९६३-६४ पर सामान्य चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सदस्य की रिहाई १६४२

अध्यक्ष ने लोक सभा को यह बताया कि श्री किशन पटनायक, लोक-सभा सदस्य को पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किये जाने तक ७ मार्च, १९६३ को जमानत देने पर हिरासत से रिहा कर दिया गया है ।

गुरुवार, १४ मार्च, १९६३/२३ फाल्गुन, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

सामान्य आयव्ययक, १९६३-६४, पर सामान्य चर्चा ।

GMGIPND—LS III 3099 (Ai) LSD—20-5-63—160.

विषय-सूची—जारी

		पृष्ठ
	श्री इन्द्रजीत गुप्त . . .	१६३५—३७
	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	१६३७—४२
	श्री कपूर सिंह	१६४२—४४
	श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा . . .	१६४४–४५
	श्री दे० जी० नायक	१६४५–४६
सदस्य की रिहाई	. . . . .	१६४२
दैनिक संक्षेपिका	. . . . .	१६४८—५१

PLS. 41. XIV. 17.63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित।